खण्ड-136, अंक-3
बुधवार, 15 वैशाख, शक संवत् 1876
(5 मई, 1954 ई0)

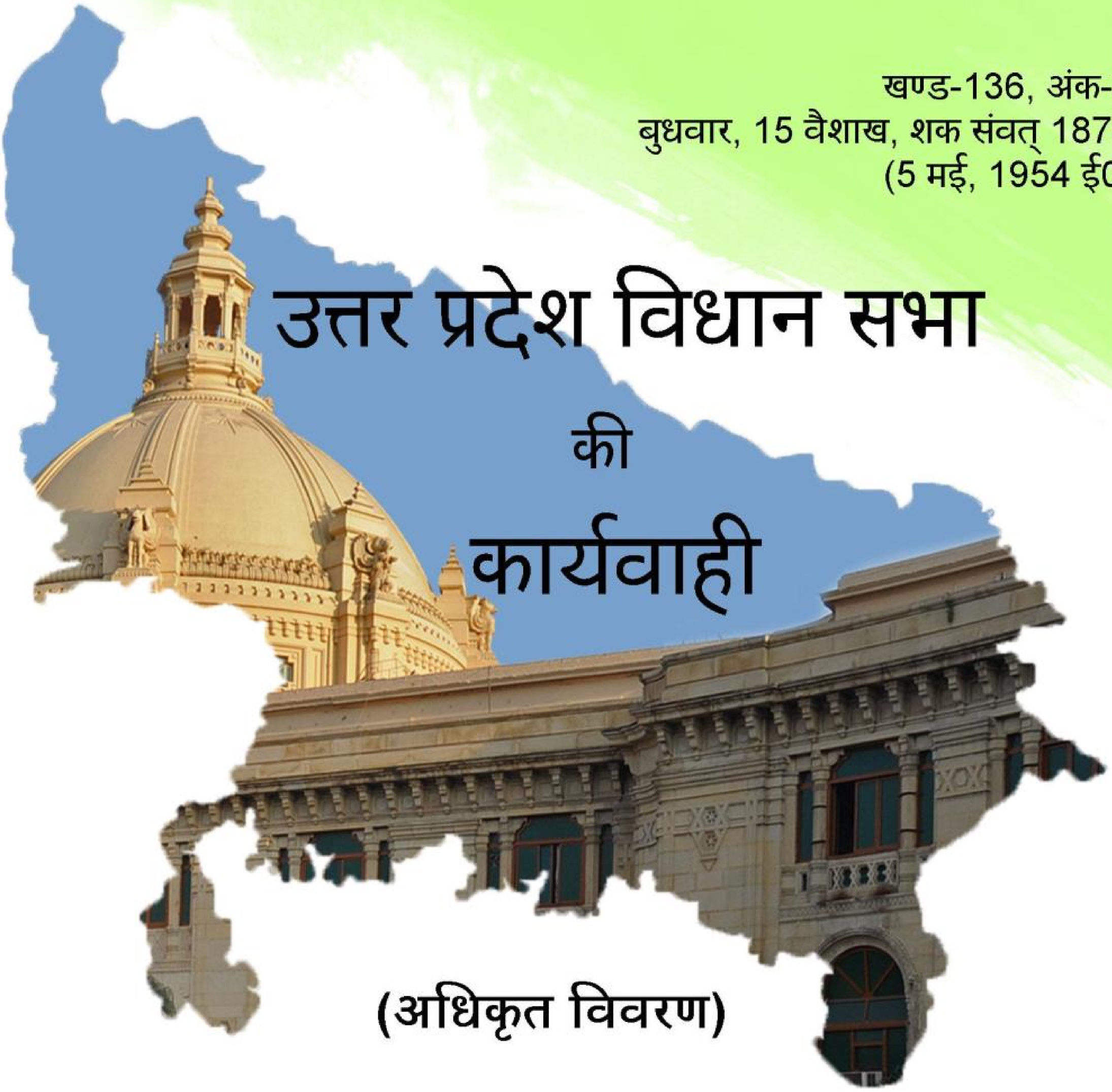

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 136 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ५ मई, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३१५)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र
मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचंद, श्री
तुलसीराम, श्री
तुला राम, श्री
तुला राम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टन राम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबू लाल कुसुमेश श्री
बाबू लाल मतिल, श्री
बालेन्दु शाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री

भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधा मोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राम गुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
राम नारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
राम लखन, श्री
राम लखन मिश्र, श्री
राम लाल, श्री
राम वचन यादव, श्री
राम शंकर द्विवेदी, श्री
राम शंकर रविवासी, श्री
राम सनेही भारतीय, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सुन्दर राम, श्री
राम सुभग वर्मा, श्री
राम सुमेर, श्री
राम स्वरूप गुप्त, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम स्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लाल बहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम , श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्य सिंह राणा, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखी राम भारतीय, श्री
सुन्दर दास, श्री दीवान
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविंद पन्त, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेई, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

कनखल की कृष्णनगर कालोनी में जल-व्यवस्था

*१—श्री दीन दयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या यह सही है कि सरकार ने तीन वर्ष पूर्व कनखल की कृष्णनगर कालोनी में जल देने का वायदा किया था ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—जी नहीं ।

*२—श्री दीन दयालु शास्त्री—क्या सरकार बतायेगी कि इस जल व्यवस्था में कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान था ?

श्री मोहन लाल गौतम—इस कालोनी की कोई पृथक् योजना नहीं है बल्कि कनखल की जल योजना ही में यह सम्मिलित है। १९५२ में इस योजना का अनुमानित व्यय ४ लाख रुपया था ।

*३—श्री दीन दयालु शास्त्री—क्या सरकार बतायेगी कि यह जल योजना कब तक अमल में आजायेगी ?

श्री मोहन लाल गौतम—१९५६-५७ तक इस योजना के पूर्ण होने की आशा है।

श्री दीन दयालु शास्त्री—क्या यह सही है कि स्वयं मुख्य मंत्री जी ने सन् ५१ में इसका वादा किया था ?

श्री मोहन लाल गौतम—इसकी सूचना चाहिए।

श्री दीन दयालु शास्त्री—क्या यह भी सही है कि प्रश्नकर्ता के पास मुख्य मंत्री जी ने यह बात लिख कर भेजी थी ?

श्री मोहन लाल गौतम—प्रश्नकर्ता इस बात के बारे में ज्यादा जान सकते हैं मेरी फाइल पर इसकी नकल नहीं है।

श्री दीन दयालु शास्त्री—क्या मंत्री जी को पता है कि इस मई के महीने में ही वहां नल लगने जा रहा है ? मैं आज ही हरिद्वार से आया हूं और वहां नल लग रहा है। क्या उन को मालूम है कि यह जल-योजना वहां आजकल होने जा रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम—एक हैंडपम्प वहां लगाया जा रहा है और उसकी सफलता पर आगे विचार होगा कि यह अस्थायी प्रबन्ध ठीक है या नहीं।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—कृष्णनगर कालोनी की क्या जनसंख्या है ?

श्री मोहन लाल गौतम—सूचना चाहिये ।

प्रदेश व्यापी मेहतर हड़ताल

*४—श्री भगवानदीन वाल्मीकि (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९५३ में जो उत्तर प्रदेश व्यापी मेहतर हड़ताल हुयी थी उसे सरकारी नोटीफिकेशन नं० ६०६९ (एल)-(३)/१८-३६५(एल)/४५ तिथि १० दिसम्बर, १९४७ के अन्तर्गत गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया था ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी नहीं, ऐसी कोई प्रदेशव्यापी घोषणा नहीं की गयी ।

*५—श्री राजा राम शर्मा (जिला बस्ती)—[१८ मई, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

राज्य की पंचायतों के लेखों की आडिट-व्यवस्था

*६—श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की पंचायतों के धन को आडिट करने का क्या प्रबन्ध है ?

श्री मोहन लाल गौतम--जी नहीं। पंचायतों के धन को आडिट करने का कोई प्रबन्ध नहीं है, परन्तु पंचायतों के लेखों के आडिट की व्यवस्था इस वर्ष की जा रही है।

*७--श्री धर्मसिंह--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ रीजन में कितने वर्षों से पंचायत का धन आडिट नहीं हुआ है ?

श्री मोहन लाल गौतम--प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री धर्म सिंह--क्या यह सत्य है कि पुराने पंचायत राज ऐक्ट में पंचायतों को आडिट करने की व्यवस्था थी ?

श्री मोहन लाल गौतम--कानून में इसका प्राविजन है।

श्री धर्मसिंह--यदि कानून में व्यवस्था थी तो उनको आडिट करने की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ?

श्री मोहन लाल गौतम--उस मेशीनरी को कायम करने में कुछ आर्थिक दिक्कतें थीं और बजट का प्राविजन नहीं था, इसीलिए नहीं हो सका।

श्री बलवन्त सिंह--सरकार जो पंचायतों के आडिट की व्यवस्था कर रही है उसका खर्च कौन बरदाश्त करेगा ?

श्री मोहन लाल गौतम--इसका जिक्र बजट पेपर्स में है, माननीय सदस्य उसे पढ़लें।

श्री धर्म सिंह--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि नये ऐक्ट के अनुसार जबकि सूबे में बहुत सी पंचायतें हैं तो किस प्रकार आडिट करने का प्रबंध करेंगे ?

श्री मोहन लाल गौतम--जिस व्यवस्था पर विचार हो रहा है उसमें इसका भी ध्यान रखा जायगा।

बलिया में पंचायत-मंत्रियों को वेतन मिलने में विलम्ब

*८--श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिले की कुछ पंचायतों के मंत्रियों को लगातार कई माह से वेतन नहीं मिल रहा है ?

श्री मोहन लाल गौतम--बलिया जिले में केवल दो पंचायत मंत्रियों के अतिरिक्त सबका वेतन फरवरी, १९५४ तक समयानुसार दे दिया गया है।

देवरिया जिले में दुदेही अदालत पंचायत के सरपंच की मुअत्तली

*९--श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया की दुदेही अदालत पंचायत के सरपंच मुअत्तल किये गये थे ? अगर हां, तो किस केस में ?

श्री मोहन लाल गौतम--जी हां। सरकार बनाम श्री एस० एन० श्रीवास्तव पंचायत निरीक्षक के मुकदमें में।

*१०--श्री राम सुभग वर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरपंच मुकदमे से निर्दोष बरी हो गये ? यदि हां, तो क्या उनको सरपंची का चार्ज मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहन लाल गौतम---मुकदमें में सरपंच को अवश्य बरी कर दिया गया है, किन्तु उन्हें पदारूढ़ नहीं किया जा सका है, क्योंकि उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही चल रही है।

*११---श्री राम सुभग वर्मा (अनुपस्थित)---क्या सरकार को पता है कि इस आशय का प्रार्थना-पत्र विभागीय दफ्तर तथा सरकार के पास भी आया है?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां।

फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ में वाटर-वर्क्स योजना तथा पृथक्-पृथक् म्युनिसिपैलिटियां बनाने की मांग

*१२---श्री पाती राम (जिला फर्रुखाबाद)---क्या फर्रुखाबाद फतेहगढ़ की मिलीजुली म्युनिसिपैलिटी को अलग अलग करने के वास्ते वहां की जनता की तरफ से कोई मांग सरकार से की गयी है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री मोहन लाल गौतम---जी नहीं। दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

*१३---श्री पाती राम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ म्युनिसिपैलिटी में वाटर वर्क्स योजना कब तक आरम्भ हो सकेगी?

श्री मोहन लाल गौतम---योजना का प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है परन्तु जलवितरण की निश्चित तिथि अभी निर्धारित नहीं की जा सकती।

श्री पाती राम---क्या सरकार प्रारंभिक योजना का स्पष्टीकरण करेगी?

श्री मोहन लाल गौतम---सन् १९५२-५३ में ५० हजार रुपया लोन दिया जा चुका है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि म्युनिसिपैलिटी ने उसमें कितना हिस्सा दिया है?

श्री मोहन लाल गौतम---आम तौर पर वाटर-वर्क्स पर बहुत थोड़ी-सी म्युनिसिपैलिटियां हैं, जो अपना हिस्सा दिया करती हैं, लोन गवर्नमेंट का ही होता है।

*१४---श्री पाती राम---[१९ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१५-१७---श्री किशन स्वरूप भटनागर (जिला बुलन्दशहर)---[१९ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में टी० बी० के टीके

*१८---श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में १९५३ में कितने टी० बी० के टीके लगाये गए?

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)---जौनपुर जिले में २३,३७० व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये टीके केवल कस्बों में लगाये गए हैं या गांवों में भी?

श्री बनारसी दास—यह कस्बों और गांवों दोनों ही में लगाये गये हैं।

मड़ियाहूं के अन्तर्गत सीतापुर ग्राम में महिला चिकित्सालय की मांग

*१९—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मड़ियाहूं के अन्तर्गत सीतापुर ग्राम की जनता ने महिला चिकित्सालय के लिए मांग की है और उसके लिये इमारत देने के लिए तैयार है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री बनारसी दास—जी हां। प्रश्न विचाराधीन है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि कब तक यह प्रश्न विचाराधीन रखा जायगा?

श्री बनारसी दास—इसी वर्ष के अन्दर इस पर निर्णय हो जायगा।

होमियोपैथिक डाक्टरों की रजिस्ट्री

*२०—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि होम्योपैथिक डाक्टरों की रजिस्ट्री की जाने वाली है? यदि हां, तो कब से?

श्री बनारसी दास—जी हां। होमियोपैथिक डाक्टरों की रजिस्ट्री का काम शीघ्र ही आरंभ होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उनके पास कोई ऐसे आंकड़े हैं कि प्रदेश में क्वालिफाइड होमियोपैथिक डाक्टर्स कितने हैं?

श्री बनारसी दास—इस वक्त तो कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

बस्ती जिले में बी० सी० जी० के टीके

*२१—श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बी० सी० जी० का टीका बस्ती जिलें में लग रहा है? यदि हां, तो कब से?

श्री बनारसी दास—बी० सी० जी० की एक टोली ने बस्ती जिले में १५ जुलाई से २९ नवम्बर, १९५२ तक कार्य किया।

*२२—श्री रामसुन्दर राम—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बस्ती जिले के किन-किन तहसीलों में बी० सी० जी० का टीका लगाया गया है?

श्री बनारसी दास—बी० सी० जी० का कार्य जिले की पांचों तहसीलों में किया गया और जितने आदमियों की जांच की गई तथा टीके लगाये गये उनकी संख्या नीचे दी जाती है:

क्र० सं०	तहसील का नाम		जांच किये गये	टीके लगाये गये
१	सदर तहसील	..	२५,७५०	८,४१४
२	बांसी	..	११,८०१	३,२४१
३	हर्रैया	..	४,७४९	१,५२३
४	खलीलाबाद	..	१०,५७४	३,०००
५	डुमरियागंज	..	४,८७१	१,६९९

*२३--श्री रामसुन्दर राम--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टीका लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या उपर्युक्त जिले में कुल कितनी है ?

श्री बनारसी दास--कुल ५७,७५४ व्यक्तियों की जांच की गई, उसमें से १७,८७७ व्यक्तियों को, जिनको बी० सी० जी० के टीके की आवश्यकता थी, टीके लगाये गये।

श्री रामसुन्दर राम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बी० सी० जी० का टीका किस आधार पर बस्ती जिले में लगाया जा रहा था और किन कारणों से बन्द कर दिया गया ?

श्री बनारसी दास--इसका कारण यही था कि समस्त प्रदेश में ही इसकी आवश्यकता महसूस की गयी कि टी० बी० की बीमारी बढ़ती चली जाती है इसलिए उसकी रोक-थाम करने के लिये वहां जांच की जाय और टीके लगाये जायं। इसी लिये वहां पर टीके लगाने का कार्य आरम्भ किया गया, लेकिन सूबे में बी० सी० जी० की जो यूनिट्स हैं वह तो चलती-फिरती ही सभी जगह काम करती हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि बस्ती जिले की इस यूनिट पर सरकार का कितना व्यय हुआ ?

श्री बनारसी दास--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि बी० सी० जी० के टीकों का परीक्षण टी० बी रोकने में सफल रहा है या असफल ?

श्री बनारसी दास--सफल रहा है।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि ऐसी भी रिपोर्टें आयी हैं कि जो टीके लगे वह फूल गये और उससे लोगों को बड़ी पीड़ा हुई और सेप्टिक हो गया ?

श्री बनारसी दास--सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के किन किन जिलों में बी० सी० जी० के टीकों की यूनिट्स प्रोवाइडेड हैं ?

श्री बनारसी दास--इसकी यूनिट्स कहीं भी निश्चित रूप से नहीं है बल्कि जितनी यूनिट्स हैं वह सभी जिलों में बारी बारी से भेजी गयी हैं।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलावेंगे कि बस्ती जिले की विभिन्न पांचों तहसीलों में जो टीके लगाने की संख्या दी गई है उसमें क्यों अन्तर है ?

श्री बनारसी दास--इसका कारण यह है कि जब टीके लगाने के लिये वहां पर जाते हैं तो वह जनता के सहयोग पर निर्भर रहते हैं। जितने ज्यादा आदमी जांच करने के लिये मिल सकते हैं उतने ज्यादा टीके लगाये जा सकते हैं। इसके अलावा तहसीलों के अन्दर यह भी देखना पड़ता है कि जांच के फलस्वरूप उसमें निगेटिव कितने हैं और पाजिटिव कितने हैं और टीका कितने आदमियों के लगना है। इसलिये अन्तर है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि बी० सी० जी० के टीकों का कार्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में पंच-वर्षीय योजना के साथ ही सम्पन्न हो जायगा ?

श्री बनारसी दास--लगभग सभी जिलों के अन्दर बी० सी० जी० के टीके लगेंगे इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि तमाम जिलों में इतनी बड़ी तादाद में बी० सी० जी० की यूनिट्स बढ़ा दी जायंगी कि सभी जगह एक ही साथ कार्य हो जाय।

श्री राम दास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को बी० सी० जी० के टीके लग चुके हैं उनको फिर इस टीके की आवश्यकता नहीं होगी, अगर होगी तो कितने दिनों बाद?

श्री बनारसी दास--आमतौर से विशेषज्ञों का यही मत है कि जिनको टीका लग जाता है फिर उन्हें क्षय रोग नहीं होता है।

*२४-२६--श्री राम सुन्दर पाडेय (जिला आजमगढ)--[१९ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२७--श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--[१९ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

अस्पताल के कार्य काल में मेडिकल अफसरों को बाहर न जाने का आदेश

*२८--श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार को मालूम है कि डी० एम० एच० एस० यू० पी० ने दिनांक, २१ जून, १९४९ ई० को एक पत्र द्वारा प्रान्त के सभी सिविल सर्जनों को आदेश दिया है कि किसी भी अवस्था में कोई मेडिकल आफिसर अस्पताल के काम के घंटों में किसी भी रोगी का किसी भी दशा में अस्पताल के बाहर इलाज करने नहीं जा सकता है? यदि हां, तो क्या सरकार उस पत्र की प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री बनारसी दास--पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३६ पर।)

*२९--श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि उपर्युक्त परिपत्र को रिवाइज किया गया है? यदि हां, तो कब? और क्या उसकी प्रतिलिपि सरकार मेज पर रक्खेगी?

श्री बनारसी दास--संशोधित परिपत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २३७-२३९ पर।)

श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि परिपत्र दिनांक ९ जनवरी, १९५० की प्रतिलिपि जिला फर्रुखाबाद के सिविल सर्जन के पास भी भेजी गयी थी? यदि हां, तो कब?

श्री बनारसी दास--वह तो सभी सिविल सर्जनों के पास भेजी गयी थी। जिस तिथि का आप ने जिक्र किया उसी पर उनको भी भेजी गई।

श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर कोई कालरा का मरीज है और उसको डाक्टर पहले से अटेंड नहीं करता है, तो वह वर्किंग आवर्स में उसको अटेंट कर सकता है या नहीं?

श्री बनारसी दास--उस सर्क्यूलर के अनुसार वर्किंग आवर्स में विशेष परिस्थितियों में बाहर जाने की अनुमति दी गई है और उसमें यह भी है कि अगर कोई मरीज का एक्सीडेंट हो गया है या किसी विशेष परिस्थितिवश उसको लाया नहीं जा सकता तो यह डाक्टर की मर्जी के ऊपर है कि मरीजों को देखने के लिये आफ़िस आवर्स में जाना चाहिये या नहीं।

खाद्य विभाग में कर्मचारियों की छटनी

*३०--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बतायेगी कि खाद्य विभाग से अब तक कुल कितने कर्मचारी छांटे जा चुके हैं?

श्री बनारसी दास--८,०६३।

*३१--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इन निकाले गये कर्मचारियों में कितने लोगों को नियुक्ति मिल गयी है?

श्री बनारसी दास--२०३।

*३२--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार यह बतायेगी कि जो कर्मचारी बाक़ी रह गये हैं उनको पुनः कहीं नियुक्त करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री बनारसी दास--सरकार के समक्ष ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकार ने छटनी में आये हुये इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह आदेश अवश्य जारी किये हैं कि जहां तक सम्भव हो सरकारी विभागों में होने वाली अस्थायी और स्थायी नियुक्तियों में इनमें से योग्य कर्मचारियों को प्राथम्य दिया जाये।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह छटनी किस आधार पर हुई है और किन नियमों के मातहत हुई?

श्री बनारसी दास--क्योंकि डीराशनिंग हो गया है और इसलिये आवश्यकता कम हो गई। रिट्रेंच करने की जरूरत पड़ी, इसलिये रिट्रेंचमेंट किया गया और इसके लिये तीन श्रेणियां बनाई गईं। तो कुछ लोग तो ए में आये, कुछ बी में रखे गये। जिनका कार्य अच्छा नहीं था, जिनकी इन्टेग्रेटी डाउटफुल थी उनको सी में रखा गया। सी वालों को पहले निकाला गया और जैसे जैसे छटनी होती चली गयी रिट्रेंच किये गये।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २०३ की जो नियुक्तियां हुई हैं वे अधिकतर जो विभाग के बड़े अधिकारी थे या जो पोजीशन पर थे उन्हीं की हुई है?

श्री बनारसी दास--यह तो प्रश्न नहीं होता। उसमें ज्यादातर नियुक्तियां नान-गजटेड लोगों की हैं और इसके लिये जो विभागीय सूची तैयार की गयी थी वह सभी हैड्स आफ डिपार्टमेंट्स को भेज दी गई हैं और एमप्लायमेंट एक्सचेंज को भेज दी गई हैं।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि खाद्य विभाग टूटने वाला है और कर्मचारी बेकार होने वाले हैं?

श्री बनारसी दास--अभी कोई ऐसा निश्चय नहीं है और बाक़ी जैसी अनाज की स्थिति है उससे अन्दाज लगाया जा सकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री बता सकेंगे कि खाद्य विभाग के ८,०६३ आदमियों के छटने के बाद कितने आदमी शेष होंगे?

श्री बनारसी दास—इस समय कुल कर्मचारियों की संख्या जो आफिस में रह गये हैं वह ४,६६९ हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि खाद्य विभाग के मुक्त कर्मचारी जो अपने घरों पर बैठे हुये हैं आइन्दा सर्विस के समय उनकी अवस्था पर प्रतिबन्ध नहीं रहेगा?

श्री बनारसी दास—जी हां। जो लोग रिट्रेंच किये गये हैं उनको अवस्था के समय में अपवाद मिल जायगा।

श्री धर्मसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों की छटनी हुई है उनमें कितने गजटेड आफ़िसर्स हैं?

श्री बनारसी दास—११८ गजटेड आफ़िसर्स हैं।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि सरकार के आदेशों का पूरा पालन नहीं हो रहा है?

श्री बनारसी दास—जी हां। इस प्रकार की शिकायतें अवश्य मिलीं कि सरकार के आदेशों के बावजूद भी बहुत से विभागाध्यक्ष अपनी मनमानी करते हैं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन शिकायतों पर उन्होंने क्या कार्यवाही की है?

श्री बनारसी दास—पुनः आदेश जारी किये गये हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन २०३ आदमियों की नियुक्ति हुई है वह केवल सीनियारिटी के आधार पर हुई है या कोई दूसरा नियम भी बरता गया है?

श्री बनारसी दास—इसका कोई प्रश्न नहीं है। जैसी सूची तैयार की गयी है उसके अनुसार जिनको रखना था उनको सामने बुलाया गया और जिनको उन्होंने उचित समझा उनको रक्खा।

*३३-३५—श्री देवमूर्ति राम (जिला बनारस)—[२ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*३६-३८—राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—[१९ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*३९-४१—श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)—[१९ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*४२—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—[२१ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

राज्य में रूरल हाउसिंग सम्बन्धी योजना

*४३—श्री शिवराज सिंह यादव—क्या रूरल हाउसिंग कंडीशंस को सुधारने की प्रदेशीय सरकार की कोई योजना चालू है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री मोहन लाल गौतम—रूरल हाउसिंग सबंधी कोई सरकारी योजना चालू नहीं है।

श्री शिवराज सिंह यादव---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार लो कास्ट हाउसिंग सम्बन्धी कोई रिसर्च करा रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम---इस प्रकार की एक नुमायश दिल्ली में हुई थी और उससे बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया है।

*४४---श्री पुट्टन राम (जिला बस्ती)---[१९ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

पंचायत घरों के लिए 'आवाज' रेडियो

*४५---श्री वीरेन्द्र नाथ मिश्र (जिला हरदोई)---क्या यह सही है कि सरकार ने प्रान्त की सभी ग्राम सभाओं के पास यह आदेश भेजा है कि वह केवल 'आवाज' रेडियो ही पंचायत घरों के लिये खरीदें ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी नहीं।

*४६-४७---श्री इसरारुल हक़ (जिला आगरा)---[१९ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

वैद्यों और हकीमों का रजिस्ट्रेशन

*४८---श्री श्यामा चरण वाजपेयी शास्त्री (जिला बांदा) (अनुपस्थित)---क्या यह सच है कि वैद्यों और हकीमों के रजिस्ट्रेशन करने की अवधि ७-३-५३ तक ही थी ?

श्री बनारसी दास---जी नहीं। वैद्य एवं हकीमों का रजिस्ट्रेशन अब भी होता है।

श्री राम सुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रजिस्ट्रेशन करने की क्या पद्धति है ?

श्री बनारसी दास---बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के अधीन जो लोग डिग्री प्राप्त करते हैं परमानेंट संस्थाओं में, उनका रजिस्ट्रेशन इस वक्त होता है।

श्री राम सुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि रजिस्ट्रेशन की कुछ फीस भी ली जाती है?

श्री बनारसी दास---जी हां, वह सही है।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---रजिस्ट्रेशन कब तक होता रहेगा ?

श्री बनारसी दास---जब तक वैद्य लोग पढ़कर आते रहेंगे, तब तक होता रहेगा।

गंगा नदी में जबहीं घाट पर नाव-दुर्घटना

*४९---श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को मालूम है कि ब्रह्मपुर मेले के सिलसिले में बलिया जिले के जबहीं (सपहीं) घाट पर गंगा नदी में पार करते हुए एक बड़ी नाव डूब गयी और उसमें क़रीब १०० आदमी डूब कर मर गये ?

श्री मोहन लाल गौतम---ब्रह्मपुर मेला बिहार प्रदेश के शाहाबाद जिले के पुलिस थाना ब्रह्मपुर के क्षेत्र में लगता है और प्रश्न में उल्लिखित नाव डूबने की दुर्घटना उसी क्षेत्र में हुई थी। इस सरकार के पास उक्त दुर्घटना का कोई विवरण नहीं है।

नोट---तारांकित प्रश्न ४८ श्री रामसुन्दर पाण्डेय ने पूछा।

*५०—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बलिया जिले के जबही (सपहीं) घाट की घटना की जांच के लिये कोई कमेटी बनाने की कृपा करेगी ताकि इसके बारे में सारी बातें जाहिर हो सकें ?

श्री मोहन लाल गौतम—चूंकि नाव दुर्घटना इस प्रदेश में नहीं घटी थी इस कारण इस सरकार द्वारा किसी जांच समिति की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था

*५१—श्री शिव राज सिंह यादव—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत वर्ष स्वास्थ्य विभाग के अधीन कितना रुपया देहाती क्षेत्र में पीने के पानी के सम्बन्ध में खर्च किया गया ?

श्री बनारसी दास—गत वर्ष राजकीय स्वास्थ्य बोर्ड ने १,०३,७०० की रक़म राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की योजनाओं के हेतु अनुदान के रूप में दिया।

श्री शिवराज सिंह यादव—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी के लिये सरकारी योजनायें क्या हैं और उसमें अनुदान देने का क्या तरीक़ा है ?

श्री बनारसी दास—जैसा कि अभी जिक्र किया गया, बजट में इसका प्राविजन है, स्टेट हेल्थ बोर्ड की तरफ से कि जहां प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से पीने के पानी की कमी की सूचना आती है वहां पर इसकी ग्रांट दी जाती है और स्थानीय लोगों को भी कुछ रुपया देना पड़ता है। जहां पर ऐसा होता है वहीं मंजूर करते हैं।

श्री गंगा धर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल, टेहरी और अल्मोड़ा में कितना रुपया पानी के लिए दिया गया है ?

श्री बनारसी दास—इसके लिये तो पहले से नोटिस की आवश्यकता है।

श्री शिवराज सिंह यादव—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बदायूं में बहुत सी दरख्वास्तें हरिजनों की उनके पीने के पानी के सम्बन्ध में पड़ी हुई हैं और वे पास के तालाबों से पानी पी रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—जी हां, हो सकता है कि अभी जो उत्तर दिया गया है इसके अतिरिक्त हरिजन सहायक विभाग की तरफ से भी कुओं के लिये ५ लाख ७० हजार रुपये का प्राविजन किया गया है। मुमकिन है कि हरिजन सहायक विभाग की तरफ से हो। इसके अतिरिक्त कम्यूनिटी प्रोजेक्ट एरिया और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के अन्तर्गत भी पानी के कुंओं की व्यवस्था की गई है।

श्री चन्द्रसिंह रावत—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जितना रुपया पीने के पानी के लिये मंजूर हुआ था वह पूरा यूटिलाइज हुआ ?

श्री बनारसी दास—जितना रुपया रखा गया है उसमें से कितना खर्च हुआ और कितना अभी बाक़ी है इसके लिये तो पहले आंकड़े इकट्ठा करने के बाद सूचना दी जा सकती है।

श्री शिवराज सिंह यादव—क्या सरकार ने कोई डेड लाइन मुक़र्रर कर दी है कि उस वक्त तक वह तमाम स्टेट के ग्रामीण क्षेत्र में पानी पीने का इन्तजाम कर देगी ?

श्री बनारसी दास—वह तो जिस साल के लिये रुपया रखा जाता है उसमें आशा की जाती है कि पूरा खर्च हो।

एटा-गंजडुंडवाणा सड़क का सुधार

*५२—श्री चिरंजी लाल जाटव (जिला एटा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा से गंजडुंडवाणा को जो सड़क जाती है वह बहुत ख़राब है ? उसको बनवाने के लिये सरकार विचार कर रही है या नहीं ?

श्री मोहन लाल गौतम—एटा-गंजडुंडवाणा सड़क की दशा शोचनीय होने के कारण जिला बोर्ड ने इसके १३ मील को बनवाने का ठेका मार्च, १९५४ में स्वीकृत कर दिया है। कार्य पूरा होने की ६ मास के अन्दर आशा की जाती है।

भेड़िया बालक रामू के लिये बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में प्रबन्ध

*५३—श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामू नामक भेड़िया बालक के लिये, जो बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में है, सुरक्षा का कोई खास प्रबन्ध वह कर रही है ?

श्री बनारसी दास—जी हां।

*५४—श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह सही है कि इस भेड़िया बालक के सम्बन्ध में संसार के अन्य देशों से भी पूछ-तांछ हो रही है।

श्री बनारसी दास—जी हां।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह खास प्रबंध इस भेड़िये के लड़के के लिये क्या है ?

श्री बनारसी दास—उस भेड़िये के बच्चे को स्पेशल वार्ड के कमरा नंबर ५ में रखा गया है और उसका उपचार होता है। उसके ऊपर दो वार्ड ब्वायज़ और रख दिये गये हैं ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस रामू लड़के के बारे में विदेशों से जो पूछतांछ हो रही है वह क्या है ?

श्री बनारसी दास—पूछतांछ इस सम्बन्ध में है कि वह कैसे रहता है, क्या पशुओं के समान रहता है और किस प्रकार से उसकी अवस्था में सुधार हो रहा है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस लड़के के खर्चे के लिये विदेश से भी कुछ रुपया आया है ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं, रुपये आने की कोई सूचना नहीं है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—क्या यह सही है कि रामू को भाषा सिखाने के लिये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं रखा गया है ?

श्री बनारसी दास—जी अभी तक कोई मनोवैज्ञानिक नहीं रखा गया है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी को ऐसी सूचना है कि विदेशी लोग रामू भेड़िये के लड़के को ले जाने के लिये वार्ड ब्यायज़ को घूस देने का षडयंत्र कर रहे थे ?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अब तक इस लड़के के ऊपर अपने कोष से कितना रुपया खर्च किया है ?

श्री बनारसी दास—अभी तक जितना रुपया खर्च हुआ है उसकी पूरी सूचना सरकार के पास नहीं आई है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भेड़िये के लड़के रामू को देखने के लिये क्या अस्पताल में कोई टिकिट लगाया गया है ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामू की स्थिति में क्या सुधार हुआ है ?

श्री बनारसी दास—अब वह चलने लगा है और थोड़ा २ बोलता भी है।

नानपारा तहसील, थाना खैरीघाट के पास चिकित्सालय भवन का निर्माण

*५५—श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बहराइच जिले के अन्तर्गत नानपारा तहसील में थाना खैरीघाट के सन्निकट कोई हास्पिटल भवन का निर्माण किया जा रहा है ?

श्री बनारसी दास—जी हां।

*५६—श्री बसन्त लाल शर्मा—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त कार्य के लिये कितनी धनराशि कब से स्वीकृत है ?

श्री बनारसी दास—३६,७०० रु० की धनराशि १९४६ में स्वीकृति हुई थी। अब दूसरा तखमीना ५२,७०० रु० का स्वीकार हुआ है।

श्री बसन्त लाल शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अस्पताल का कांस्ट्रक्शन कब से शुरू हुआ है और कितना हो चुका है ?

श्री बनारसी दास—इसका कंस्ट्रक्शन तो काफी हो चुका है और आशा यह है कि इस साल के अन्त तक पूरा हो जायगा। देरी अवश्य हुई है। सन् १९४६ ई० में रुपया मंजूर हुआ लेकिन कार्य जल्दी शुरू नहीं हो पाया और बाद में दुबारा तखमीना मांगना पड़ा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह अस्पताल कितने बेड्स का है ?

श्री बनारसी दास—यह जो डिस्पेंसरीज का माडल है उसके अनुसार है, वहां पर प्रायः ६ बेड्स का प्रावीजन होता है।

कानपुर शहर में ईंधन सप्लाई के टेण्डर

*५७—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत अक्तूबर में कानपुर शहर को ईंधन सप्लाई करने के लिये कंजरवेटर ने टेण्डर मांगे थे ?

श्री बनारसी दास—जी हां।

*५८—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किसका टेंडर स्वीकार किया गया, और क्यों ?

श्री बनारसी दास—श्री महेन्द्र सेन का टेंडर स्वीकार किया गया था, क्योंकि उनका टेंडर १ रु० ३ आने का था जो सबसे नीचे दरों का था ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या माननीय मंत्री जी महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कानपुर में ईंधन सप्लाई का काम कौन कर रहा है ?

श्री बनारसी दास—प्राविंशियल मार्केटिंग फ़ेडरेशन ।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)—क्या यह सही है कि इस फ़ेडरेशन को शुरू में काम एक रुपया तीन आने के हिसाब से दिया गया था, बाद को बगैर सूचना एक रुपया, पांच आने रेट कर दिया गया ?

श्री बनारसी दास—जी हां, यह सही है कि एक रुपया पांच आने कर दिया गया, लेकिन यह सही नहीं है कि सूचना नहीं दी गयी ।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र—क्या सरकार को यह पता है कि एक रुपया, पांच आने के टेंडर बहुत से लोगों ने दिये थे, उनके टेंडर अस्वीकार कर दिये गये हैं और फ़ेडरेशन को दिये गये हैं ?

श्री बनारसी दास—जिस वक्त टेंडर इन्वाइट किये गये थे तो एक रुपया तीन आने का लोएस्ट था, यह सही है कि कुछ लोगों ने एक रुपया पांच आने भी दिये । लेकिन जिसका लोएस्ट था उन्होंने लकड़ी सप्लाई करने से इन्कार कर दिया था, तब कोआपरेटिव फ़ेडरेशन को मुक़र्रर किया गया था और दूसरे लोग एक रुपया तीन आने की दर पर उपलब्ध नहीं थे ।

*५९-६०—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी—[१९ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

श्री मदनमोहन उपाध्याय द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना

श्री अध्यक्ष—माननीय उपाध्याय जी ने विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में कहा था कि विशेषाधिकार का प्रश्न वह उठाना चाहते हैं । उन्होंने लिखकर उसके कारण भी बताये हैं और उठाने की अनुज्ञा मांगी है कि आज वह उसे उठा सकें । मेरे सचिव के पास कोई ११ बजे से दस बारह मिनट पहले उनका ख़त आया है । बहुत लम्बा ख़त है और वह पहुंचा मेरे पास सिर्फ कुछ मिनट पहले यहां आने के, तो उसकी नक़ल मैं अभी माननीय मंत्री जी को दे नहीं सका हूं और मैं भी पढ़ नहीं सका हूं, क्योंकि मैं ११ बजे के क़रीब ५ मिनट पहले अपने कमरे में आया । इसलिये मैं इसको कल पढ़ने के बाद इसके ऊपर निर्णय दूंगा कि क्या उसे आप सदन में उठा सकते हैं ।

इलाहाबाद युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, मैं इलाहाबाद युनिवर्सिटी संशोधन विधेयक, १९५४, पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २४०–२६० पर ।)

*उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४
†खण्ड १४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के विरोध में केवल दो आपत्तियां उठाई गईं। माननीय अब्दुल मुईज़ खां ने यह आपत्ति उठाई कि जो मेरा संशोधन है वह एक आफ्टर थाट के रूप में है और इस आपत्ति के कारण उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि क्योंकि यह एक आफ्टर थाट है इसलिये इसको अस्वीकार करना चाहिये। माननीय अब्दुल मुईज़ खां एक बर्डिंग लाइयर हैं और एक बर्डिंग लाइयर की भांति उन्होंने यह रखने की चेष्टा की है। यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाय कि मेरा संशोधन एक आफ्टर थाट है तो कहां तक संशोधन के तत्व पर इसका असर पड़ता है और कहां तक केवल एक आफ्टर थाट होने की वजह से ही वह एक अनुचित संशोधन हो जाता है, इस पर कुछ न कहकर मैं इस विषय पर निर्णय देने के लिये सदन के सदस्यों और आपके ऊपर ही इसको छोड़ता हूं।

दूसरी आपत्ति माननीय राम नरेश शुक्ल जी ने उठायी थी और उनका कहना यह था कि यदि कोई एक रिवोल्यूशनरी कदम या सुझाव दिया जाय, चाहे वह कितना ही ग़लत क्यों न हो, चाहे वह कितना ही इम्प्रैक्टिकल (अव्यवहारिक) क्यों न हो, किन्तु यदि कोई ऐसा संशोधन पेश किया जाय तो उसको माननीय राम नरेश शुक्ल जी समझने के लिये तैयार हैं, किन्तु यदि एक ऐसा संशोधन पेश किया जाय जो कि प्रैक्टिकल रूप में एक प्रकार का कम्प्रोमाइज पेश करता हो तो उसको वे स्वीकार करने के लिये कभी भी तैयार न होंगे। माननीय राम नरेश जी की जो आपत्ति है.....

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---प्वाइंट आफ आर्डर सर, श्रीमन् इस अमेंडमेंट में जो सेक्शन ४३ आफ दि प्रिंसिपल ऐक्ट का जिक्र किया गया है तो सेक्शन ४३ आफ दि प्रिंसिपल ऐक्ट में तो किसी नामिनेशन की बात नहीं है जैसा कि इस अमेंडमेंट में है। वहां तो सीधे गांव सभा एलेक्ट करेगी पंचायती अदालत में पंचों को। इसलिये यहां सेक्शन ४३ आफ दी प्रिंसिपल ऐक्ट तो उससे असंगत हो जाता है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं आपके सम्मुख यह निवेदन कर दूं.....

श्री अध्यक्ष---मैं अभी जरा देख लूं कि आपत्ति क्या है।

श्री अब्दुल मुईज खां, आप अपनी आपत्ति दोहरा दीजिये।

(कुछ ठहर कर)

श्री अब्दुल मुईज खां---श्रीमन्, प्रिंसिपल ऐक्ट जो है अगर उसकी धारा ४३ जैसा इस अमेंडमेंट में लिखा है।

श्री अध्यक्ष---वह पढ़ कर आप सुना दें, आपके पास है?

श्री अब्दुल मुईज खां---वह इस प्रकार है-"Every Gaon Sabha in a circle shall elect five adults of prescribed qualification" इतने ही से काम चल जायगा। वहां तक गांव सभा पंचायती अदालत के सदस्यों को चुनेगी और हम जिस खंड को इस वक्त ले रहे

---

*संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २२ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

†४ मई, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

हैं और जिस पर यह अमेंडमेंट है, पूरा अमेंडमेंट जिस पर आधारित है वह यह है कि एलेक्शन के बाद नामिनेशन होगा। तो अगर "४३ आफ दी प्रिंसिपल ऐक्ट" इसमें कायम रहा अमेंडमेंट में, तो पूरा खंड असंगत हो जाता है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---अध्यक्ष महोदय, जो आपत्ति श्री अब्दुल मुईज़ खां साहब ने की है उसके संबंध में मुझे यह कहना है कि पहले तो जो माननीय मंत्री महोदय का ड्राफ्ट है उसमें केवल प्रिंसिपल ऐक्ट बढ़ाया है। लेकिन जहां तक मुईज खां साहब की आपत्ति है मैं उनका और आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सेक्शन ३३ आफ दी अमेंडिंग बिल जो है उसमें सेक्शन ४३ आफ दि प्रिंसिपल ऐक्ट के संबंध में संशोधन पेश किया है। ३३ खंड के संबंध में भी मैंने एक संशोधन पेश किया है जो कि वर्तमान संशोधन के अनुकूल है।

श्री अब्दुल मुईज खां---जैसा अभी बालेन्दुशाह जी ने फरमाया, संशोधन में सेक्शन ४३ आफ दि ऐक्ट है "आफ दि प्रिंसिपल ऐक्ट" नहीं है। अगर आप "आफ दि प्रिंसिपल ऐक्ट" की शब्दावली से अमेंडमेंट पास हो जायगा तो इसके मानी यह हो जायंगे कि 'सेक्शन ४३ आफ दि प्रिंसिपल ऐक्ट'।

श्री अध्यक्ष---वह तो कह रहे हैं कि उन्होंने खंड ३३ में भी एक संशोधन किया है जो इस संशोधन के अनुरूप है।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---अध्यक्ष महोदय, जो मुईज़ साहब की आपत्ति है वह यह है कि 'प्रिंसिपल ऐक्ट' होने की वजह से जो ओरिजिनल ऐक्ट में है, उसका संशोधन होगा अमेंडिंग बिल में। तो रेफरेंस जो प्रिंसिपल ऐक्ट का हो गया प्रिंसिपल ऐक्ट की भाषा इनकारपोरेट हो गयी। जो संशोधन में है वह सेक्शन ४३ है। सेक्शन ४३ जैसा होगा वह अप्लाई किया जायगा। इसलिये प्रिंसिपल ऐक्ट अगर न हो तो उनकी आपत्ति नहीं रहेगी। इसलिये अगर इस विषय को लिया जाय तो मेरी प्रार्थना है कि "आफ दि प्रिंसिपल ऐक्ट" हटा दिया जाय। इसको हटाने के बाद ठीक हो सकेगा। तब इस पर गौर किया जाय।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा "आफ दि प्रिंसिपल ऐक्ट" हटा दिया जाय। हालांकि मैं उनसे सहमत नहीं हूं, लेकिन अगर वह आपत्ति इससे दूर हो जाती है तो उसके हटाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसके महत्व को कोई चोट नहीं पहुंचती है।

श्री अध्यक्ष---विधेयक में यह दिया हुआ है--

"has selected five persons or such lesser number as aforesaid under section 43"

४३ धारा किस ऐक्ट की है ?

श्री मोहन लाल गौतम---सेक्शन ४३ जब यहां आया तो सेक्शन ४३ जैसे अमेंडेड होगा वह भी एप्लाई हो जायगा और अमेंडेड का मतलब यह है कि पांच, तीन, दो या एक जो भी होगा, वह ४३ में इन्क्लूड हो जायगा, ऐज अमेंडेड और यह प्रिंसिपल ऐक्ट में फिर इन्क्लूड नहीं होगा, बल्कि उसकी भाषा इनकारपोरेट हो जायगी।

श्री अध्यक्ष---माननीय बालेन्दुशाह जी को अब तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है ?

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---जी हां, कोई आपत्ति नहीं है। जैसा मैं कह रहा था अब्दुल मुईज़ खां जी की जो पहली आपत्ति है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो रामनरेश जी शुक्ल ने कम्प्रोमाइज के सम्बन्ध में कहा उसके संबंध में एक यह "एनकडोट" पेश करना चाहता हूं। एक समय ऐसा हुआ कि एक नैरो ब्रिज में जहां दो गाड़ियां इकट्ठी पास नहीं कर सकती थीं एकाएक दो दिशाओं से दो गाड़ियां आ पहुंची। एक तो उनमें बड़ी ट्रक थी और दूसरी छोटी सी गाड़ी थी। नतीजा यह हुआ कि पुल पर ट्राफिक जाम हो गया। बड़ी गाड़ी वाला अपनी बड़ी गाड़ी के अहंकार और जोश में चिल्लाकर कहने लगा "आई नेवर बैक फ़ार ए

[महाराज कुमार बालेन्दु शाह]

फूल" (मैं किसी बेवकूफ की खातिर गाड़ी पीछे कभी नहीं हटाता।) छोटी गाड़ी वाले ने जवाब दिया "आई आलवेज डू" (मैं हमेशा हटा लेता हूं।) और उसने गाड़ी बैक कर ली। यही हाल यहां पर है। इस बहुमत की गवर्नमेंट का सामना हमें करना है। "फूल" का उदाहरण मैं उसी रूप में पेश नहीं करता, लेकिन जब यह प्रतीत होता है कि बात चाहे ठीक हो या गलत हो उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो एक प्रकार से जैसा श्री गेंदा सिंह जी ने कहा कि चाहे यह सत्तू हो इस को स्वीकार कराने की कोशिश हमारी तरफ से है। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस कम्प्रोमाइज के फार्मूले को सत्तू के समान ही समझें। जो सिमली उन्होंने दी है मैं भी उससे सहमत हूं और मैं भी यह चाहता हूं कि न्याय पंचायतों के पंचों का चुनाव खुल्लमखुल्ला हो। उसमें किसी प्रकार से भी न किसी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का, न माननीय मन्त्री महोदय का और न किसी का भी प्रभाव उसके ऊपर पड़े। कोई भी बाधा किसी तरह के उनके काम न पड़े और न कोई किसी प्रकार की अड़चन उसमें डालने की कोशिश करे। यह जो फार्मूला हमारी तरफ से दिया गया है वह ऐसा है कि सरकार की जो यह इच्छा है कि उसमें किसी हद तक न्याय पंचायत की निगरानी रहे तो वह भी हल हो जाती है। इस सम्बन्ध में माननीय राम नरेश जी ने कहा था कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के द्वारा एलेक्शन कराने में फायदा है, किन्तु चुने हुये न्याय पंचों के द्वारा स्वीकार करने में बहुत अन्तर है इसलिये कि मनमानी नहीं हो पायेगी। किसी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की बात को अस्वीकार करने के लिये माननीय मंत्री महोदय को हिम्मत और करेज दिखाना पड़ेगा। यदि जैसाकि मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ऐसी हिम्मत रखते हैं और ऐसा करेज उनमें होगा तो फिर उनके सामने इस सुझाव से कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति गांव पंचायत के द्वारा न्याय पंचायत के लिये चुन लिया जाता है तो माननीय मंत्री महोदय या प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उसको डिसएप्रूव कर सकती हैं। जहां तक इसका प्रेक्टिकल सवाल है उसमें कोई ऐसी समस्या दिखाई नहीं देती जिससे माननीय मंत्री महोदय के सामने कोई बड़ी बाधा रास्ते में दिखाई पड़ती हो। इसलिये मैं अधिक न कह कर अन्त में यह कहूंगा हालांकि माननीय राम नरेश जी इस बात से सहमत हैं कि गांव पंचायत के द्वारा न्याय पंचायत बने, किन्तु यह सम्भव है कि रामनरेश जी की भावना भिन्न हो सकती है। रामनरेश जी सही हों या मैं सही हूं यह एक असंगत बात है। जहां तक मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में वही न्याय हमको मानना चाहिये, जिसको जनता न्याय समझे। हमारे बीच में यदि चोरी हो तो उस आदमी को न्याय मिले। हम विशेषरूप से चाहते हैं कि यह सम्भव हो कि यदि गाव में किसी प्रकार की चोरी हो जाय और उसके सम्बन्ध में जनता वर्तमान कायदे के अनुसार उसको कोई उतना अपराध गम्भीर न समझे तो हमको इस पर एतराज नहीं होना चाहिये। न्याय पंचायत जनता के बीच में न्याय पहुंचाने के लिये स्थापित की जा रही है न कि माननीय मन्त्री महोदय या माननीय रामनरेश जी के या मेरे विचार के अनुसार जो न्याय हो उसको प्रचलित करने के लिये। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरा यह विश्वास है कि मेरे संशोधन से माननीय मंत्री महोदय की इच्छा पर कोई आघात नहीं पहुंचता है और हालांकि मुझे यह संशोधन मजबूरी की हालत में पेश करना पड़ा किन्तु 'सम थिंग इज़ बैटर दैन नथिंग' के अनुसार मैंने इसको पेश किया है और मेरा विश्वास है कि यदि वह इसको स्वीकार कर लेते हैं तो इससे जनता के बीच में न्याय पंचायतों की प्रशंसा बढ़ेगी। न्याय पंचायतों के ऊपर उनका विश्वास और भरोसा बढ़ेगा। यदि इसको माननीय मन्त्री महोदय स्वीकार नहीं करते हैं और ज़िद में आकर अपने द्वारा ही नियुक्त किये गये पंचों को जनता के बीच में स्थापित करते हैं जो कि एक प्रकार से उनकी ही सरकार स्थापित होती है तो मुझे भय है कि वह एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जिस पर माननीय मंत्री महोदय को और मुझे पूरा फाउन्डर होने का अन्देशा है।

*श्री मोहनलाल गौतम--श्री बालेन्दुशाह ने मुझे यह कहा कि मैंने इस विधेयक को यहां पर रख कर सदन का अपमान किया है तो उस वक्त मुझे खयाल आया कि कैसे अपमान हुआ और क्या हुआ। क्योंकि मेरे दिमाग़ में यह नहीं था, लेकिन मैं यह जरूर समझ गया कि जिस माननीय सदस्य के दिमाग़ में इस विधेयक को रखने से अपमान होता हो उन्होंने स्वयं इस पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दस्तखत किये, जब कि यह विधेयक ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी से इस सदन में आया तो उन्होंने ही इस सदन का अपमान किया। सवाल यह है कि मेरे दिमाग में तो सदन का अपमान नहीं था, लेकिन जिस माननीय सदस्य ने सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर की हैसियत से इस पर दस्तखत किये और यह कहा कि प्रवर समिति के कुछ निर्णयों में वह अपने संशोधन लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हैं, अर्थात् इस बात को उन्होंने नहीं कहा कि विधेयक सदन में न रखा जाय बल्कि यह कहा कि रखा जाय और वह उसमें संशोधन पेश कर सकें। तो उनके अब के स्टेटमेंट के हिसाब से क्या प्रायश्चित वह करें, यह वह खुद जानें। कम से कम मैंने सदन का अपमान करने के लिये विधेयक यहां नहीं रखा।

बहस कुछ इधर उधर हो गई। जो लोग यह समझते थे कि इलेक्शन ठीक है और जब उधर का अमेंडमेंट नामंजूर हो गया तो माननीय गेंदा सिंह जी ने और कुछ और माननीय सदस्यों ने इस बात पर बहस करनी शुरू कर दी कि इलेक्शन इसमें भी हो। इसका तो मतलब यह है कि अथारिटी अभी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी रहे चाहे उसके नामीनेट करने की बात हो या कन्फर्म या एप्रूव करने की हो। बालेन्दुशाह जी का संशोधन सिर्फ रिकमेंडेशन की हैसियत रखता है। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को कन्फर्म या एप्रूव करने का अधिकार है, चाहे वह माने या न माने। यहां इलैक्शन नहीं है, यहां सिर्फ रिकमेंडेशन है क्योंकि अगर रिकमेंडेशन कन्फर्म नहीं होगी तो वह मानी नहीं जायगी। अब सवाल यह है कि क्या आप अपने पंचों को इस हैसियत में डालना चाहेंगे कि उनके चुने हुये को प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नामंजूर कर दें। अगर उसने नामंजूर कर दिया और कोई पंचायत गुस्से में आकर यह कहे कि हमने इन ५ आदमियों को रिकमेंड किया और चूंकि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ने नामंजूर कर दिया तो हम दूसरी सिफारिश नहीं करते, तो ऐसी परिस्थिति के लिये बालेन्दुशाह जी की स्कीम में कोई प्रावीजन नहीं है। इसलिये वह वकबिल नहीं है। मैं पंचों को इस पोजीशन में नहीं डालना चाहता कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उनकी रिकमेंडेशन को नामंजूर कर दे। कोई भी स्कीम पूरी होनी चाहिये। बीच की चीज, जिसे कि गोल्डन रूल समझा जाता है, उसमें गड़बड़ होने का अन्देशा रहता है। पंचों ने सेलेक्ट किया, इलैक्ट किया, लेकिन प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ने नामंजूर कर दिया तो डेडलाक हो गया, तो फिर पंचायती अदालत कैसे बनेगी? प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उनकी स्कीम में फ़ाइनल है अर्थात् अन्तिम आज्ञा उसकी चलेगी। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी साफ़ नहीं है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस ऐक्ट में एक तालिका दी हुई है और प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जगह जगह पर अलहदा-अलहदा है। आडिट करने के लिये, इंस्पेक्शन करने के लिये, अलहदा होगी, इसी तरह है। माननीय सदस्य इस तालिका को देख सकते हैं। अब कई साहेबान कहने लगे कि थानेदार प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी हो जायगा। अगर ऐसा होगा तो बालेन्दुशाह जी की स्कीम में वही थानेदार प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी रहेगा और वही फ़ाइनल बर्ड होगा। इसलिये प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के बारे में अधिक बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बालेन्दुशाह जी ने प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को माना है और माना ही नहीं है बल्कि उतना ही माना है जितना कि मैंने माना है। उन्होंने कहा कि यह एक समझौता है, लेकिन यह समझौता ही नहीं इसमें दोनों की अच्छी बातों को तो छोड़ दिया गया है और ग़लत बातों को ले लिया गया है और इस तरह से यह समझौता पेश किया गया है। इसलिये मुझे यह मंजूर नहीं है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—मैं कुछ पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। जहां तक अपमान का सवाल है मेरा विचार यह है कि सदन के सामने जो विधेयक पेश हुआ है, उसमें मुख्य बात प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की है जिसकी परिभाषा भी इस विधेयक में नहीं है और उस पर यह विधेयक बहुत हद तक निर्भर है। ऐसी हालत में भी सरकार बहुमत के जोर से एक प्रकार से हम लोगों से सफ़ेद काग़ज़ पर दस्तखत करा लेना चाहती है। यह सदन का एक प्रकार से अपमान है।

श्री मोहनलाल गौतम—यह सफाई नहीं है। आपने कोई नोट आफ डीसेंट भी नहीं दिया, दस्तखत कर दिये और कहा कि पेश कर दो। मैंने उनके कहने से पेश कर दिया, इसमें मैंने क्या अपमान कर दिया?

श्री अध्यक्ष—यह बहस नहीं है । उनको जो पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना था, उन्होंने दे दिया अब उसका परिणाम माननीय सदस्यों के हृदयों पर जो कुछ होना है होगा ।

प्रश्न यह है कि खंड १४ के अन्तर्गत प्रस्तावित धारा "12-A" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"12-A. For the purpose of electing members of a Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from its members such number as shall exceed by five (or if any lesser number is fixed in any case as shall exceed by such number) the number prescribed under sub-section (2) of section 12, but only such of them as remain after those persons elected by the Gaon Sabha have from amongst themselves elected five persons or such lesser number as aforesaid under section 43 for membership of the Nyaya Panchayat, and approved and confirmed by the Prescribed Authority, shall be members of the Gaon Panchayat."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि.....

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले यह फैसला हो जाना चाहिये कि जब मेम्बर्स के इलेक्ट होने का एक अमेंडमेंट गिर चुका है तो क्या फिर पेश किया जा सकता है । सदन जिस चीज को अस्वीकार कर चुका है माननीय तेज नारायण जी का संशोधन उसको कवर करता है ।

श्री अध्यक्ष—श्री तेज प्रताप सिंह जी आप बतायें कि इसमें फर्क क्या है ?

श्री तेज प्रताप सिंह—विष्णुदयाल जी का संशोधन तो सिर्फ यह था कि वे इलेक्टेड हों लेकिन उसमें यह निश्चित नहीं था कि कहां से इलेक्टेड हों, परन्तु मेरे संशोधन में यह है "from amongst themselves." ।

श्री अध्यक्ष—इसमें थोड़ा सा अन्तर जरूर है । इसके पेश करने की मैं इजाजत देता हूं ।

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, बेहतर तो यह होता कि जिस समय संशोधन पेश किया गया था उस समय ही अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट पेश कर दिया जाता । इसके ऊपर काफी बहस हो चुकी है और इस तरह से एक एक लफ्ज बढ़ा कर अलग अलग अमेंडमेंट पेश करने की इजाजत आपने दे दी तब तो सदन का बहुत समय लगेगा । तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दे दें ।

श्री अध्यक्ष—यह तो उस वक्त प्वाइंट आउट नहीं हुआ । यह तो एजेंडे पर भी था । अगर उस वक्त यह सुझाव आ जाता तो मैं इस तरह की बात स्वीकार कर लेता ।

श्री मोहन लाल गौतम—तो आगे के लिए ऐसी व्यवस्था हो जाय, तो ठीक है ।

श्री अध्यक्ष—हां, आगे के लिये हो जायगी ।

श्री तेज प्रताप सिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित नयी धारा "12 - A" की पंक्ति ७ में शब्द "after" तथा पंक्ति ९ में शब्द "for" के बीच के शब्द हटाकर निम्नलिखित रख दिये जायं—
"They have elected five persons or such lesser number as aforesaid from amongst themselves."

यह जो संशोधन माननीय मंत्री जी इस सदन के सामने लाये हैं मैं समझता हूं कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें खासतौर से न्याय पंचायतों के संगठन के बारे में एक नया प्रोविजन रखा गया है। ग्राम सभाओं, ग्राम राज्य की जो कल्पना की गयी है उसके दो ही अंग हैं। एक तो ग्राम पंचायतों का और दूसरा न्याय पंचायतों का। इसीलिये यह एक विशेष महत्व रखता है जब उसके संगठन के बारे में हम कोई तब्दीली करते हैं और इस महत्वपूर्ण मसले में.....

श्री अध्यक्ष--एक बात मैं इस संशोधन में देखता हूं जो महाराज कुमार बालेन्दुशाह जी के संशोधन में भी थी "Those persons elected by the Gaon Sabha have from amongst themselves elected five persons or such lesser number" तो इन शब्दों में और उसमें क्या अन्तर है?

श्री तेज प्रताप सिंह--अध्यक्ष महोदय, उनके संशोधन में था "and approved and confirmed by the prescribed authority."

श्री अध्यक्ष--लेकिन वह प्रिंसपल तो उसमें आ चुका है "those persons elected by the gaon sabha"। जब यह चीज पहले आ चुकी है तो फिर मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री तेज प्रताप सिंह--श्रीमन् उसमें है कि "and approved and confirmed by the prescribed authority।"

श्री अध्यक्ष--तो आप उस सिद्धांत को हटा देते हैं?

श्री तेज प्रताप सिंह--जी हां।

श्री अध्यक्ष--तो आप मुख्तसर ही बोलें इस पर ज्यादा विवाद नहीं होना चाहिये क्योंकि यह स्वल्प संशोधन है।

श्री तेज प्रताप सिंह--तो यह जो दलील दी गयी है, मैं समझता हूं कि खासतौर पर इस एलेक्शन से पार्टीबन्दी बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि पार्टीबन्दी के इस युग में डेमोक्रेसी का प्रोसेस रोका नहीं जा सकता और हम सबको इस बात का भान होगा कि हर गांव में पार्टीबंदी है। तो यह तर्क पेश करके अगर इस तरह का तर्क करें कि पार्टीबंदी इस नामिनेशन से खत्म हो जायगी, यह नहीं होगा। दूसरे जो हम नामिनेशन करने की व्यवस्था लाते हैं तो इस संशोधन के द्वारा यह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी आती है तो आखिर नामिनेशन किस प्रकार हो। नामिनेशन ऐसे व्यक्ति द्वारा हो जो इतना महान् हो, जो जेनरल विल रेप्रेजेंट करता हो। तब यह माना जा सकता है कि वह ग्रामीण जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक सही बात करता है और उससे फिर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। एक व्यक्ति जो काम करता है वह सब के हित में करता है और वह इतना महान् है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन आज जो समाज का नैतिक स्तर गिरा हुआ है उसको सभी स्वीकार करते हैं और तब हमारे लिए यह प्रश्न उठता है कि ऐसे समय में जब कि हमारा नैतिक चरित्र इतना ऊंचा नहीं है तब हम आखिर क्या व्यवस्था करें। तब ऐसा प्रश्न आता है कि हम उन्हें ग्राम समाजों पर, उन्हीं ग्रामीण भाइयों पर यह जिम्मेदारी छोड़ें कि वह अपना काम स्वयं करें जिससे उनका स्तर अपने आप ऊंचा होगा। जब उनकी जिम्मेदारियां उन पर होंगी तभी उनका चरित्र निर्माण हो सकता है, अन्यथा अगर बाहर से कोई व्यवस्था कायम की जाय तो यह हो नहीं सकता है। माननीय सदस्य इस बात को महसूस करेंगे कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा जिन व्यक्तियों का नामिनेशन होगा वे सही न्याय कर सकेंगे या नहीं, इस विषय में दोनों पक्ष में दलीलें दी जा सकती हैं, लेकिन जितने भी व्यक्ति उस पेनल में चुने जायंगे तो यह स्वाभाविक है कि सभी में यह महत्वाकांक्षा होना लाजमी है और वह होती है कि मैं न्याय पंचायत में जाकर काम करूं और यह प्रकट भी होगा कि ५ या उससे कम जो संख्या होगी वही न्याय पंचायतों में काम करेगी। तो इससे यह भावना पैदा होती है कि सभी इस कमेटी में जाना चाहते हैं और उसके लिए दौड़ धूप शुरू हो जाती है। आज के नैतिक स्तर से यह जाहिर है कि दौड़ धूप

[श्री तेजप्रताप सिंह]

और एप्रोचेज जरूर होंगी और उससे उन्हीं का स्तर नहीं गिरेगा बल्कि उन जिम्मेदार व्यक्तियों का भी स्तर गिरने का भय है, जो ऐसी कोशिश करने के लिए मजबूर होंगे। जबकि हम ऐसे संकट के समय से गुजर रहे हैं तब तो नैतिक स्तर ऊंचा करने की और भी अधिक आवश्यकता है और हमें ऐसी प्रणाली को मौका न देना चाहिए जिस से हमारे जन-समाज और विशेष कर ग्राम-समाज उससे वंचित रहें और उसका स्तर निरन्तर गिरता चला जाय। बार बार हमारे नेताओं ने यह बात कही है कि हमें किसी दूसरे पर निर्भर न रहना चाहिये, और किसी का भरोसा न करना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उन्हीं भावनाओं से प्रेरित हो कर मैंने यह संशोधन रखा है और आशा है कि माननीय सदस्य इसे स्वीकार करेंगे। माननीय सदस्यों ने जिस पंचायत राज्य ऐक्ट को पास किया था वह निस्संदेह सराहनीय है और वह इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। यह भी सत्य है कि समय बदलने पर कुछ चीजों में संशोधन करने की भी आवश्यकता होती है लेकिन उनमें रद्दोबदल करते समय हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हम जिन लोगों को यह शक्ति दे रहे हैं और जिनमें यह प्रणाली कायम करने जा रहे हैं उनके नैतिक स्तर में इस से गिरावट तो न होगी और उनकी स्वावलम्बन की भावना तो खत्म न होगी। इसलिए इस बिल में सबसे आवश्यक और सब से महत्वपूर्ण यही धारा थी, जिस पर मैं चाहता था कि माननीय मंत्री जी से कुछ निवेदन करूं। हमें उन में इस स्वावलम्बन को बढ़ाना चाहिए, उनमें वह जोश और जीवन पैदा करना चाहिए और उन्हें वह शक्ति देनी चाहिए कि जिससे वह लोग न्याय पंचायतों और दूसरी चीजों में आगे बढ़ें और वह वहां की जनता के विश्वासपात्र बन सकें। हम कोई प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जैसी कोई चीज लाद देते हैं, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी किसी व्यक्ति पर आक्षेप अवश्य नहीं है, सब जगह अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन एक सिद्धांत की बात सामने रखते हुए मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस दौड़ धूप और नैतिक गिरावट को रोकने का यही एक साधन है। कोई व्यक्ति जो महत्वाकांक्षा रखता हो उसके लिए यह जरूरी है कि वह लोगों में जाय और विश्वास हासिल करे और तब आगे बढ़ सके। इस कारण मैं मंत्री जी से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि इस पर विचार करके इस संशोधन को वापस कर लें। हमारा इतिहास भी ऐसा रहा है जब हमारे गांवों में पंचायतें हुआ करती थीं। लोग कहते हैं कि जुडीशियरी को एलेक्टेड नहीं होना चाहिये। हमारे यहां गांवों में एलेक्शन तो दूर रहा हमेशा आपस में फैसले हुआ करते हैं। गांवों में ऐसे स्थान अब तक मौजूद हैं जहां पर लोग इकट्ठे हो कर छोटे मोटे मसलों पर विचार करके फैसला किया करते हैं। इस ऐतिहासिक सत्य को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि भारतवर्ष जो अपना संसार में एक विशिष्ट स्थान रखता है उसमें हमारी प्रणालियों को भी प्रश्रय मिले उन्हीं जड़ों में पानी डालना चाहिये जिससे वह पौधा मजबूत हो जिससे हम बाहर की ओर न देखें कि बाहर कौन सी प्रणालियां चलाई गयी। हमें अपने यहां की प्रणालियों पर ध्यान देना चाहिए, उनमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल करके उन्हीं पर मजबूती से कार्य करने की जरूरत है इस मूलभूत सिद्धांत को हमें छोड़ना नहीं चाहिये। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, जो बात मैंने उठायी थी उस बात की सफाई अभी तक नहीं हो पायी। वह यह कि विष्णुदयाल जी ने कहा था कि वे मेम्बर चुन लें और आपने कहा कि अपने में से ही चुन लें। विधेयक की जो यह धारा है वह कहती है कि गांव पंचायतों के कुछ मेम्बर होंगे। गांव सभाओं की तरफ से न्याय पंचायतों के लिये जितने सदस्य चुने जायंगे वह दोनों की संख्या मिलाकर चुने जायंगे और उसमें जितनी न्याय पंचायत के लिए संख्या होगी जब प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उनको छांट देगी तो बाकी गांव पंचायत के मेम्बर रह जायेंगे। मान लीजिये कि २१ और ३ गांव पंचायत और न्याय पंचायत के मेम्बर चुने जाने वाले हैं तो २४ चुने जायंगे और उनमें से तीन छंटने के बाद ही २१ रहेंगे। जब तक २४ नहीं चुने जायेंगे तब तक २१ कैसे रहेंगे तो एमंग्स्ट दैमसेल्व्ज उसमें इम्प्लाइड है और उसके बिना तो स्कीम ही वर्क नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष--यह प्रस्तुत संशोधन की वैधानिकता के ऊपर दूसरा तर्क माननीय स्वशासन मंत्री ने उपस्थित किया है उसमें काफी बल है।

श्री तेजप्रताप सिंह--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे और विष्णुदयाल जी के संशोधन में फर्क है। मैं नहीं चाहता कि उस पर कोई बंधन रहे। मैं यह चाहता हूं कि अपने में से वे खुद चुन लें और विष्णुदयाल जी का जो संशोधन था उसमें था कि एलेक्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष--उसमें इसमें कोई अन्तर नहीं होता। उनका खयाल यह है कि आदमी छांट लिये जायेंगे जो चुने हुए सदस्यों में से ही होंगे।

श्री तेज प्रताप सिंह--वह एमंग्स्ट देमसेल्ब्ज नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष--उन्हें अपने में से ही लेना पड़ेगा क्योंकि आगे यह दिया है कि बाकी जो बचेंगे वह गांव सभा की चुनी हुयी गांव पंचायत के मेम्बर रह जायेंगे। उनका यह कहना तर्कसंगत मालूम होता है और परिणाम में दोनों में कोई अन्तर नहीं है। इसलिए मैं इसको अवैध करार देता हूं क्योंकि आपने उसका कोई उत्तर ठीक दिया नहीं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं।

"खण्ड १४ में प्रस्तावित धारा 12—A निकाल दी जाय।"

अध्यक्ष महोदय, इसमें कई धारायें हैं और एक प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि मैं इस खंड का विरोध कर रहा हूं लेकिन चूंकि कई धाराओं से इसका सम्बन्ध है इसीलिए मैंने यह संशोधन किया है कल से कई बार इस न्याय पंचायत के बनाने के सम्बन्ध में विचार विनिमय हुआ है। कुछ ऐसे फारमूले भी लाये गये जिनको कम्प्रोमाइजिंग कहा जा सकता है...

श्री अध्यक्ष--आप 'कम्प्रोमाइज फार्मूला' शब्द तो कहें लेकिन 'कम्प्रोमाइजिंग' शब्द न कहें क्योंकि उसका अर्थ जरा आपत्तिजनक हो जाता है।

श्री गेंदा सिंह--सुलह करने की कोशिश तो की गयी थी लेकिन माननीय स्वशासन मंत्री जी ने मानने से इन्कार कर दिया। इसलिए मजबूर हो करके हमको कहना पड़ रहा है कि इस खंड को यहां से निकाल दिया जाय। मैं समझता हूं कि इस खंड को निकाल देने से कुछ कठिनाइयां सामने आ सकती हैं लेकिन जितनी कठिनाइयां इसके रहने से आयेंगी उससे कम कठिनाइयां इसके निकाल देने से आयेंगी। न्याय पंचायत के सम्बन्ध में मैंने कल भी कुछ निवेदन किया था और मैं आज भी इस बात को कहने के लिये तैयार हूं कि न्याय का स्थान अगर ऐसे लोगों से अछूता रखा जाय जिनका शासन से सम्बन्ध है तो यह ज्यादा अच्छा होगा, जनता के लिए, सरकार के लिए और जिनके ऊपर इन्साफ का बोझ होता है उनके लिए या जो इन्साफ कराने के लिये जाते हैं न्यायाधीशों के पास, इन सब के लिए अच्छा होगा और बहुत सोचने समझने के बाद हमारे संविधान में इस बात की गुंजाइश की गयी थी कि जितना भी जल्दी हो सके न्याय और शासन को पृथक् कर दिया जाय। उसके अनुसार हमारे प्रदेश में भी चाहे वह नाममात्र को ही कहा जाय—फिर भी यत्न तो किया गया है कि न्याय और शासन को पृथक् पृथक् किया जाय सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पंचायत के कानून पर संशोधन करने के लिये एक कमेटी बैठी। उस कमेटी में ऐसे माननीय सदस्य हैं जिनकी बुद्धि पर हम भी भरोसा कर सकते हैं और उन्होंने बहुत सोच समझ लेने के बाद जो अपनी राय कायम की, मैं नहीं समझता कि उस राय को बदल देने का क्या कारण सरकार के पास है। मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी इस बात पर आज जरूर प्रकाश डालेंगे। मेरा उनसे यह बहुत नम्र निवेदन है, आरजू है कि जिस कमेटी के चेयरमैन वे थे उस कमेटी में उन्होंने कभी इस प्रकार की राय नहीं दी कि न्याय पंचायतों का गठन इस प्रकार से होना

[श्री गेंदा सिंह]

चाहिए जैसा कि विधेयक में है और न किसी माननीय सदस्य ने उसमें से अपनी ऐसी राय जाहिर की कि न्याय पंचायतों का इस प्रकार संगठन होना चाहिये। लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुयी और मुझे तो ऐसा लगता है कि सम्भवतः यह विधेयक जो हमारे सामने आया है उसका भी ज्ञान इस कमेटी को था। उसकी रिपोर्ट जो है उससे मुझे ऐसा मालूम होता है कि उसने उस पर भी अपनी सम्मति दी और यह कहा कि जो यह सोचा जा रहा है कि न्याय पंचायतों को नामजद किया जाय यह गलत बात है। उन्होंने एक मत से यह कहा कि जो इस समय प्रथा प्रचलित है गांव सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव की वही प्रथा प्रचलित रहनी चाहिये। माननीय ब्रजविहारी मिश्र, माननीय स्वशासन मंत्री जी और भी माननीय सदस्य उस तरफ के रहने वाले और माननीय मलखान सिंह जी और बड़े बड़े ऐसे लोग उस कमेटी में में रहे हैं जिन पर मैं समझता हूं कि कम से कम इस पंचायत की रिपोर्ट लिखने के सम्बन्ध में मैं उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ इस पर विचार किया है और इस रिपोर्ट को लिखा है। इस कमेटी की रिपोर्ट के आ जाने के बाद सरकार को कुछ होश आया या बेहोशी हुयी, दोनों बातें कही जा सकती हैं। सरकार को यह खबर थी कि यह जो कमेटी बनी है उस कमेटी की ऐसी रिपोर्ट आयेगी जिससे वह इन पंचायतों को जिस प्रकार चाहे घूमने वाली बना सकती है। मगर यह रिपोर्ट दूसरे प्रकार की आ गयी। इस तरह से, पूरी तरह से एक्सपोजर हमने कभी सरकार को होते हुए नहीं देखा। कम से कम इस असेम्बली के मेम्बरी के जीवन में। जिस प्रकार इस सरकार का अस्पष्ट रूप जो है वह इस विधेयक द्वारा दिखायी दे रहा है। इस विधेयक के लाने से, मुझे कुछ ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय, कि इस विधेयक का सम्बन्ध शायद जिला बोर्डों के चुनाव से भी है। हालांकि इस विधेयक में कहीं जिला बोर्डों से सम्बन्ध रखने की बात नहीं की गयी है। जिला बोर्डों का अब तक जो चुनाव होता था वह प्रत्यक्ष चुनाव होता था। लेकिन अब सुनता हूं कि जिला बोर्डों के चुनाव का इन पंचायतों के चुनाव से सम्बन्ध होगा और जिला बोर्डों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा तो मुझे कुछ ऐसा संदेह होता है कि इन पंचायतों को सरकार ऐसा बनाना चाहती है कि इसी बुनियाद पर फिर जिला बोर्ड भी ऐसे ही बनें जैसी की सरकार की इच्छा हो, या होगी। अब मैं न्याय पंचायतों के बारे में इस समय कह रहा हूं कि सारे विधेयक के देखने के बाद ऐसा लगता है कि साधारण तौर पर एक आदमी को शिकायत हो सकती है कि क्या जिला बोर्डों के चुनाव को दृष्टि में रख कर तो ऐसा भेद नहीं किया जा रहा है। जहां कहीं भी हो....

श्री अध्यक्ष--इस विधेयक में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में तो कुछ है नहीं। आप कल्पना करके हमला कर रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह--मैं कल्पना की दुनिया में तो नहीं रहना चाहता। मैं भी जो सामने है उसी को देखना चाहता हूं। लेकिन कभी कभी इस तरह की कल्पना होती है जिसको मैंने कह दिया। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय स्वशासन मंत्री जी से कि आखिर उस कमेटी की रिपोर्ट से क्यों नाराज हो गये और उनकी बेशकीमत राय जो हमारे सामने इस सदन में आ रही है उससे उन बेचारे माननीय सदस्यों को जो उनकी कमेटी के मेम्बर थे क्यों नहीं लाभ उठाने दिया। यह उनके साथ बड़ा भारी अन्याय है कि जो मत इतना कीमती समझते हैं माननीय स्वशासन मंत्रीजी और अपना मत यहां देते हैं लेकिन वहां मत कमेटी में नहीं दिया। आज वह माननीय सदस्य को बड़ी कठिनाई होती है कि माननीय स्वशासन मंत्री जी जब इस प्रकार का मत सदन में दे रहे हैं तो वे बेचारे भी बड़े धर्म संकट में हैं कि वे क्या करें। जिन्होंने कमेटी में दूसरी राय दी थी। माननीय ब्रज विहारी जी मिश्र को मैं जब कहता हूं कि आपने इतनी जल्दी क्यों राय बदल दी, वह तो बड़े बुजुर्ग और गम्भीर आदमी हैं, मैं उनसे अच्छी तरह परिचित हूं, उनके सामने तो मैं बच्चा हूं और माननीय मिश्र जी मुझको बच्चा समझ कर एक खिलौना दे देते हैं, कभी वह मुझको समझाने की कोशिश नहीं करते। तो अब मैं कम से कम समझने का हकदार हूं और वह माननीय सदस्य भी समझने के हकदार हैं कि उनके साथ उस कमेटी

में क्यों अन्याय किया गया । मैं समझता हूं कि कमेटी की रिपोर्ट माननीय स्वशासन मंत्री जी ने पढ़ी होगी । यह साधारणतौर पर हमें विश्वास है कि चूंकि वे इस कमेटी के चेयरमैन रहे हैं इसलिए वे इसके एक एक पैरा से वाकिफ होंगे। इसमें २९ वें पन्ने से न्याय पंचायत पर जो मत प्रकट हुए हैं शुरू हुये हैं और काफी दूर तक इस पर विचार किया गया और ४२, ४३ पेज तक विचार किया गया है और ऐसे लफ्ज इसमें लिखे गए हैं कि एक बार मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि कम से कम इन थोड़े से पन्नों को जरूर पढ़ लें। इन ५–७ पन्नों को पढ़ने के बाद फिर हम लोगों को दलील देने के लिए कोई बात नहीं रह जाती । इसको मैंने बड़े गौर से पढ़ा है और मैं समझता हूं कि एक बार अगर गौर से कोई माननीय सदस्य इसको पढ़ जांय तो माननीय स्वशासन मंत्री जी ने जो कुछ भी यहां कहा वह उसे स्वीकार नहीं करेगा और यह समझेगा कि माननीय स्वशासन मंत्री किसी एक कारण से यहां इस तरह की बात कह रहे हैं । इसलिए मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य इसको पढ़ने के बाद अपना मत स्थिर करेंगे कि जो न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में इस समय सोचा जा रहा है वह ग़लत सोचा जा रहा है। इसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा चाहूंगा कुछ पढ़ने के लिये।

श्री अध्यक्ष––उसका जो अंतिम फैसला है उतना ही हिस्सा आप पढ़ कर सुना दें। अगर पूरी किताब पढ़ना शुरू कर दें तो मैं इजाजत नहीं दूंगा । आप आर्गूमेंटस तो दे चुके हैं।

श्री गेंदा सिंह––पूरी किताब तो मैं नहीं पढ़ूंगा अध्यक्ष महोदय । मैं ३७ वें पेज पर २० वें पैराग्राफ से कुछ पढ़ देना चाहता हूं। उसमें लिखा है :––

"Those who were opposed to the system of elected judiciary, perhaps, did not fully appreciate that there could be any alternative."

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)––मेरी गुजारिश है कि यहां की जबान तो हिन्दी हो गयी है। रिपोर्ट हिन्दी में भी है।

श्री अध्यक्ष––आपके पास हिन्दी में रिपोर्ट नहीं है ?

श्री गंदा सिंह––जी नहीं, अध्यक्ष महोदय, भला मैं ऐसी गल्ती करता ? मुझे तो बड़ी दिक्कत होती है अंग्रेजी को पढ़ने में। तो इसमें है :––

"Those who were opposed to the system of elected judiciary, perhaps, did not fully appreciate that there could be no alternative to create the people's tribunals in the rural areas.

"The burden of responsibility fully laid on the shoulders of the members of the Gaon Sabha and the experience gained of the consequences of thoughtless and impulsive voting was more likely to teach the voters in the Gaon Sabha the necessity of creating the best possible Nyaya Panchayat for themselves."

मैं समझता हूं कि इन शब्दों को माननीय स्वशासन मंत्री जी ने जरूर देखा होगा। जब इस प्रकार की राय कमेटी ने सर्वसम्मति से दी है तो क्या बात है कि इस वक्त वह राय बदली जाय । न्याय पंचायतों को एक शासन के बिल्कुल जुए के नीचे डाल देना उचित नहीं है । मैं बार बार इस बात को कहना चाहता हूं और कई माननीय सदस्यों ने संदेह भी प्रकट किया है और वह सफाई चाहते हैं कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी क्या होगी । प्रेसस्क्राइब्ड अथारिटी के लिये यह कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटस के संबंध में लोगों की रूचि नहीं मालूम होती कि उनको रखा जाय । मैं अध्यक्ष महोदय, इसी रिपोर्ट से एक बात कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटस् की इस तरह की एक साजिश है कि न्याय पंचायतों को उनके हाथ से बनवाया जाय ।

[श्री गेंदा सिंह]

इसमें लिखा हुआ है कि १७ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ने न्याय पंचायतों को चुना हुआ न रखने के लिये सरकार को सलाह दी तो उसके देखने के बाद और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों की खुद की हरकतें हैं, उनको और उनके जो काम हैं, उनको देखने के बाद उनको कभी भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी में शामिल करके इस न्याय के काम को बिगाड़ना होगा । पिछले दिनों में बार बार इस बात को कहा गया और माननीय रामनरेश जी ने तो यह कहा कि. . . . . .

श्री अध्यक्ष--प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के सिलसिले में जो आप आरगूमेंट्स दे चुके हैं उनको रिपीट यानी दुहरा न करके केवल संकेत मात्र से कह दें ।

श्री गेंदा सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब इसका कोई आकार नहीं है तो हमें अंधेरे में टटोलना पड़ता है और उसमें अंधेरे में टटोलने से हमारे सामने बड़े लोग आ जाते हैं और उनके सबंध में चर्चा जरूर करना पड़ती है । जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नहीं रखना है तो साफ साफ इस बात को कह दिया जाय तो मैं समझता हूं कि विरोध कम हो जायगा । हालांकि इस न्याय पंचायत का सही रूप सामने नहीं आ सकता है और न्याय के नाम पर मैं समझता हूं कि शासन का जो आजकल सबसे बड़ा मजबूत एक खम्भा समझा जाता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उसे अन्याय करने का अवसर मिल जाता है । उसको शासन के चलाने की परवाह हमेशा है अगर मैं यह भी कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी कि जो दल इस समय शासनारूढ़ है, उस दल को वह किस तरह से प्रसन्न कर सके और आगे भी रखने के लिये कामयाब हो सके, जिसकी वजह से उसकी नौकरी पक्की होने वाली है, तरक्की मिलने वाली है। उसी की चिन्ता अधिक होगी । उसे वह प्रसन्न करने के लिये ऐसे काम कर सकता है जिनका इंसाफ से बिल्कुल उल्टा सम्बन्ध हो, न्याय के नाम को कलंकित करना हो । मैंने देखा है अपने यहां की जुडीशियरी को वहां पर शासन से संबंध रखने वाले अधिकारियों ने जो आजकल हैं पावर में, उस दल के विरोधियों को दबाने की भरसक कोशिश की है । यहां तक कि उसने इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि वह न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ है । उसको न्याय की बात को सब से अधिक दृष्टि में रखना चाहिये बल्कि उसको पार्टी पालिटिक्स और झगड़ों में नहीं जाना चाहिये । इस बात को ध्यान में न रख कर तरक्की देने वाले को प्रसन्न करने के लिये ऐसे ऐसे काम किये जिसके बिल्कुल उल्टा काम जजों ने कर दिया । मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं कि इस सरकार के विरोधियों को उन्होंने नीचा दिखाने की हर तरह से कोशिश की, लेकिन हम धन्यवाद देंगे अपने देश की जुडिशियरी को, उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायलय को कि उसने उनकी हिफाजत की और अगर उसने हिफाजत न की होती तो जिसको हम प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी बनाने जा रहे हैं, उसके जरिये जहां पर न्याय हो रहा है, उससे बड़ा डिमोक्रेसी की मर्यादा को धब्बा लग जाता ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहने के लिये माफी चाहूंगा कि मैं अपने को रिकंसाइल करने के लिये तैयार नहीं हूं कानपुर के मसले में ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि वह सदन में न आवे तो अच्छा है । संशोधन ऐसा नहीं है कि जिसमें आइन्दा उठने वाले विषयों पर सदस्य बहस कर सकें या, उन सब विषयों को यहां पर ले आवें ।

श्री गेंदा सिंह--मैं छोड़े देता हूं उसको, लेकिन मैं यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि क्या हमारे दिल के ऊपर कोई चोट नहीं लगती है ? और फिर हमसे यह आशा करना कि हम प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लेकर भी चुप-चाप इस कानून को पास करा लेने दें ? यह दुराशा है और हमसे ऐसी आशा नहीं करनी चाहिये । हम पूरी मुखालिफत इस खंड के सम्बन्ध में करना चाहते हैं और हम अपनी फीलिंग जाहिर करना चाहते हैं कि हम किसी भी हालत में न्याय के काम में शासन के लोगों को हाथ डालने से रोकना चाहते हैं और

अगर न्याय के काम में शासन वालों को हाथ डालने से नहीं रोका जाता तो मैं समझता हूं देश की जो आजादी है--हम डेमोक्रैसी में आजादी समझते हैं--वह खतरे में पड़ जायगी । आज डेमोक्रैसी खतरे में है और आज जो शासन वालों की प्रवृत्ति हो रही है वह यह है कि चाहे जिस तरह से हो सके अपने तरक्की देने वालों को, अपने रखने वालों को, जिनके हाथ में उनकी चोटी है, उनको प्रसन्न किया जाय । मैं उस पर कतई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मौजूद नहीं थे, माननीय व्रजभूषण जी ने राजनारायण जी के सम्बन्ध में मिर्जापुर की चर्चा की । आप अगर स्वयं पता लगावें तो आप को मालूम होगा कि मिर्जापुर का बदला राजनारायण जी से कानपुर में लिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि दो गलतियां एक सही बात नहीं हो सकतीं । अगर उन्होंने गलती की, ऐसा कुछ मान भी लें, तो मैं तो आपको वही गलती नहीं करने दूंगा ।

श्री गेंदा सिंह--मैं आपके नोटिस में केवल लाना चाहता था । आपके नोटिस में ला करके बन्द कर देना चाहता हूं , उसकी चर्चा नहीं करूंगा । लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के हाथ में शासन की बागडोर है, शासन चलाने का भार है, उनके हाथ में इस काम को न दिया जाय। अब स्वशासन मंत्री कह सकते हैं कि शासन चलाने का भार तो उनके हाथ में भी है, लेकिन एक बात मैं उनसे नम्रता पूर्वक कह देना चाहता हूं कि जहां शासन चलाने का एक तरफ भार मिला है, तो हम हैं प्रजातंत्र की भावना से ओतप्रोत उनको देश की जनता ने शासन चलाने का भार सौंप रखा है और उसकी भावना को हम प्रतिष्ठा करते हैं और उनको इसलिये हक है कि वह शासन करें । उसी प्रकार से जनता द्वारा हम और माननीय स्वाशासन मंत्री जी और सभी सदस्यों ने मिल कर राष्ट्रपति का भी चुनाव किया है । राष्ट्रपति का जनता द्वारा उस स्थान पर प्रतिष्ठित होने के बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय की स्थापना की है और हमारी उस पर श्रद्धा है, हमारा उस पर पूरा विश्वास है । हम समझते हैं कि जो कुछ वह करता है, न्याय करता है । हो सकता है कि वह भूल कर रहा हो । मनुष्य के जीवन में भूल भी शामिल है, उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता, इन्सान भूल कर सकता है । इसलिये कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो जाय या हाईकोर्ट का जज हो जाय, उससे मैं यह नहीं कह सकता कि वह कभी भूल कर ही नहीं सकता । लेकिन हमारे मन में उसके प्रति कभी यह शंका नही उठती कि उसकी नीयत में खराबी है, वह कोई अन्य उद्देश्य अपने सामने रखकर कोई काम करता है । तो आखिर वह तो चुने हुए लोगों से नियुक्त किये जाते हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि जितने लोग ये प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा नियुक्त किये जायेंगे उनकी निजी तौर पर जानकारी माननीय स्वशासन मंत्री जी को हो सकती है क्या उन्हें भी जनता ने सीधे सीधे शासन करने के लिये अधिकार दे रखा है ? किस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जनता ने अपनी तरफ से अधिकार दिया है कि वह शासन करे ? माननीय स्वशासन मंत्री जी उसे नियुक्त करते हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त करता है । तो इस तरह से यह बड़ी पेचीदी चीज है और फिर संविधान हमारा यह कहता है कि हम गांव की इकाई को जितना भी अधिक से अधिक हो सके बलवान बनायें, संविधान में इस बात की गुंजाइश है कि पंचायतें बनाई जायं, प्लानिंग कमीशन ने भी कहा है कि पंचायत बनावो, उत्पादन बढ़ाने के लिए । आज पंचायतों में खराबियां भी हैं, मैं भी कहता हूं कि हैं, न्याय पंचायतों ने ऐसे काम भी किये जिनसे शिकायत हो सकती है । अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं इस बात को कि आज न्याय पंचायतों के सारे काम अगर विश्लेषण किया जाय बारीकी के साथ तो बहुत कम पंच हमारे सामने ऐसे निकलेंगे जिन्होंने कि ईमानदारी से जैसा चाहिए वैसा काम किया हो । लेकिन मजबूरी हमारी यह है कि जब कोई दूसरा आलटरनेटिव नहीं है तो वैसी हालत में हमको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है । महात्मा गांधी ने तो, १८ वर्ष की उम्र से कहा था कि कांस्टीटुएंट असेम्बली बनेगी और उसी के द्वारा , वह जो कुछ करेगी , होगा, यहां तो २१ वर्ष की बात है । २१ वर्ष वाले लोग अपने ऊपर शासन करने वालों को चुन नहीं सकते, सारा बोझ सरकार अपने ऊपर लेना चाहती है । सरकार भी अपने १२, १४ आदमियों का मंत्रिमंडल जो यहां पर बैठा हुआ है, वह अपने को किस बुनियाद पर रखना चाहता है । मैं उससे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वह क्यों ऐसी भूल कर

[श्री गेंदा सिंह]

रही है । हालांकि मेरा कुछ उसमें बिगड़ता नहीं है। हम तो जहां पर बैठे हुए हैं, वहां बैठकर यह चाहते ही हैं, हमारा तो काम ही यह है कि इस सरकार को अपदस्थ किया जाय और उसके लिए इस सरकार को जितनी जल्दी अविश्वासपात्र बनाया जा सके बनाया जाय । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जितने अविश्वास का पात्र सरकार पिछले चार पांच वर्षों में इन पंचायतों की कार्यवाहियों से नहीं हुई है उससे कहीं ज्यादा अविश्वास का पात्र अगले तीन चार वर्षों में अपनी इस कार्यवाही के द्वारा जिसके द्वारा कि वह पंचायतों को और खास तौर से न्याय पंचायतों को इस प्रकार से बना रही है बनेगी और मैं ऐसा भी समझता हूं कि हम में से बहुत कम आदमी चार पांच वर्षों में मरने वाले हैं, हम इन चार पांच वर्षों में देखेंगे कि इसको और यदि फिर कोई कमेटी माननीय स्वशासन मन्त्री जी बैठायेंगे, अपने इस विधेयक के मुताबिक काम करने के बाद, तो उस कमेटी द्वारा हमारी इस बात को उस समय एक एक अक्षर मान लेने को तैयार होंगे । जो न्याय पंचायत आज बनाने जा रहे हैं वह जनता के लिए उत्तरदायी न होगी, वह उत्तरदायी होगी कानून ही के लिए या जिसको वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी बनावेंगे उसके लिए । मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि उनकी पंचायत की मशीनरी इतनी मजबूत नहीं है कि जिस मशीनरी के जरिये वह इन न्याय पंचायतों को बना लें । पंचायत में ऊपर पूरी तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रोब गालिब है और इन पंचायतों के बनाने में पूरी तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हाथ होगा । वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो कुछ कर रहा है, हम तो उसके भुक्तभोगी हैं, गांवों के रहने वाले हैं, उसकी चर्चा इस माननीय सदन में हो चुकी है, और वह बात सामने आयेगी। आज वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कलेक्शन अमीन और कुर्क अमीन कानूनगो और तहसीलदार और डिप्टी तक मालगुजारी की वसूली में जो नंगा नाच कर रहे हैं, उसकी पूरी खबर अगर सरकार को न हो तो सरकार डूबेगी । फिर उसका हाथ होगा । वही डिप्टी कलेक्टर, वही तहसीलदार न्याय पंचायत का बनाने वाला होगा । पंचायत राज विभाग अलग तमाशा देखता रहेगा । पंचायत राज विभाग को हाथ मलने पड़ेगें दो वर्ष के बाद कि हमने बड़ी भूल की । हमने जनता पर से उत्तरदायित्व हटा कर ऐसे कुछ थोड़े से लोगों पर उत्तरदायित्व डाल दिया जिनके सामने यह न्याय पंचायत घुटने टेक रही है । माननीय स्वशासन मंत्री ने कहा कि नहीं उनका कोई गांवों से मतलब ही नहीं होगा, वह बिलकुल निष्पक्ष होंगें । एक मर्तबा वह पंचायत बना देंगे फिर उसके बाद उनको दखल देने की क्या आवश्यकता होगी ? मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि लेखपाल साहब, कानूनगो साहब और दूसरे और साहबान का रोज का संबंध गांवों से है । उन कामों में वह रोज दखल देगें । वह हर न्याय पंचायत मेम्बर को धमकायेंगे कि तुम्हारी चोटी हमारे हाथ में है । इस बार किया तो किया लेकिन अगर अब से अगर गलती की, मैं गलती शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उनकी निगाह में गलती, किसी दूसरे मानी में होगी, असली गलती के लिए वह कभी झगड़ा नहीं करेंगे, फिर आगे आपको हम नहीं चुनने देगें और मनुष्य की कमजोरी होती है पद, मर्यादा प्रतिष्ठा चाहता है वह । उस प्रतिष्ठा के लिए मैं समझता हूं कि पंचायतों में लोग जायेंगे । तो फिर वह करेंगे क्या ? जैसा कि माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने और और लोगों ने कहा कि वह जनता की सेवा करने की बात नहीं सोचेगें । वह दूसरी बात सोचेगें । वह सोचेगें कि जिस तरह से भी हो प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी को खुश करें और प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी कैसे प्रसन्न होगी, भगवान् जाने ।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---अगर आप ही, प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी हो गये तब ?

श्री गेंदा सिंह---अध्यक्ष महोदय, जिसके हाथ में बिना लगाम पावर चली जायगी वही खराब हो जायगा । मैं माननीय राम नरेश जी से कभी इसके लिए दरख्वास्त नहीं करूंगा । अगर माननीय राम नरेश जी मुझे ऐसी ताकत दें तो पहले यह सोच लें कि गेंदा सिंह को भी चौपट कर देना है, बरबाद कर देना है । मैं चाहता हूं कि लगाम लगायी हुई ताकत हमको मिले, मैं तो यह समझता हूं कि इस सरकार पर जरा ढीली लगाम है जिससे सरकार ऐसे गड़बड़ भी करती

है कि अपोजीशन के लीडर को ही बन्द कर दिया अगर हमारे पास कड़ी लगाम होती तो हम कुछ सरकार को भी रोक पाते। बगैर लगाम किसी को शक्ति देना खतरे से खाली नहीं है इसीलिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि सेलेक्ट कमेटी में दस मर्तबा दरख्वास्त किया और यहां भी कर रहा हूं और एक तरह से चेतावनी दे रहा हूं चेतावनी लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए मैं माफी चाहूंगा, डर मुझे इस बात का है कि इस न्याय पंचायत से अहित होवे जो इस कमेटी ने समझा है बिलकुल उसकी राय से मैं सहमत हूं और उसकी राय को मानने के लिए मैं इस सदन से दरख्वास्त करता हूं। जिस नतीजे पर कमेटी पहुंची उसे अलग कहीं कोई राय हम कायम नहीं कर सकते। इस कमेटी के सदस्यों ने बड़ी मेहनत की थी, सात आठ दिन नैनीताल में बैठ कर। बहुत से लोगों की रायें और रिपोर्टें पढ़ीं गई और उसके बाद सभी लोगों ने राय दी कि ऐसा काम नहीं करना चाहिये। मैं फिर एक मर्तबे माननीय स्वशासन मंत्री और माननीय सदन से दरख्वास्त करूंगा कि अगर उन की मेहरबानी न हो और न्याय पंचायत हमारे मन के माफिक नहीं बन सकती तो वह बनायी ही न जाय यही अच्छा है। लेकिन मैं यह दरख्वास्त करके उम्मीद करता हूं कि इस पर वह विचार करेंगे और इस रिपोर्ट को फिर एक बार पढ़कर उसी के अनुसार न्याय पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी दलीलें इस वक्त दी गईं वे सब पहले दी जा चुकी हैं और काफी बहस उनपर हो चुकी है। कोई बात ऐसी नहीं कही गई जो नई हो और जिसका मैं उत्तर दूं। इसलिये मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने अपने भाषण में मेरा खास तौर से जिक्र किया और यह कहा कि जो रिपोर्ट पेश की गई है सदन के समक्ष उसमें इस बात का जिक्र कहीं नहीं किया गया कि अदालती पंचायतें किस प्रकार से चुनी जायंगी। इसीलिये माननीय गेंदा सिंह जी ने यह संशोधन पेश किया कि खंड १४ की प्रस्तावित धारा १२--ए निकाल दी जाय। माननीय गेंदा सिंह जी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं और यह भी जानता हूं कि उस पक्ष के बैठने वाले सदस्यों में माननीय गेंदा सिंह जी का प्रमुख स्थान है और वह जो बातें कहते हैं बहुत ही उचित और रीजनेबल होती हैं, मैं उनका ध्यान अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा जो रिपोर्ट है उसके सफे ३४ व ३५ के पैरा १४ और १५ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। धारा १४ में लिखा हुआ है--

"The constitution of Nyaya Panchayats was the most controversial subject and during the course of prolonged discussion the concensus of opinion in the Committee swayed time and again from one stand point to the other. The main plank of criticism against the Nyaya Panchayats wasthat no elected judiciary could function honestly and efficiently."

श्री अध्यक्ष---आप उतना ही हिस्सा पढ़िये जितना आवश्यक हो, उसके पहले का हिस्सा न पढ़िये।

श्री व्रज विहारी मिश्र---मैं उतना ही पढ़ रहा हूं जितना आवश्यक है और जिसकी ओर मैं माननीय गेंदा सिंह जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। १४ में यह लिखा हुआ है कि कमेटी का ध्यान न्याय पंचायतों की ओर गया था कि इन न्याय पंचायतों का कांस्टिट्यूशन कैसा हो इस पर हमने सविस्तार विचार किया था। आया चुना हुआ हो या जैसा इस विधेयक में प्रस्तुत किया गया है वैसा हो। अब मैं माननीय गेंदा सिंह जी का ध्यान पैरा १५ की ओर दिलाना चाहता हूं उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है--

"Section 43 of the draft Bill contained a proposal that while electing the Gaon Panchayat the Gaon Sabha should elect five more than the required number. The District Magistrate could appoint any five from

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

out of the total number of persons elected by the Gaon Sabha to be Panches of the Nyaya Panchayat and the persons so appointed shall cease to be members of the Gaon Panchayat. It was argued, in support of this proposal that in this manner the persons appointed to be members of the Nyaya Panchayat would not only enjoy the confidence of the Gaon Sabha but in this process the District Magistrate could select suitable persons ; some having experience while others possessing the required educational qualification."

इसका मतलब यह है कि कमेटी ने इस प्रश्न पर विचार किया था । माननीय गेंदा सिंह जी तथा उस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्यों से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस कमेटी की रिपोर्ट में यह बात दी हुई है और उसने इसको "रूल आउट" नहीं कर दिया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा एक और बात के सम्बन्ध में माननीय गेंदा सिंह जी तथा अन्य माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि ज्वाईंट सेलेक्ट कमेटी उसीमें मुझे सौभाग्य प्राप्त था माननीय गेंदा सिंह जी के साथ बैठने का । उसमें भी इस प्रश्न पर विचार हुआ था ।

श्री अध्यक्ष ––सेलेक्ट कमेटी के अन्दर क्या हुआ उसकी यहां पर चर्चा नहीं होनी चाहिये ।

श्री व्रजविहारी मिश्र––मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं । केवल इतना बतलाना चाहता हूं कि इस पर भी विचार किया गया था । माननीय अध्यक्ष महोदय यह हम सबका तजुर्बा है क्योंकि हम सब गांव के रहने वाले हैं कि पंचायतों के बारे में अजीब समस्या उपस्थित हो गई थी । एक सेक्शन तो यह कहता था कि न्याय पंचायतों को बन्द कर दिया जाय और दूसरा सेक्शन कहता था कि पंचायतें रहनी चाहिये । ५-६ वर्ष तक हमने पंचायतों का तजुर्बा भी किया है । मालूम यह होता है कि माननीय गेंदा सिंह जी और उनकी विचारधारा के अन्य सदस्य इस विधेयक को कुछ सन्देह की दृष्टि से देखते हैं और वे समझते हैं कि यह जो विधेयक लाया जा रहा है उससे गवर्नमेंट का इरादा पंचायतों पर अधिकार करने का है, लेकिन ऐसा कोई विचार नहीं है । मैं माननीय गेंदा सिंह जी से खास तौर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सन्देह की दृष्टि से इस विधेयक को न देखें, बल्कि हमने जो "वाया मीडिया" निकाला है वह बहुत सोच समझ कर निकाला है कि इलेक्शन-कम-सिलेक्शन से न्याय पंचायतें बनाई जायं, क्योंकि इलेक्शन से भी बहुत सी खराबियां आती हैं और सिर्फ सिलेक्शन से भी बहुत सी खराबियां आती हैं । इसलिये हमने इलेक्शन-कम-सिलेक्शन को रख कर ट्रायल करने का विचार किया है । बहुत अच्छे अच्छे लोगों का यह विचार था कि अदालती पंचायतों को समाप्त कर दिया जाय, इसलिये ट्रायल के तौर पर अध्यक्ष महोदय, हमने यह संशोधन रक्खा है । मैं समझता हूं कि इसको सन्देह की दृष्टि से न देखा जाय, इस दृष्टि से देखें कि हम इसका ट्रायल करना चाहते हैं । हमें आशा है कि यह जो प्रस्तावित संशोधन है यह अदालती पंचायतों के कार्य को सफल बनायेगा । इन शब्दों के साथ मैं आशा करूंगा कि माननीय गेंदा सिंह जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे ।

श्री सीताराम शुक्ल––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय गेंदा सिंह जी के व्याख्यान को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और आपने चन्द बातें उसमें फरमायी हैं । उसके उत्तर में मैं भी अपने विचार व्यक्त करूंगा । आपने बहुत जोरदार शब्दों में कहा कि अगर सब-कमेटी की रिपोर्ट आप पढ़ लें, तो हमारे मिनिस्टर साहब पढ़ लें, तो हमको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है । मेरी प्रार्थना है कि सब-कमेटी बनायी जाती है, ताकि काम आसानी से चले । यह जरूरी नहीं है कि जो रिपोर्ट सब-कमेटी दे उसको मान लिया जाय और अगर उसकी सब बातों को मान लिया जाय, तो फिर हाउस की क्या जरूरत है । क्या आप यह समझते हैं कि माननीय मन्त्री जी ने रिपोर्ट को बिना पढ़े ही आपकी बात का जवाब दे दिया है । उस पर विचार किया है और विचार करने के बाद जो ठीक समझा, उसी को यहां हाउस में पेश किया है । नामिनेशन

में पक्षपात की कुछ शिकायतें हो सकती हैं और श्री गेंदा सिंह जी को भी वही शिकायतें हैं उन्होंने वही एतराज किये हैं। यह सब एतराज ठीक हैं। मगर जो रास्ता आपने बतलाया है वह तो और भी खतरनाक है। क्योंकि पहले अदालत के पंचों का चुनाव करने का पूरा अधिकार हमारी सरकार ने जनता को दिया था कि जिसको चाहें, लोग चुनें और उसका फैसला करें। चुनाव ठीक हो और सबका फायदा हो और चुने हुये हमारे सदस्य हों, किन्तु वह सफल नहीं हुआ। एक तरफ तो आप चाहते हैं कि पंचों को जनता चुने और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ९५ फीसदी पंचों की शिकायतें हैं। यह तर्क के विरुद्ध बात है। मेरी गुजारिश यह है कि हर प्रकार में कुछ न कुछ यह दिक्कत पड़ती है इसलिए जिसमें कम खराबी हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। मेरी गुजारिश यह है कि चुनाव का क्षेत्र बड़ा हुआ करता है तो उसमें बुरा आदमी एलेक्ट नहीं हुआ करता है। क्योंकि लोग खुद तो चाहते हैं कि हम तो गलती करें, और उनकी गलती ओवरलुक कर दी जाय, लेकिन उनका नेता गलती न करे। मसलन एक आदमी खुद तो शराब पीता है लेकिन वह यह भी चाहता है कि उसका लड़का शराब न पिये। इसलिए अपना नेता चुनते वक्त वह अच्छे आदमी को वोट देते हैं किन्तु छोटी जगह में थर्ड क्लास का आदमी अपना प्रभाव जमा लेता है, क्योंकि उसकी गुन्डागीरी उस थोड़े से क्षेत्र में चल सकती है, लेकिन सारे क्षेत्र में वह नहीं चल सकती है। मेरी गुजारिश यह है कि बड़े क्षेत्र के चुनाव में अच्छा आदमी ही चुना जा सकता है, क्योंकि अच्छे आदमी की तारीफ हुआ करती है किन्तु बुरे आदमी की धमकी नहीं चलती। किन्तु छोटे स्थानीय चुनाव में भले आदमी के लिए वही दिक्कत आकर पड़ेगी। भला आदमी जो होता है, वह किसी पार्टी में नहीं पड़ता है, और थर्ड क्लास आदमी जो होता है, वह बहुत असानी से पार्टी बना लेता है और उसको अगर किसी की गवाही की जरूरत पड़ती है तो आसानी से उसकी गवाही गुजर जाती है, क्योंकि आइन्दा के लिए, उसके काम वह आ सकता है। अच्छा आदमी अगर गरीब है, तो वह तकलीफ में ही रहता है, मगर किसी से कुछ मांगता नहीं, उसका भगवान पर भरोसा रहता है, और वह यही कहता है कि "हारिये न हिम्मत, बिसारिये न राम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिये।" और अपने ऊपर तकलीफ सहन करता रहता है। वह गलती भी कम करता है और सब का काम करने की कोशिश करता है और पार्टीबाजी में वह नहीं पड़ता है और न यह कहता है कि हमने तुम्हारा काम कर दिया तुम हमारा काम करो। भला आदमी कहीं पर जाता भी नहीं है वह किसी मुकदमेंबाजी में भी नहीं पड़ता है, यदि उससे गलती हो जाती है तो वह अदालत में कबूल कर लेता है। झूठ बोल कर अथवा झूठी गवाही देकर बचने की कोशिश नहीं करता। नतीजा यह होता है कि सत्य-पथ पर चलने के कारण खुद तो प्रसन्न रहता है और प्रतिष्ठा भी पाता है परन्तु पार्टी नहीं बना पाता। नतीजा इसका यह हुआ कि भले आदमी चुनाव से हट गये कि कौन झंझट में पड़े। नामजदगी में क्या दिक्कतें हैं, वह आपने खुद फरमाया है। मेरी गुजारिश है कि इसे तोलना यह होगा कि किसमें कम बुराइयां हैं। इसलिए हमारी सरकार ने बीच का रास्ता अख्तियार किया है। चुनाव की खूबी भी उसके अन्दर है और नामजदगी की खूबियां भी उसके अन्दर मौजूद हैं। हमारे माननीय मन्त्री जी ने छानबीन कर और समझ बूझ कर इस चीज को निकाला है और उसे आप कहते हैं कि हटा दिया जाय। इस पर तो आपको धन्यवाद देना चाहिए था। इसी सिलसिले में मैं यह भी अर्ज कर दूं कि यदि अनुभव से इस प्रणाली में भी परिवर्तन की आवश्यकता हुई। परिवर्तन हो सकता है, फैसला बदला जा सकता है और मुल्कों में भी चुनाव होता है। अमेरिका में तो जजेज भी चुने जाते हैं, वोट से। लेकिन वहां और यहां में फर्क है कि वह विकसित कन्ट्री है। वहां की माली हालत अच्छी है। मैं जानता हूं, इंगलैन्ड की बात है कि वहां चुनाव हो रहा था। पब्लिक ने विरोधी दल के नेता को हूट किया जब वह बोले। तो मेजारिटी पार्टी के लीडर ने कहा कि मैं रिजाइन करता हूं, यह क्या बात है कि विरोधी दल को बोलने भी नहीं दिया जाता। वहां जो चीज आपने फरमायी, वह हो सकती है। लेकिन देश में नया तजुर्बा है, यहां तो वर्किंग कमेटी और माननीय मन्त्री वृन्द भी नामजद किये जाते हैं तब पंचों को क्यों न नामजद किया जाय। आपने नीयत पर आक्षेप कर दिया, शिकायत कर दी। यह बाजे रहे आपको कि

[श्री सीताराम शुक्ल]

धोखाधड़ी या चालबाजी से अथवा कानून बनाकर कोई सरकार रह नहीं सकती। अगर हमारी सरकार का कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, हममें सूझ बूझ और त्याग नहीं होगा, तो कानून कायदा किसी को बहुत दिन नहीं बचा सकता है। आपने देखा कि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम लीग, जो पावर में थी, पटरा हो गयी। हमारे चुनाव भी आपने कानपुर और बहराइच के देखे। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो इब्तदाये इश्क है। शुरू में हमारे साथ कुछ परेशानियां थीं। जरा हमको जनता का खाना, कपड़ा, मकान का प्रश्न हल करने दीजिये। फिर आप को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और खुद ही बिल लाया जायगा और जनता को पूरा अख्तियार दिया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं उनके सम्बोधन का विरोध करता हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं आपकी आज्ञा से यह बतलाना चाहता हूं कि पहले ऐक्ट में जो धारा थी, उसे हम रखना चाहते हैं और इसको निकाल दिया जाय, इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। श्रीमन्, सबसे पहले, तो मैं यहां जो अभी माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के विरोध में बोल रहे थे, उसके बारे में कुछ कहूंगा और उसके बाद मैं इस व्याख्या में आना चाहता हूं कि यह धारा रखी जाय। अभी हमारे पूज्यनीय मिश्रजी महाराज ने १४, १५ पढ़कर सुनाया। मैं अदब से यह कहना चाहता हूं कि देखा यह जाता है कि कमेटी की रिपोर्ट में आखिरी बात क्या तय हुई, यह चीज महत्व की होती है। बीच की बातों का जिक्र करना उनकी कमजोरी को बतलाता है। आखिरी में जो रिपोर्ट सब लोगों ने मिलकर दी, वह यह दी कि न्याय पंचायत का चुनाव सेलेक्शन द्वारा नहीं होना चाहिये। गेंदासिंह जी ने इसको गढ नहीं दिया बल्कि उस कमेटी में आपके सदस्यों का ही बहुमत था। इसलिए उनका कहना ठीक नहीं है।

दूसरी बात शुक्ल जी ने कही कि रिपोर्ट अंग्रेजी में क्यों पढ़ी जाती है। मैं आपके जरिये से उन्हें बतला देना चाहता हूं कि इसमें हम लोगों का दोष नहीं है हमको तो इसमें खुशी होती है कि हम सब काम हिन्दी में किया करें, लेकिन यह तो उन्हीं की सरकार का काम है कि प्रस्ताव के पास होने के बाद भी अंग्रेजी में रिपोर्ट दी जाती है, अंग्रेजी में पत्र व्यवहार किया जाता है और इस प्रकार से अंग्रेजी को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसलिए माननीय शुक्ल जी ने जो कुछ अंग्रेजी के बारे में कहा मैं उसकी सफाई इस प्रकार से दे देना चाहता हूं।

श्रीमान् जी, जहां तक यह सवाल है कि न्याय पंचायतों में पंचों का चुनाव किस प्रकार से होना चाहिए, यह बहुत ही गम्भीर सवाल है। हमारे माननीय मन्त्री जी ने जोरदार शब्दों में यह कहा कि चुनी हुई पंचायतें न्याय का काम नहीं कर सकतीं। चुनी हुई जुडिशियरी नहीं हो सकती। मैं उनसे इस बात में सहमत हूं लेकिन जो कांग्रेस सरकार बनी और उसने जिस वक्त पंचायत राज कायम किया, जिसका बड़ा भारी ढिंढोरा पीटा गया और देश भर में प्रचार किया गया कि उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया है।.....

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हर गोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

राजा वीरेन्द्र शाह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा था। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस सरकार और कांग्रेस बहुत दिनों से इस बात का नारा लगाये हुए थी, और कहती थी कि जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग-अलग किया जाय। हमें खुशी है, कि हमारी सरकार ने इस ओर एक कदम उठाया भी और जुडीशियल मैजिस्ट्रेट बनाये गये। लेकिन श्रीमन्, मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि यह करने के बाद अब इस बिल में हम देखते हैं तो बिलकुल उसका उल्टा है, यानी न्याय पंचायतों का एप्वाइन्टमेंट एक्जीक्यूटिव के हाथ में देना चाहते हैं और नारा यह लगाया जाता है। श्रीमन्, हमारे माननीय श्री राम नरेश शुक्ल जी ने बड़े जोरों से कहा कि अगर इस बिल का १२-ए निकाल दिया जाय तो . . .

श्री रामनरेश शुक्ल--आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। मैं तो आज इस अमेंडमेंट के ऊपर बोला भी नहीं। क्या माननीय सदस्य कल के भाषणों का हवाला दे सकते हैं जो दूसरे अमेंडमेंट के ऊपर हो ?

राजा वीरेन्द्र शाह--जब यह बिल पेश है,को जो भी कांग्रेस पार्टी के मुख्य सदस्य इस सम्बन्ध में कहेंगे, उनकी मुख्य-मुख्य बातें तो श्रीमन् कहनी ही पड़ेंगी। इसी वजह से श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय शुक्ल जी ने इस धारा को इस बिल की जान बतलायी और यह कहा कि अगर यह निकाल दी जाय, तो इस बिल की जान ही निकल जायगी। तो श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने अगर इसी उद्देश्य से यह ग्राम पंचायत संशोधन बिल प्रस्तुत किया है तब तो मुझे बड़ा दुख है। हम लोग समझते थे कि जिस तरह ग्रामों में यह रिपब्लिक कायम करने के समय हमारी कांग्रेस का दावा था और यह नारा लगाती थी कि हमने देहाती क्षेत्रों में उनको स्वयं इन्तजाम करने के लिए अधिकार दिया और एलेक्शन करने की एक ऐसी अजीब प्रणाली निकाली, जो देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में किसी भी जगह इतना बड़ा एलेक्शन नहीं हुआ, जैसा कि हमने अपने यहां कराया। इस सम्बन्ध में बड़े बड़े नारे लगाये गये और एडवरटीजमेंट कराये गये। श्रीमन्, मैं आपके जरिये बतलाना चाहता हूं कि सरकार जो यह संशोधन लायी है, उसको पास कराने के बाद वही बड़ी गलती करेगी, जो पहले सरकार यह समझती थी कि न्याय पंचायतें कायम करके रिपब्लिक यानी देहातों में स्वयं इन्तजाम करने की जो एक शक्ति दी है, जो हमने उनको एक चीज दी है, उसको वापस लिये जाने की सब से पहली चीज होगी। अगर आप यह प्रस्ताव पास करते हैं, तो मैं यह कहता हूं श्रीमन्, कि सरकार को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए और जब मैं यह कहता हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार इस बात को नहीं सोचती होगी। सरकार भी चाहती है कि देहाती क्षेत्र के लोगों पर उसका प्रभाव पड़े और वहां के लोगों में अच्छी तरह से प्रबन्ध करने का विचार पैदा हो। लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जिस तरह से मेरे भाई गेंदा सिंह जी ने इसका समर्थन किया और जो प्वाइन्ट्स रखे, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है, और इसका उदाहरण यह है कि जब मन्त्री जी का उत्तर देने का समय आया तो उन्होंने यहां पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को भेज दिया और वह इस वजह से क्योंकि सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है कि वह कह सकें, और एक भी दलील दे सकें, और अगर पार्टी व्हिप उठा लिया जाय और उधर के सदस्यों से राय ली जाय, तो वह हमारे संशोधन से मुत्तफिक होंगे। मैं बतलाना चाहता हूं कि मुझे बड़ा दुख है कि मन्त्री जी ने कह दिया और बहुत से प्वाइन्ट जो पहले संशोधन में रखे गये थे उन्हीं की आड़ लेकर वही प्वाइन्ट्स रख दिये और कह दिया कि मुझे और कुछ कहना नहीं है। जब आप जनता के हाथ में पावर देने की बात करते हैं और डेमोक्रेसी की हिमायत करते हैं तो डेमोक्रेसी के माने यह हैं कि आपको हर एक की बात सुनना चाहिए चाहे वह किसी दल में हो, जिन्होंने आपको वोट दिया है, वह जनता, सदस्य क्षमा करें, आप के न्याय को मानने वाली नहीं है। बार बार कहा जाता है कि चुनाव में यह हुआ और चुनाव हमारे पक्ष में हुआ। यह मुमकिन हो सकता है कि एक दो जगह आप जीत गये हों, लेकिन अब आपके कारनामे ऐसे हो रहे हैं कि आप का नामालूम क्या हाल होगा, यह भगवान ही जाने। जब देश भर में तमाम लोगों की मांग है कि जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग रखा जाय, तो किस तरह से इस बिल में इस चीज को यह इस तरीके से रखा जा रहा है ? मैं समझता हूं कि कहीं भी इस तरह की चीज किसी बिल में न रखी गयी होगी कि जिसमें एक तरफ तो यह कहा जाता है कि हम जुडीशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग करते हैं, और एक तरफ एक्जीक्यूटिव द्वारा इस जुडीशियरी का नामिनेशन कराते हैं। ऐसी खराब चीज को सरकार यहां रखना चाहती है, यह चीज हमारी समझ में नहीं आती है। श्रीमन्, देखेंगे कि "प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी" रख दिया गया है, और कहीं पर निश्चय नहीं किया गया है कि उसका क्या रूप होगा। कहा जाता है कि शायद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे, या कोई कमेटी बनेगी, इस तरह की नाना प्रकार की मनगढ़न्त लगायी जा रही है। जब यह इतनी अहम चीज है, तो सरकार ने क्यों अपनी तरफ से प्रस्ताव ला कर साफ नहीं कर दिया कि

[राजा वीरेन्द्रशाह]

"प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी" यह होगी। अगर किसी एक्जीक्यूटिव आफिसर को रखना है, तो हमें उसका घोर विरोध है। कभी एक्सपेरिमेंट के लिए बिल नहीं बनाया जाता। आपने नेकनियती से जैसे पहले रखा था, उसके मुताबिक ही अगर रखते तब भी ठीक था। मैं यह मानता हूं कि अदालतों में कुछ गड़बड़ियां हुईं, कुछ लोगों ने गलतियां कीं, लेकिन ज्यादातर जो रिपोर्ट है वह यही है कि इन ग्राम सभाओं ने जो कार्य किये हैं, वे प्रशंसनीय हैं और उसके लिए सरकार बड़े गर्व के साथ कहती है, और कहना चाहिए क्योंकि नये नये कामों को, जो उनको सौंपे गये थे, देखते हुए उन्होंने बहुत उम्दा कार्य किये। अब अगर कुछ गलतियां हो गयीं हों, तो उसके लिए यह रखना कि चुनाव कलेक्टर द्वारा कराये जायं, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के अधीन चुनाव हो तो यह निहायत गलत है। जहां ३० मेम्बर चुनने हैं, तो ३५ चुने जायं। मैं श्रीमन्, इसको चुनाव नहीं मानता इसलिए कि इसमें वे एलिमेंट खड़े हो जायेंगे, जिनको गांव वाले चुनना नहीं चाहते और जो चालाक किस्म के आदमी होंगे, वह मैं किसी एक राजनीतिक पार्टी को नहीं कहता सभी पार्टी के इस तरह के व्यक्ति किसी न किसी तरह चुने जाने के लिए उपाय निकालेंगे, और चुने जायेंगे, और फिर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से कोशिश करेंगे कि वह चुनकर आ जाय और आ जायेंगे। मुझे अफसोस है कि उन चालाक आदमियों के सिवा कोई और मेम्बर हो नहीं सकता जो सही रूप से पंच हो सकते हैं। किसी न किसी प्रकार से बाइब करके या किसी भी प्रकार प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को वे लोग मजबूर करेंगे कि उनको चुना जाय और जब वे चुनकर आ जायेंगे, तो गांव सभा के काम को खराब कर देंगे। सरकार ने इस चुनाव के सम्बन्ध में जो सबसे बड़ी गलती की है, वह यही तो है कि चुनाव को प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के ऊपर छोड़ा है। अगर चुनाव हो जैसा होता है तो उन लोगों की हिम्मत नहीं है कि चुनाव में खड़े हो जायं, जिन पर गांव वाले भरोसा नहीं रखते हैं और गांव सभा के कामों में गड़बड़ियां करते हैं। लेकिन अगर सरकार यह मौका जो दे रही है, देती है, तो वह गलत लोग आ जायेंगे। अगर आपका प्रस्ताव जैसा है रहता है तो मुझे भय है कि वही लोग चुनकर आ जायेंगे, जिनको गांव वाले नहीं चाहते। लेकिन सरकार तो बहरी है, हमारी बातों की सुनवाई तो वहां हो नहीं पाती, वर्ना मैं तो यह कहूंगा कि सरकार इसको इस वक्त मुल्तवी कर दे और उस वक्त तक के लिए मुल्तवी कर दे इस पर उस वक्त तक विचार न करे जब तक कि सरकार प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की डेफिनीशन को न सुना दे। अगर ऐसा हो जाय, तो मैं सरकार के प्रस्ताव का विरोध नहीं करूंगा, वर्ना मैं समझता हूं कि वे सभी लोग जो गांवों का हित चाहते हैं इसका विरोध करेंगे और मैं तो इसका घोर विरोध करता ही हूं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन पर जो भाषण इस सदन में हुये हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना और मुझे बड़ा दुःख हुआ जब मैंने यह देखा कि माननीय गेंदा सिंह जी के भाषण में आगुमेंट्स तो कम थे, लेकिन नाराजगी का अंश ज्यादा था। मैं नहीं जानता कि कौन से ऐसे वाक़यात पिछले दो चार दिनों में हो गये हैं जिनकी वजह से उनमें नाराजगी ज्यादा बढ़ गयी। नाराजगी जब होती है तो बैलेन्स आफ माइंड जो होता है वह ठीक नहीं हो पाता है, इसलिये उस समय जो बात कही जाती है वह रीजनेबिल नहीं होती है।

यह एक बहुत छोटा सा प्रश्न है श्रीमन्, कि न्याय पंचायतें किस प्रकार से बनाई जायं। पंचों का चुनाव किया जाय या उनकी नामजदगी की जाय, यह छोटा सा सवाल है। तो अगर जो पिछले अमेंडमेंट्स थे जिनको हाउस ने पास नहीं किया उनको देखा जाय तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इस भवन का अधिकांश मत इसी पक्ष में है कि न्याय पंचायतों का चुनाव नहीं होना चाहिये, बल्कि वह किसी तरीके से नामजदगी की शक्ल में बनाई जाय। ऐसी हालत में मैं माननीय गेंदा सिंह जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि प्रश्न यह है कि चार साल की जो न्याय पंचायतों की वर्किंग थी उनके सम्बन्ध में आज इस प्रदेश में दो मत हैं। काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका मत यह है कि न्याय पंचायतें जिस उद्देश्य के लिये बनाई गई थीं वह पूरा नहीं

हुआ इसलिये इन पंचायतों को खत्म कर देना चाहिये। दूसरा मत यह है कि इसमें खराबियां जरूर रहीं, मगर फिर भी चूंकि यह एक प्रजातांत्रिक एक्सपेरीमेंट था इसलिये इसे फिर एक मर्तबा मौक़ा दिया जाय और कमियां जो थीं उनको दूर किया जाय।

माननीय गेंदा सिंह जी ने सब से बड़ी आपत्ति इस बात पर उठायी कि पंचायत राज अमेंडमेंट ऐक्ट की जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट में, मेम्बर साहबान ने यह कहा कि न्याय पंचायत चुनी हुई होनी चाहिये, इसलिये उनको इसकी बड़ी शिकायत थी कि क्या वजह हुई कि मेम्बर साहबान ने अपने ख्यालात बदल दिये। मैं समझता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी हर मेम्बर को इतना अधिकार तो देंगे ही कि वह किसी भी स्टेज पर अगर अपने ख्यालात बदलना चाहे तब बदल सकता है अगर वह यह समझ जाय कि जो बात मैंने आज से कुछ दिन पेश्तर कही थी वह अब उसके ख्याल में ठीक नहीं है तो मैं समझता हूं कि उसको इतना अधिकार है कि अपनी राय को बदल सकता है। इस रिपोर्ट के जो १४–१५ पैराग्राफ हैं उसमें साफ तौर से दिया है और इस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि न्याय पंचायतों का यह इशू बड़ा कन्ट्रोवर्शल है। इसके ऊपर कभी भी एक मत नहीं हो पाये, कभी ओपीनियन इस साइड में थी और कभी ओपीनियन उस साइड में थी। काफी तादाद में ऐसे लोग थे जिनका मत था कि चुनाव नहीं होना चाहिये क्योंकि चुनाव में गांव के जो प्रभावशाली लोग होंगे, चाहें वह अच्छे हों या अच्छे नहीं हों वह किसी न किसी तरीके से बहुमत को अपनी ओर कर लेंगे जिसकी वजह से ठीक और अच्छे आदमी पंच बनने से वंचित रह जायंगे। यह भी इसमें एक मत था। इसके अन्दर यह भी कहा गया कि जो पांच आदमी चुने जायं उनका नामिनेशन हो। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नामिनेशन करे लेकिन जो हमारे सामने बिल हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कहीं भी जिक्र नहीं है बल्कि उसके अन्दर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की बात है। इस सिलसिले में डेमोक्रेसी की भी दुहाई दी गई। इस मामले में यह भी दुहाई दी गई कि जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को एक साथ नहीं होना चाहिये और भी न मालूम कितने इशू इसके अन्दर इकट्ठे कर दिये गये। अब देखना यह है कि जैसा माननीय गेंदा सिंह जी का ख्याल है इस क्लाज को बिल्कुल हटा दिया जाय तो मैं भी पिछली चीज जो शुक्ल जी ने कहीं थी इस बिल का जो सब से बड़ा आधार है, वह निकल जाता है और जो इस बिल की आत्मा है उसका कतई हनन होता है। प्रश्न यह है कि हम गांव की स्थिति को जानते हैं और गांव के अन्दर चुनाव की हालत भी हम जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि चुनाव जो होगा वह हाथ उठा कर होगा। इस भवन में इस किस्म के भी संशोधन आये कि चुनाव बैलट से होना चाहिये, जो कि पास नहीं हो सके। तो जब हाथ उठा कर चुनाव होगा तो जो गांव के प्रभावशाली आदमी होंगे, ४–५ की संख्या में वह गांव के बदमाशों की सहायता, अपने दबाव या आतंक से गांव वालों के ऊपर हावी हो जायंगे। तो ऐसी स्थिति में यह समझना कि चुनाव से हम अच्छे, ईमानदार आदमी चुन पायेंगे, मैं समझता हूं कि बड़े संदेह की बात है और फिर जो तरीका रखा गया है उसमें यह है कि अगर ३० आदमी गांव सभा के मेम्बर होंगे तो ३५ आदमी चुने जायेंगे सो जहां तक चुनने का सवाल है यह सभी ही चुने होंगे क्योंकि जो ३५ आदमी चुने जायंगे उनमें से ही ५ आदमी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी छांटेगी। वे ५ आदमी भी चुने हुए होंगे जो कि गांव के वोटर्स द्वारा छांटे जायेंगे और जिनको उनका विश्वास प्राप्त होगा तो वहां तक तो डेमाक्रेसी ठीक है। अब सवाल यह आता कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी क्या होगी। इसके अन्दर एक बहुत दिक्कत की बात है क्योंकि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी इतनी जगह आयी है बिल के अन्दर, और हर जगह उसके अलग अलग माने हैं और इस कारण बड़ा कन्फ्यूजन है और यह भी भय है कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अथारिटी दे दी गई तो तमाम मामला चौपट हो जायगा और इस सिलसिले में जो आपत्ति माननीय गेंदा सिंह जी को जो थी वह यह थी कि आज कल के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उनका एक पेशा है और वह यह है कि जो दल शासनारूढ़ है उसको किस तरह से खुश किया जाय और खुश करने का कारण उन्होंने यह बताया है कि चूंकि उनका प्रोमोशन, नौकरी, तरक्की उनके हाथ में है। तो मैं गेंदा सिंह जी को यह बतलाना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी का शासन किसी भी समय क्यों न हो एक्जीक्यूटिव अपनी जगह होगी। तो अगर उनका यह विचार है चूंकि कांग्रेस शक्तिशाली है, कांग्रेस को खुश करने में

[श्री नवल किशोर]

ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का समय कटता है तो उसका सुधार समझ में आता नहीं है। कल को अगर गेंदा सिंह जी पावर में आ जायं तो उनको खुश करना उनका काम हो जायगा। यह कोई दलील नहीं है। अगर गेंदा सिंह जी यह कहें कि एक्जीक्यूटिव में कुछ कमियां हैं और उनको दूर करने की कोशिश की जाय तो ठीक है। वर्ना मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी शक्ति में आये एक्जीक्यूटिव हमेशा कायम रहेगी और जो पार्टी पावर में होगी उसके आर्डर्स व पालिसी को मानेगी और अपोजीशन की स्वीट विल पर काम नहीं कर सकती। ऐसा समय कभी आने वाला नहीं है। तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि कांग्रेस की यह नीति अवश्य रही है कि जूडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को सैपरेट किया जायगा और जहां तक मैंने बिल को पढ़ा है मैंने कहीं यह नहीं पढ़ा कि एक्जीक्यूटिव जूडीशियरी को नामीनेट करेगी। माननीय गेंदा सिंह जी को यह भय हो गया है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही बनने वाला है। लेकिन जब शुक्ल जी ने कहा कि नहीं माननीय गेंदा सिंह जी भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी बन सकते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी शक्ति नहीं चाहता जिसमें कोई लगाम न हो। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी लगाम सरकार पर ढीली है। यदि ढीली न होती तब आज नेता विरोधी दल जेल में न होते। उनकी लगाम ढीली है या नहीं सो तो मैं नहीं जानता, मेरा तो ख्याल है कि वह यथाशक्ति कड़ी रखने की ही कोशिश में रहते हैं। मगर मैं उनको यह अवश्य कहना चाहता हूं कि सरकार की लगाम ढीली हो या न हो, उनकी अपनी पार्टी की लगाम अवश्य ढीली है और अगर ऐसा न होता तो माननीय नेता विरोधी दल और उनकी पार्टी कानपुर में यह सब न करते और न वह आज जेल में होते, मैं श्रीमन् एक्जीक्यूटिव और जूडीशियरी के सेपरेशन की बात कह रहा था। जहां तक मैं समझता हूं पहले यह होता था कि जो एस० डी० एम० होता था वही चालान करता था और वही ट्राइल करता था। तो एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी को कन्फ्यूज न किया जाय। मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के माने क्या हैं। तो इसके मानी यह है कि सरकार जिसको भी अमुक कार्य करने की उस समय के लिए शक्ति तथा अधिकार दे दे। वह एक व्यक्ति विशेष भी हो सकता है और कोई कमेटी भी। उनकी यह एक कंडीशनल बात है कि अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हुई तब तो उनका आपोजीशन है और अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट न हो कर कोई और हुआ तब शायद उनका अपोजीशन नहीं होगा। तो इसके माने यह हैं कि बुनियादी तौर से उनको इस बात पर कोई विशेष आपत्ति नहीं है। यह भी कहा गया कि पिछले ५–६ सालों में सरकार इतनी ज्यादा अनपापुलर नहीं हुई जितनी कि अन्दाजा है कि अगर यह कानून बन गया तो हो जायगी। तो माननीय गेंदा सिंह जी की सहानुभूति के लिये मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं हालांकि मैं समझता हूं कि यह बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी की बात उन्होंने नहीं कही। उनके लिये तो यह बड़ा अच्छा है कि सरकार जितनी जल्दी अनपापुलर हो उतनी ही जल्दी उनका काम बने। तो इसकी फ़िक्र न करें, सरकार को खुद फ़िक्र है और वह यह जानती है कि उसकी क्या पोजीशन है और क्या होनी चाहिये।

आखिर में जो बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि एलेक्टेड जुडीशियरी अमरीका में होती है, श्रीमन्, यह बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी चाहता हूं कि हिन्दुस्तान अमरीका बन जाय और अगर उससे ऊंचा उठ जाय तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे मुल्क की मिसाल देना जहां सदियों से डेमोक्रेसी रही है, जो डेमोक्रेसी में पले हैं, ऐसे देश के मुक़ाबिले में जिसकी आजादी को अभी ६ साल भी हुये हों और जहां आज भी ८६ फीसदी इन्सान अनपढ़ हो, जहां इस तरह का जाति पांति का भेद भाव हो, मेरी समझ में कुछ बहुत उचित नहीं है। मैं यह बात मान सकता हूं कि अगर जुडीशियरी चुनी जाय तो कोई ज्यादा आपत्ति की बात नहीं है मगर जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं और जो स्थिति हमारे देश की है मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसमें ऐसा करने से बजाय इसके कि न्याय हो अन्याय ही अधिक होगा। आज कल जिन्हें पंचायतों का अनुभव है, और मैं समझता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी को पंचायतों का अनुभव बहुत ज्यादा है क्योंकि उनका ग्रामीण जीवन से बहुत ज्यादा सम्पर्क है, वे स्वयं भी जानते होंगे कि आज कल की जो पंचायतें

बनी हुई हैं उनमें कितना अन्याय होता है। जब चुन कर लोग आयेंगे तो यह स्वाभाविक है कि जो वोट देंगे उनका असर उनके ऊपर थोड़ा बहुत जरूर होगा। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से जितना भय उनको है उतना भय मुझे नहीं है। हो सकता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हमारे सूबे में ठीक न हो, किसी ने कोई ग़लती कर दी हो, मगर सब के ऊपर एक स्वीपिंग रिमार्क पास कर देना और एक्जीक्यूटिव के अन्दर डिसट्रस्ट और ससपिशन पैदा करना मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। एक्जीक्यूटिव के ऊपर आप को ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उनको आप दूर करें लेकिन उसके ऊपर आप ट्रस्ट न करें इससे मैं समझता हूं कि शासन का चलना एक असम्भव सा हो जायगा। इन सब बातों के कहने के बाद मुझे यह आशा है कि माननीय गेंदा सिंह जी वस्तु स्थिति पर अधिक ध्यान देंगे और भावनाओं के अन्दर न बह कर अपने इस संशोधन को वापस लेंगे।

*श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जब माननीय गेंदा सिंह जी का संशोधन और उनके भाषण को सुना तो मुझे एक ही बात विदित हुई कि उनकी कुछ संदेह और शंकायें करने की जो आदत है वह बढ़ती जा रही है और मुझे अफसोस है कि कहीं वह आगे चल कर अपनी छाया से ही शंका न करने लग जायं। न्याय पंचायत के संबंध में जो उनका संशोधन है वह न तो इस बात का हामी है कि एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को पृथक करना चाहिये क्योंकि ग्राम पंचायतों में जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव की वह ही स्थिति है जो कि प्रदेश में प्रान्तीय धारा और हाईकोर्ट या न्यायालयों की है। आप चाहते हैं कि गांव की जुडीशियरी का चुनाव वहां की पंचायतों के द्वारा हो। आप इस तरह से यह अनुमान करते हैं कि जो वहां पंचायतें बनेंगी वह वहां की जो सभायें होंगी वह स्वतंत्र होंगी। आप चाहते हैं कि ग्राम सभा के ३५ आदमी जो हैं वह ५ आदमियों को चुनेंगे तो क्या आप यह अनुभव नहीं करते हैं कि उनका उन पर प्रभाव होगा और पंचायतों में पार्टीबंदी जरूर होगी, जहां एक दल हावी है, क्या उसके हाथ में न्याय पंचायत के निर्णय करने का अधिकार नहीं पहुंच जायगा? तो क्या आप चाहते हैं कि गांवों में जो पार्टीबन्दी है उसके सिर पर न्याय आ पड़े और दूसरे लोगों को न्याय प्राप्त नहीं जो माइनोरिटी में हैं। मेरे ख्याल से यह जो वाया मीडिया इलेक्शन और नामिनेशन का रखा गया है, वर्तमान परिस्थिति में मेरे ख्याल से इससे अच्छा और कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है।

इतने बड़े देश में, आप के प्रदेश में जहां कि क़रीब ९ हजार पंचायतों का निर्माण न्याय के लिये होता है और जहां लाखों मामले उन पंचायतों के सामने आते हैं, उतना बड़ा प्रयोग, मैं समझता हूं कि बहुत कम दूसरे देशों में इस प्रकार का होता है, वह, आप के प्रदेश में हो रहा है और केवल ५-६ साल के ही अनुभव से हमें मालूम हुआ कि इसमें अभी इस तरीके के कुछ नियंत्रण करने की आवश्यकता है, जिससे एक माइनोरिटी के दल को या कुछ दल जो माइनोरिटी में आये हैं, उनकी भी रक्षा हो सके।

अपनी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के अधिकार में केवल यह रखा गया है कि जो ३५ आदमी आप ग्राम सभा के लिये चुनें उनमें से ५ योग्य आदमियों को वह चुन लें। यह भी सम्भव हो सकता है कि कहीं कहीं अच्छे आदमी न आयें। लेकिन यह एक एक्सपेरीमेंट है जो आपको करना है। वर्तमान परिस्थिति में आप के सामने चल रही है और गांवों में जो हमें सुधार करना है, उनमें शिक्षा का प्रचार करना है, उनमें जो पार्टीबन्दी है उसको मिटाने के लिये जनतांत्रिक भावना को जाग्रत करना है मेरा ख्याल यह है कि कुछ समय में वह समय आ सकता है जब कि हम वहां की जुडीशियरी को बिल्कुल चुनाव पर ही छोड़ दें लेकिन वर्तमान परिस्थिति में यह सम्भव नहीं है।

माननीय गेंदा सिंह जी ने जो यह संशोधन रखा है, मैं समझता हूं कि कानपुर की घटना उनके दिमाग को उस समय प्रभावित कर रही थी। लेकिन कानपुर में क्या हुआ, उसका उल्लेख मैं यहां पर नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इसकी इस समय कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस समय हम यह कानून बनायेंगे उस समय हमें इस तरह की परिस्थितियों से ऊंचे उठने की आवश्यकता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[देवकी नन्दन विभव]

है। माननीय गेंदा सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि वह गांवों की परिस्थितियों को समझें और देखें कि कहीं वह अपने संशोधन से वह परिस्थिति तो पैदा नहीं कर रहे हैं कि गांवों में ये न्याय पंचायतें उत्पीड़न का एक साधन बन जायं। अगर माननीय गेंदा सिंह जी गये होंगे गांव में, मुझे जाने का मौका मिला है और गेंदा सिंह जी का तो काफी गांव से परिचय रहता है, क्या यह बात नहीं है कि आज गांव में पार्टी-बन्दियां हैं और उनके कारण ग्राम सभाओं के कार्य का संचालन करना कठिन हो गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में मेरे ख्याल से जहां वह एक तरफ इस सिद्धांत को कहते हैं कि जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव का एक दूसरे पर प्रभाव न पड़े, उनको पृथक होना चाहिये, वहां मैं यह समझता हूं कि ग्राम की एक्जीक्यूटिव यानी ग्राम की पंचायतों द्वारा निर्वाचित वहां की न्याय पंचायतों के इस उसूल से वह मेरे ख्याल से अपने ही उस उसूल को काट रहे हैं जिनको वह पेश करना चाहते हैं।

मैं तो, जो प्रस्ताव उपस्थित हुआ है, माननीय स्वशासन मंत्री की ओर से, उसका समर्थन करता हूं और साथ ही आशा करता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी अपने संशोधन को वापस कर लें।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने आदरणीय मित्र माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन पर मैंने संयुक्त दल के माननीय सदस्य राजा वीरेन्द्रशाह का जो भाषण सुना उससे मैं कुछ स्तंभित हुआ। वह बड़े तैश के साथ, आवेश के साथ यह कहते हैं कि सरकार के पास, कांग्रेस पार्टी के पास कोई उत्तर नहीं और यही कारण है कि शायद माननीय स्वायत्त शासन मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं। ऐसा लगता है कि जमींदारी उन्मूलन विधान के द्वारा कांग्रेस ने उस वर्ग को जो जवाब दिया है, उसकी तिलमिलाहट से माननीय वीरेन्द्रशाह, या उसकी झुंझलाहट में इस प्रकार की बात कह देते हैं। यह बात उनके जैसे गम्भीर व्यक्ति के लिये शोभाजनक नहीं है। उनको यह स्वीकार करना चाहिये कि पंचायत राज विभाग कांग्रेस की सृष्टि है और शायद ही कोई दल या व्यक्ति इस प्रकार का हो जो अपनी सृष्टि को विकृत या असुन्दर करना चाहे। किन्तु इसके विपरीत यदि माननीय वीरेन्द्रशाह को पंचायत राज विभाग से गुरेज हो या उसके प्रति उनको कोई ईर्ष्या या द्वेष हो, तो यह स्वाभाविक हो सकता है, क्योंकि जमींदारी प्रथा की प्रतिक्रिया पंचायतराज विभाग है, नहीं तो अगर वह आज इस व्यवस्था को ठीक ठीक उसी प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं ला पाते हों और उसको असफल बनाने में छद्म रूप में नाना प्रकार की प्रवंचनाओं द्वारा असफल करना चाहते हों, तो मैं माननीय वीरेन्द्रशाह से कहना चाहूंगा कि वह अपने इस प्रयास में असफल होंगे।

हमारे सदन के सामने आज विरोधी दल के नेताओं ने जिस प्रकार विवाद किया उससे ऐसा लगता है कि वह संदेह और अविश्वास के शिकार हैं। न्याय की बात कहते समय वह सिद्धान्ततः न्याय को भूल जाते हैं। उसके न्याय की जगह उनकी अपनी इच्छा लेती है और जब उस न्याय की जगह उनकी अपनी इच्छा ले लेती है तब यदि उन्हें असंतोष होता हो न्याय से तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, वर्ना प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जिसको वह जानते नहीं कि क्या होने वाली है, क्या होगी, उसके सम्बन्ध में पहले से ही इस प्रकार की भूमिका बांधना, वही जैसा मैंने कहा, संदेह और अविश्वास का शिकार होना है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं और यह आश्वासन दिलाता हूं कि पंचायत राज व्यवस्था को अधिक से अधिक सुन्दरतम और सफलतम बनाने के लिये कोई ऐसा कार्य नहीं जिस कार्य को करने में हमारी कांग्रेस पार्टी जरा भी हिचक करेगी। बजट के समय जिन लोगों ने इस पक्ष के भाषणों को सुना होगा पंचायत राज व्यवस्था के ऊपर उनको यह स्मरण होना चाहिये कि उन्होंने बराबर न्याय पंचायतों की भूरि भूरि निन्दा की और यह कहा कि सरकार का यह प्रयास सम्पूर्ण असफल हुआ और आज भी जहां वह एक तरफ निर्वाचन की दुहाई देते हैं और गांव सभाओं के अधिकार की दुहाई देते हैं वहीं वह दूसरी तरफ गांव सभाओं के अधिकारों के ही ऊपर कुठाराघात करते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राजा वीरेन्द्र शाह--गलत कहते हैं आप।

श्री देवदत्त मिश्र--ठीक है। गलत और सही तो भविष्य बतायेगा।

तो मैं जो कह रहा था कि गांव सभाओं के जो अधिकार हैं उनके ऊपर आपको विश्वास नहीं है।

राजा वीरेन्द्र शाह--श्रीमन्, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री दव दत्त मिश्र--मैं यील्ड नहीं करता।

उनके न्याय के ऊपर आपको विश्वास नहीं है। यदि विश्वास होता तो आप कभी ऐसा न कहते। जो गांव सभायें उन व्यक्तियों को चुनेंगी जिन व्यक्तियों को वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नामजद करेगी तो यह कैसे मान लिया जाय कि गांव सभायें अवांछित व्यक्तियों का निर्वाचन करेंगे। जो गांव सभा अपने संगठन के लिये विशुद्ध व्यक्तियों का निर्वाचन नहीं कर सकती उससे यह आशा करना कि वह दूसरे संगठन के लिये उचित व्यक्तियों का चुनाव करेगी, यह कैसी आशा है? इसलिये मैंने जैसा कहा आज विरोधी दल को गांव सभाओं के न्याय के ऊपर गांव सभाओं के अधिकार विवेचन के ऊपर सचमुच में विश्वास नहीं है और या कोई दूसरा निहित उद्देश्य उसके भीतर है जिसकी वजह से वह इस प्रणाली का विरोध कर रहे हैं। माननीय बालेन्दुशाह जी ने जो संशोधन रखा उसको उन्होंने एक कम्प्रोमाइज फार्मूला बताया किन्तु वस्तुतः यदि देखा जाय तो कम्प्रोमाइज फार्मूला तो जो इसमें रखा गया है वही असल में एक कम्प्रोमाइज फार्मूला है निर्वाचन और नामजदगी के बीच में। हम प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को स्वच्छन्द नहीं छोड़ते कि वह जिसे चाहे नामजद कर दें, बल्कि उसे हम गांव सभा के विश्वास-पात्र व्यक्तियों में से किन्हीं पांच को चुनने का केवल अधिकार देते हैं। तो इसलिये जैसा कि न्याय पंचायतों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से लेकर नीचे के जिलाधीशों तक ने न्याय पंचायतों के संगठन के ऊपर यह सन्देह प्रकट किया कि चुनाव के द्वारा जिन पंचायतों का संगठन होगा मानव स्वभाव की दुर्बलता से हर व्यक्ति संक्रांत होता है इसलिये बहुमत के द्वारा चुने गये व्यक्ति यदि बहुमत का लिहाज करें तो यह अस्वाभाविक नहीं होगा और जैसा कि मैंने कहा यह तो मानव स्वभाव सुलभ दुर्बलता है। इसलिए जो इसमें एक त्रुटि थी, उसको दूर करने के लिए यह एक इतना सुन्दर फार्मूला निकाला गया कि उनको, जो न्याय पंचायत के सदस्य हैं, उनको गांव सभा का विश्वास भी प्राप्त हो और साथ ही साथ लिहाज का भी सवाल उनके सामने न रहे। क्योंकि उन्होंने चालीस की जगह पैंतालीस या तीस की जगह पैंतीस आदमियों को चुना, गांव पंचायत के सदस्यों के रूप में। अब उनमें से पांच व्यक्ति न्याय पंचायत के सदस्य हो जाते हैं। उनके ऊपर सीधा लिहाज कोई नहीं होता है कि हमने आप को न्याय पंचायत का सदस्य चुना इसलिए हमारी बात आपको माननी चाहिए। इससे सुन्दर बीच का रास्ता हो नहीं सकता था।

इस प्रश्न पर एक्जीक्यूटिव और जूडीशियरी की बात पैदा हुई। इस सम्बन्ध में उन्होंने पंचायत राज की भावना को ही नहीं समझा। पंचायत राज की भावना इस एक्जीक्यूटिव और जूडिशियरी की भावना से सर्वथा स्वतन्त्र है। पंचायत राज की भावना में यह निहित है कि ज्यादातर न्याय पंचायतों का उद्देश्य होगा कि वस्तु स्थिति को समझ कर घटनाक्रम को जानकर दोनों पक्षों को आपस में एक दूसरे के नजदीक ले आयें। वह हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट, सेशन कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की दृष्टि से न्याय पंचायतों को देखते हैं। भगवान, इस दृष्टि से न्याय पंचायतों को बचाये रखें। इसी में कल्याण है। इसलिए एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी वाली बात यहां है नहीं।

कानपुर की घटना का उल्लेख हमारे कतिपय माननीय सदस्यों ने किया और माननीय गेंदा सिंह जी ने, जिनको मैं इतनी श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूं, जिस भाव के साथ इस घटना का उल्लेख

[श्री देवदत्त मिश्र]

किया, उससे मुझे अत्यन्त खेद है। मैं बड़े अदब के साथ उनसे यह पूंछूगा कि लोकतन्त्र की प्रतिष्ठा में अपने को अग्रणी मानने वाले माननीय गेंदा सिंह जी किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी कारण समाज में बहुत ऊंचे स्थान पर है, क्या इस बात की इजाजत देंगे कि वह कानून को अपने हाथ में ले लें, और इस प्रकार जो कानून को अपने हाथ में ले लेता है, क्या वह व्यक्ति लोकतन्त्र का प्रतिष्ठाता माना जा सकता है ? मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, किन्तु मैं स्वयं उस दिन और उसके पहले प्रायः एक पक्ष तक कानपुर में रहा।

राजा वीरेन्द्र शाह---मैं पूछना चाहता हूं कि यह संगत है ?

श्री देवदत्त मिश्र---यह गेंदा सिंह जी और अन्य लोगों से पूछिये। उस वक्त आपकी न्याय बुद्धि कहां गयी थी ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को उस घटना के ऊपर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री देवदत्त मिश्र---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले ही कहा कि मैं डिटेल्स में नहीं जाता। अभी आप ही की उपस्थित में इसका जिक्र किया गया और इसके पहले अध्यक्ष महोदय की उपस्थित में भी जिक्र किया गया। मैं तो एक पासिंग वे में जा रहा हूं। मैंने जैसा कहा कि लोकतन्त्र में किसी भी व्यक्ति को चाहे वह कितना भी सम्माननीय व्यक्ति हो, उसको यह अधिकार नहीं प्राप्त है, कि वह कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में ले। कानून और व्यवस्था के प्रतिपादन के लिए जो व्यक्ति अपने कर्त्तव्य स्थान पर तैनात किये हुए हैं, उनके कार्य में हस्तक्षेप करने वाला कोई भी व्यक्ति हो जिस दिन उस व्यक्ति को बचाने की चेष्टा की जायगी, उस दिन हमारे देश से लोकतन्त्र मिट जायेगा।

हमारे गेंदा सिंह जी ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य ऐक्ट कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए जो अंश उद्धृत किया था, मैं उसी अंश को पढ़ कर उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें। वह अंश इस प्रकार है :—

"Those who were opposed to the system of elected judiciary, perhaps did not fully appreciate that there could be no alternative to create the people's tribunals in the rural areas. The burden of responsibility fully laid on the shoulders of the members of the Gaon Sabha and the experience gained of the consequences of thoughtless and impulsive voting was more likely to teach the voters in the Gaon Sabha the necessity of creating the best possible Nyaya Panchayats for themselves."

माननीय गेंदा सिंह जी ने इस अंश के द्वारा, इस बात को बतलाया कि गांव सभायें, इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि वे इस प्रकार की कोई व्यवस्था करें, जिससे न्याय पंचायतों का संगठन सुन्दर और इस प्रकार का हो सके, जिससे हमारी न्याय पंचायतों का कार्य चल सके। इस भावना के अन्तर्गत जैसा मैंने पहले कहा था, चूंकि गांव सभाओं के ऊपर यह उत्तरदायित्व छोड़ा जाता है कि ५ व्यक्ति वे चुनेंगे और जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी होगी, वह इस प्रथा को सफल बनाने के लिए होगी, वह इस बात को ध्यान में रक्खेगी, कि ऐसे व्यक्ति चुने जायं, जो न्याय पंचायतों के लिए उपयुक्त हों। हमें ऐसी ही स्वस्थ परम्परायें डालनी चाहिए, अविश्वास और सन्देह से दूर हो कर इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करना चाहिए कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ने जिन व्यक्तियों की दृष्टि में रख कर न्याय पंचायतों के लिए गांव सभाओं ने सदस्यों को चुना है, उनको ही वह नामजद करे, इस प्रकार का स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करने की जरूरत है। हमारी डेमोक्रेसी, अभी शिशुकाल में है। इस शिशु और यौवनकाल में जब तक इस प्रकार की परम्परायें, नहीं डाली जायेंगी, तब तक डेमोक्रेसी पनप नहीं सकती। ये परम्पराएं

विश्वास के आधार पर होनी चाहिये। तो मैं माननीय गेंदा सिंह जी से अपील करना चाहता हूं कि वह इस बात का विश्वास करें कि पंचायत राज्य व्यवस्था को हम दोनों ही मिल कर, एक दूसरे के विश्वास और सहयोग की भावना से सफल बना सकते हैं। एक बात माननीय गेंदा सिंह जी अपने भाषण में शायद आवेश में कह गये, क्योंकि उनका जैसा गम्भीर व्यक्ति ऐसी बात नहीं कह सकता कि सरकार के ऊपर अविश्वास पैदा करना ही हमारा काम है। यह डेमोक्रेसी को निगेटिव करना है। जो भी सरकार इन पार्टी होती है, डेमोक्रेसी का यह उसूल है कि जितने दल होते हैं, वे सब दल मिल कर इस बात का प्रयत्न करते हैं कि उसके द्वारा जो स्कीम्स और जो प्लान्स उनके सामने प्रस्तुत किये जाते हैं, उनको सपोर्ट करें, आपका सहयोग प्राप्त करके, उनको वर्क आउट किया जाय। उनके लिए आपका सहयोग प्राप्त होना चाहिए। किन्तु जब विरोधी दल इस बात से दूर हटकर केवल पावर की तलाश में रहता है, तब वह इस प्रकार का काम करता है और गाहे बगाहे, समय बे समय वह केवल सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करने का काम करता है किन्तु वह यह नहीं जानता कि ऐसा करने से वह उसी डाल को काट रहा है, जिस पर वह स्वयं बैठा है। वह लोकतन्त्र की शाख को काट रहा है। इसी प्रकार से वह उन पद्धतियों को जो फासस्टि हैं, और एकतन्त्रीय पद्धति हैं, उनको इस प्रकार के व्यवहार से अवसर देता है कि वह लोकतन्त्र की जगह आकर उसके स्थान को ग्रहण करें। इसलिये, मैं माननीय गेंदा सिंह जी से एक सदस्य की हैसियत से यह अपील करूंगा कि वह अपना यह कर्तव्य भूल जायं कि उनका कर्त्तव्य केवल सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करना है। ऐसा करके वह अपने उसूलों के प्रति वफादारी नहीं करते हैं।

एक बात और कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। माननीय वीरेन्द्र शाह ने कहा कि हमारे कारनामे यानी कांग्रेस के कारनामे जो हैं, उनको याद रखें। कम से कम वीरेन्द्र शाह जी को तो यह बात नहीं कहनी चाहिए, इसलिए कि कांग्रेस ही ऐसी जमात है कि जिस जमात में, चूंकि वह राष्ट्रीय जमात है, जिसमें आप जैसे वर्ग के लोगों को भी प्रश्रय और आश्रय मिल सकता है और जिसके साथ आप आज विरोध की भावना का आश्रय लेकर विरोध किया करते हैं, और कन्धे से कन्धा मिलाकर विरोध करते हैं, जिस दिन वह सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पावर में आयेंगे, उस दिन हमारे कारनामें आपको स्मरण आयेंगे। मैं अन्त में फिर इन शब्दों के साथ अपने माननीय मित्र गेंदा सिंह जी से अपील करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस लेकर पंचायत राज की व्यवस्था को सफल बनाने में सहयोग दें।

श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)—मैं क्लोजर मूव करता हूं कि अब इस पर बहस बन्द की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं श्री गजेन्द्र सिंह को अवसर और देता हूं, तब फिर इसके बाद इस प्रस्ताव पर राय ले लूंगा।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं श्री गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय गेंदा सिंह का संशोधन इस बात को कहता है कि दफा १२—ए निकाल दी जाय। मैं आपकी आज्ञा से उस धारा को पढ़ना चाहता हूं :—

"12-A. For the purpose of electing members of a Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from its members such member as shall exceed by five (or if any lesser number is fixed in any case as shall exceed by such number the number prescribed under sub-section(2) of section 12 but only such of them as remain after the prescribed authority has selected five persons or such lesser number as aforesaid under section 43 for membership of the Nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat."

[श्री गजेन्द्र सिंह]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहरहाल धारा १२–ए को निकाल देने का मन्शा यह है कि न्याय पंचायत का चुनाव सीधे गांव सभा द्वारा किया जाय, जैसा कि अभी तक होता रहा है। अगर इस धारा को नहीं निकाला जाता है, तो उसका मन्शा यह होगा कि गांव सभा के लोग गांव पंचायत को चुनेंगे, और गांव पंचायत के मेम्बरों में से जो २५ या ३० होंगे, उसमें से प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जो कि सरकार द्वारा नियुक्त की जायगी, चाहे वह डी० एम० हो या ए० डी० एम०, हो, वह उनमें से ५ आदमियों को सेलेक्ट करेगा, जो कि न्याय पंचायत के मेम्बर होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को लेकर यहां काफी वाद-विवाद किया गया है। माननीय देवदत्त जी ने हमें नसीहत दी कि कोई आदमी कितना ही बड़ा क्यों न हो, अगर वह कानून हाथ में लेगा, तो उसे सजा दी जायगी। मैं इससे सहमत हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं उनसे यह पूछूंगा कि यह सिद्धांत क्या अपोजीशन पर ही एप्लाई होता है, या कभी इसे उनके मेम्बर्स पर भी एप्लाई किया गया है। क्या वह भूल गये कि पालीवाल जी जो मिनिस्टर थे, उन्होंने अलीगढ़ में एक सिपाही को बेत मारा था? क्यों नहीं उनको देवदत्त जी ने मिनिस्टरी से उसी समय निकाल दिया और जेल भेज दिया, जैसे कि श्री राजनारायण जी को जेल में डाल दिया गया है?

श्री मोहनलाल गौतम––आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। अगर यह गर्मी पंचायत राज से अलहदा रहे तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष––काफी जवाब दे चुके हैं, अब संशोधन पर आ जावें।

श्री गजेन्द्र सिंह––मैं चाहता हूं कि इस सिद्धान्त को बराबर लागू किया जाय और राजनारायणजी के मामले में तो आगे चलकर कोर्ट तय करेगा कि कानपुर का डी० एम० गलती पर था या राजनारायण जी थे। यह बात उधर से उठायी गयी थी, इसलिए उत्तर देना आवश्यक था।

माननीय देवदत्त जी ने कहा कि विरोधी दल के लोगों का गांव सभा पर विश्वास नहीं है कि ठीक आदमी चुन सकेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमें गांव सभाओं पर पूरा विश्वास है और इसीलिए हमने यह रखा है कि गांव सभा ही अपनी गांव पंचायत और न्याय-पंचायत को चुनें। लेकिन यदि देवदत्त जी को गांव सभा का विश्वास होता, तो वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के द्वारा न्याय पंचायत के मेम्बरों के सेलेक्ट होने की बात को सपोर्ट न करते। माननीय शुक्ल जी ने कहा कि जनता को मौका दिया गया अदालती पंचायतों के चुनने का, पर उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। उनको याद हो, तो पहले, जो पंचायतें, ब्रिटिश रैजीम में कलेक्टर नामिनेट करता था। उनसे तो इनका काम अवश्य अच्छा था, तो फिर आप अब क्या प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से नामिनेट कराते हैं? उन्होंने कानपुर के चुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी पार्टी कानपुर में चुनाव जीती। लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि उनकी पार्टी कानपुर में कैसे चुनाव जीती। आपने अपोजीशन लीडर को जेल में बन्द किया। आपने राजाराम जी शास्त्री के पोलिंग एजेन्ट्स को जेल में बन्द किया। आपने वहां पुलिस का आतंक छा दिया। मैं माननीय सदस्य की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि . . .

श्री उपाध्यक्ष––माननीय सदस्य संशोधन पर ही बोलें। बाहर की बातों पर न बोलें। कानपुर का काफी उत्तर वह दे चुके हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि चुनाव द्वारा अच्छे आदमी चुने जायेंगे, यह मुश्किल है। मैं उनसे कहूंगा कि अगर चुनाव द्वारा न्याय पंचायतों के लिए अच्छे आदमी नहीं चुने जायेंगे, तो गांव पंचायतों में भी चुनाव द्वारा अच्छे आदमी नहीं चुने जायेंगे, और चुनाव के द्वारा हम लोग जो असेम्बली के सदस्य एम० एल० एज०

हैं, वह भी अच्छे नहीं चुने जायेंगे, और इस तरह से संसद के सदस्य भी जो चुनाव द्वारा चुने जायेंगे, वह भी अच्छे नहीं चुने जायेंगे, और इस तरह से चुनाव का सिस्टम ही बेकार हो जाता है और डेमोक्रेसी भी फिर ठीक चीज न होगी। अगर आप चुनाव का सिस्टम पार्लियामेंट असेम्बली, गांव पंचायत सभी जगह रखना चाहते हैं, तो आप को जनता पर तो विश्वास करना ही होगा, कि वह ठीक आदमियों को चुनकर भेजे और अगर वह ठीक आदमियों को नहीं भेजती है, तो उसको उसका खमियाजा भुगतना ही होगा। यह कैसे हो सकता है कि जनता असेम्बली के मेम्बरों को अच्छा चुन लेगी, पार्लियामेंट के सदस्यों को अच्छा चुन लेगी, गांव पंचायतों के सदस्यों को अच्छा चुन लेगी, लेकिन न्याय पंचायतों के सदस्यों को वह अच्छा नहीं चुन सकेगी। यह दलील समझ में नहीं आती कि जनता सब को ठीक चुन लेगी, लेकिन न्याय पंचायत के सदस्यों को ठीक से नहीं चुन सकेगी।

यह भी कहा गया कि एक्जीक्यूटिव आफिसर रहेंगे, और उनको पावर दी जायगी। जैसा कि उपाध्याय जी ने बताया आपने कलेक्टर को जहां भी पावर दे रखी है, वहीं आप देख लें, कि कैसा काम हो रहा है। अपोजीशन की ओर से विरोध इसलिए किया जा रहा है कि सरकार का जो ख्याल है, कि छोटे-छोटे लोग पंचायतों में जो होते हैं, उनको पावर न दी जाय, उसका हम विरोध करते हैं, सरकार उनकी पावर को स्नैच करना चाहती है। मालूम होता है कि सरकार को जनता पर विश्वास नहीं रह गया है और वह जनता को नीचे स्तर का समझकर बड़े-बड़े अफसरों को तमाम पावर देना चाहती है। यहां तक किया जाता है कि मन्त्री महोदय जाते हैं और जिलाधीशों के कान में कह देते हैं कि हमारी पार्टी को सपोर्ट करो। हमारे यहां मिनिस्टर साहब गये थे, और उन्होंने वहां ऐसी चीजें पेश कीं कि जिनके बारे में मैं सदन के सामने क्या कहूं। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी कौन होगी, इस चीज को साफ होना चाहिए था, लेकिन माननीय मन्त्री महोदय ने इस विषय में हमें बिलकुल अंधेरे में ही रखा है। जब माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा था कि क्या वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा, तो उस बात का मन्त्री महोदय ने कोई ठीक उत्तर नहीं दिया। मैं समझता हूं कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी चाहे डी० एम० बनाया जाय या कोई भी अफसर बनाया जाय, लेकिन इस तरह से बनायी गयी अथारिटी को कोई भी इन पंचायतों के बारे में जानकारी नहीं होगी कि कौन कैसा है और जो डिटेल की वहां की बातें हैं वह किसी भी जिलाधीश या प्लानिंग आफिसर को नहीं मालूम हो सकती हैं और ऐसी सूरत में वह अपने निजी लोगों पर ही आधारित रहेंगे और पंचायत राज इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट पर ही काम करेंगे, और इस तरह से जो मन्शा इस बिल की है, वही खत्म हो जायगी और जो करप्शन और भ्रष्टाचार है, वह इसी तरह से वहां कायम रहेगा। जरा सोचने की बात यह है कि इस तरह से पंचायत इन्स्पेक्टर, तहसीलदार या सुपरिन्टेंडेंट, एस० डी० एम० द्वारा सजेस्ट किये हुए आदमी कहां तक न्याय-पंचायतों का काम ईमानदारी से करेंगे, और कहां तक ईमानदार आदमी सजेस्ट किये जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करा के हम पंचायत राज का जो उद्देश्य है उसको समाप्त करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनके द्वारा निर्धारित लोगों के पास चारों तरफ से लोग जायं और बहुत बड़ी तादाद में लोग इन तहसीलदारों, प्लानिंग आफिसर्स, पंचायत इन्स्पेक्टर्स को घेरे रहें और इस बात की कोशिश करेंगे कि हमको पंच बनाया जाय। जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष देखा जाता है कि गवर्नमेंट ने आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाने के लिये कमेटी बनायी, और उन कर्मचारियों के पास किस तरह से लोग दौड़-दौड़ कर आते हैं और अपनी सिफारिश करते हैं और चाहते हैं कि हमको आनरेरी मैजिस्ट्रेट बना दिया जाय। तो इस तरह से दौड़ धूप करके, पैसा खर्च करके लोग आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनेंगे, वे कहां तक न्याय कर सकेंगे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस संशोधन को लाकर माननीय मन्त्री महोदय, करप्शन बढ़ाना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि जो चापलूसी कर सकें, उनके हाथों में यह पावर जाय। एक तरफ तो वे पंचायतराज कायम करना चाहते हैं और दूसरी तरफ अपने को शक्तिशाली भी बनाना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपैलिटीज

[श्री गजेन्द्र सिंह]

व टाउन एरियाज के जो एलेक्शन हुए हैं, उनके नतीजे से उनको खतरा हो गया है, इस एलेक्शन से उनको घबराहट हो गयी है, ट्रावनकोर के नतीजे से उनको घबराहट है, और अपनी घबराहट का उन्होंने प्रदर्शन किया है। माननीय विभव जी ने कहा कि माननीय गेंदा सिंह जी का विरोध बढ़ता जाता है। मैं माननीय विभव जी से कहता हूं कि अगर उनका विरोध बढ़ता जाता है, तो जिस तरह से कानपुर के डी० एम० ने श्री राजनारायण जी को बन्द कर दिया है, उसी तरह से उनको भी बन्द करवा दीजिये। माननीय विभव जी ने यह भी कहा कि माननीय गेंदा सिंह जी को गांवों की परिस्थित का ज्ञान नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय विभव जी से कहना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी गांव के ही रहने वाले हैं और आप शहर में रहते हैं और शहर में रह कर आपको गांवों का उतना तजुर्बा नहीं है, जितना गेंदा सिंह जी को है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इन न्याय पंचायतों के सेलेक्शन का काम प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के हाथ में दे दिया गया तो न्याय पंचायतों की वही हालत हो जायगी, जो अंग्रेजी राज्य में उस समय के अदालती पंचायतों की थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अपना विश्वास है कि अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा ये न्याय पंचायतें चुनी जायेंगी, तो उनका नतीजा यही होगा कि जहां सरकार मजबूत बनेगी, उसके साथ ही साथ सरकार के प्रति आम जनता में नफरत का भाव भी पैदा हो जायगा। इसलिए माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया उससे माननीय मन्त्री जी की स्वयं बचत होती है। वे अपने सिर पर क्यों कलंक लेना चाहते हैं? वे क्यों डी० एम० को बदनाम करना चाहते हैं? वे क्यों प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के हाथ में यह राइट देकर उसे भी बदनाम करना चाहते हैं? इस तरह से इन्डाइरेक्ट वे में उनकी भी बदनामी होगी। अगर वे समझते हैं कि इस तरह से प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के हाथ में सेलेक्शन का राइट देकर वे उससे बच जायेंगे तो मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी को बतला देना चाहता हूं कि वे उस से बच नहीं सकते हैं। उसका असर इन्डाइरेक्ट वे में उनके ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन तमाम शब्दों के साथ माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि न्याय के नाम पर, प्रजातंत्र के नाम पर जनता को इन्तजाम करने का पूरा अधिकार दीजिये। चाहे ग्राम पंचायतों का चुनाव हो, चाहे न्याय पंचायतों का चुनाव हो, लेकिन हर हालत में उनको पूरा अधिकार देना चाहिए। अगर वे कुछ गलती भी करें, तो गलती के बाद धीरे-धीरे काम करना सीख सकेंगे। हर व्यक्ति गलती करता है, हर संस्था गलती करती है और हर सरकार भी गलती करती है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन को मान लें।

महाराजकुमार आलेन्दुशाह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी ऐसी खुशी का अवसर प्राप्त होता है और हमारे लिये खुशी की बात है कि इस समय दोनों मन्त्री महोदय, यहां इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि वे हमारे सामने अपने विचार प्रकट करें।

श्री उपाध्यक्ष---यह तो उनकी इच्छा पर निर्भर है। प्रश्न यह है कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता था कि जो शुबहा या संदेह मेरे दिमाग में उत्पन्न हो गया है और मैंने उसको स्पष्ट रूप से माननीय स्वशासन मंत्री के सामने रख दिया था, उस पर कुछ प्रकाश पड़ेगा और हो सकता था कि उस पर कुछ रोशनी पड़ने के बाद मैं कुछ सोचता समझता और शायद अपने मित्रों की बात जैसा कि माननीय देवदत्त जी ने कहा, माननीय ब्रज बिहारी जी जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने भी कहा, तथा और माननीय

सदस्यों ने भी कहा कि हम अपने संशोधन को वापस ले लें। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती अगर उनकी बात को मान कर अपने संशोधन को वापस कर लेता। मुझे अफसोस है कि माननीय स्वशासन मंत्री ने अपने विचार बतलाने की मेहरबानी नहीं की। उल्टे जो माननीय सदस्यों ने भाषण किये उन्होंने हमारे संदेहों को दूर करने के बजाय उन संदेहों को और भी पुष्ट करने की कोशिश की। मैं सबसे पहले उन्हें यह कहना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उस रिपोर्ट के ८–१० पन्नों को पढ़ने की मेहरबानी की। अगर माननीय सदस्यों ने एक घंटे के समय का ठीक उपयोग किया होता तो मैं समझता हूं मुझे फिर किसी बात के कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह रिपोर्ट बहुत विचार विनिमय के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ लिखी गयी है। इसके अतिरिक्त मैं और कोई बात लोगों को याद भी नहीं दिलाना चाहता हूं लेकिन मजबूरी हमारी यह है कि मुझे उस तरफ के लोगों को याद दिलाने की जरूरत होती है। इसलिए कि जिन माननीय सदस्यों ने लंच आवर के बाद भाषण किये उनसे मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बराबर इस तरफ ध्यान दिलाने के बाद भी इसको देखा नहीं। माननीय ब्रज बिहारी मिश्र जी ने एक पैराग्राफ की तरफ जाने को कहा था। मैं उनका ध्यान इस रिपोर्ट के खास-खास अंशों की तरफ दिलाना चाहता हूं। यहां पहले ही भूमिका में जहां पर न्याय पंचायत शुरू हुयी है उन्तीसवें पेज में यह बात लिखी हुयी है, मैं उस तरफ माननीय मिश्र जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं—

"Inspite of the shortcomings, lack of experience and training and regardless of the stare and blinking of millions of suspicious eyes the Adalti Panchayats have established a unique record by disposing of over 9 lakhs of cases of which only two percent, revisions were allowed. Any machinery entrusted with the administration of justice embellished and studded with the best brains of any country would have been proud of such an achievement although the expense involved in its maintenance would have been prohibitive for a country of poverty-stricken millions."

यह तो माननीय मिश्र जी ने पंचायतों की तारीफ में कहा। इसके बाद फिर तीसरे पैराग्राफ में कुछ जस्टिस की तरफ यानी जिस तरह से न्याय किया जाय इस पर कुछ विशेष कहने की कृपा की है। इसमें उन्होंने कहा:—

"In simple language and briefly however the act of giving to every one his due may be termed as justice. It must be lawful, full, fair and equitable. It should necessarily be based on truth and reighteousness, should be exact and must appear to be upright."

यानी यह कि वह केवल थ्योरी में न हो बल्कि वह दिखायी भी दे वह सही चीज है तो क्या प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के नामजदगी से इसमें खूबसूरती दिखायी देगी फिर इसके बाद वेलफेयर स्टेट में कैसा जस्टिस हो इस पर भी उन्होंने एक राय कायम की है और मैं समझता हूं कि कमेटी ने बहुत मुनासिब राय कायम की है। वह कहते यह हैं कि:—

"Justice in a Welfare State must not only be done but even the weakest and the poorest must have the faith and confidence that it shall be done to him. The basis of a Welfare State lies in the secure and a consistent enjoyment by the people, in an ever increasing manner of the rights conferred upon them by the laws of the land."

अब मैं नहीं समझता कि किस तरह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को यह अधिकार देकर हम जनता को अधिकार दे रहे हैं और उनका विश्वास प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं और बातों को छोड़कर जो इसका अंतिम पैरा है उसे माननीय मिश्र जी की सेवा में और माननीय सदन की सेवा में रखना चाहता हूं और इसे देखने के बाद फिर मैं समझता हूं कि शायद माननीय सदन को अपनी राय बदलने को राजी किया जा सके और माननीय मिश्र जी को अगर वह

[श्री गेंदा सिंह]

विस्मृत हो गया रिपोर्ट की बातें तो फिर उनको स्मरण दिलाकर मैं चाहूंगा कि वह हमारा साथ दें और सरकार को कहें कि सरकार भी अपनी राय बदले। छब्बीसवें पैरा में यह कहा गया है--

"At the end of this prolonged discussion the Members of the Committee unanimously felt that they could not recommend any other system which would work better than the election of members of the Nyaya Panchayat by the Gaon Sabha directly. It was however pointed out that for the election of the Nyaya Panchayat also, as far as possible, the Gaon Sabha should be divided in appropriate constituencies so that each village lying within the jurisdiction of the Nyaya Panchayat may be suitably represented. The members again emphasised that the Gaon Sabhas should be encouraged and helped to adopt the system of secret voting for ....."

यह तो सीक्रेट वोटिंग पर है, लेकिन आखिरी हिस्सा उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने इसका पढ़ा उसमें स्पष्टरूप से यह बात कही गयी है कि कमेटी इस राय की है कि किसी दूसरी प्रथा को चाहे वह नामिनेशन हो, चाहे वह कोई प्रथा हो उसको पेश करने के लिये वह तैयार नहीं है—लेकिन सबसे बढ़िया तरीका अगर किसी को उसने समझा है तो गांव सभा द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव को। इस कमेटी में उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य रहे हैं उनके नाम मैं जरूर यहां रख देना चाहूंगा क्योंकि वह माननीय सदस्य ऐसी स्टैंडिंग के हैं जिससे मैं समझता हूं कि उनके नाम सुनने से माननीय सदस्यों का भी शायद इस रिपोर्ट को पढ़ने का जी चाहेगा और मैंने जो उनके सामने यह दरख्वास्त की है, जो उद्धरण पेश किये हैं उस पर शायद उनको राय बदलने का मौका मिले।

1. Sri. Mohan Lal Gautam, Minister for Local Self-Government .. .. Chairman
2. Sri. Malkhan Singh M. L. A. .. .. .. Member
3. Sri. Brij Behari Misra, M. L. A. .. .. Member
4. Dr. Ishwari Prasad, M. A., D. Litt., M. L. C. .. Member
5. Sri. Suresh Prakash Singh, M. L. A. .. .. Member
6. Sri. Mahant Jagannath Bux Das. M. L. A. .. Member
7. Sri Shiv Saran Lal Srivastava, M. L. A. .. Member
8. Sri Kalika Singh, M. L. A. .. .. .. Member
9. Sri S. N. Katju, M. L. A. .. .. .. Member
10. Sri Radha Mohan Singh, M. L. A. . .. .. Member
11. Sri J. K. Tandon, Secretary Legislative Department Member
12. Sri K. N. Singh, Secretary Local Self Government Department .. .. Member
13. Sri G. S. Chooramani, Joint Director of Panchayats Member Secretary.

यह १३ माननीय सदस्य इस कमेटी के मेम्बर रहे हैं। मैं इन १३ माननीय सदस्यों को निजी तौर से कुछ जानता हूं। लेकिन श्री जे० के० टंडन जो इस कमेटी के सेक्रेटरी हैं उनका नाम जब मैं पाता हूं तो अधिक मजबूत हो जाता हूं। इसके अलावा डाइरेक्टर साहब श्री चूरामनी के नाम से मझे कुछ और मजबूती मिलती है। लेकिन सबसे अधिक मजबूती तो तब मिलती है जबकि माननीय स्वशासन मंत्री जी जो कि इस कमेटी के चेयरमैन थे उनकी भी राय कुछ दूसरी नहीं है। उनकी राय भी यही है जोकि मैंने माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने रखी। माननीय चेयरमैन साहब, जो इस समय हमारे सामने माननीय स्वशासन मंत्री जी की शक्ल में हैं उनकी राय मैं समझता हूं कि इस कमेटी में बहुत मजबूत राय होगी। दो और आदमियों की राय ने सबसे ज्यादा काम किया होगा। एक तो माननीय टंडन जी जोकि इस सदन के कानूनी सलाहकार हैं, उनको मैं निजी तौर से भी जानता हूं, वह एक बिन्दी हटाने में भी उपाध्यक्ष महोदय, घंटों सोचते हैं। अगर किसी विधेयक में एक कामा और फुलस्टाफ हटाने

की भी बात कही जाय, यह मामूली बात नहीं है कि वह उसपर राजी हो जायं। अगर माननीय टंडन जी के दस्तखत से यह रिपोर्ट शाया हुयी है तो मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, बिल्कुल उलझ पड़ा। नहीं मालूम कौन सा जब्र उस बेचारे पर हुआ जिसके बाद उन्होंने इस बिल को फिर से दूसरे प्रकार से ड्राफ्ट कर दिया। मैं जब किसी वक्त सोचता हूं तो यह महसूस करता हूं की श्री टंडन के ऊपर भारी जब्र किया गया होगा और उससे मैं परेशान हो जाता हूं कि कैसे उस भले आदमी ने कबूल किया होगा। इसके अलावा माननीय स्वशासन मंत्री जी ने कैसे कबूल किया, इसे सोचकर उनसे हमारी पूरी हमदर्दी है। उनकी जो अवस्था हुयी होगी इस बिल को कबूल करने में इस रिपोर्ट को लिखने के बाद जबकि इस बिल में उपाध्यक्ष महोदय इसका जिक्र है खंड ४३ में, पंचों के चुनाव के संबन्ध में कि हम इस बात को नहीं मान सकते। यह ड्राफ बिल में जो बात आयी है इसको स्वीकार नहीं कर सकते, यह लिखा हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि क्या गुजरी होगी माननीय स्वशासन मंत्री जी के ऊपर। और इसीलिए मैं हमदर्दी का इजहार करता हूं। अब मैं किन शब्दों में कहूं, हां यह बात तो ठीक है, जो माननीय भट्ट जी ने कहा। मेरे पास शब्द नहीं हैं। वाकई मैं ठेट देहाती आदमी हूं। अगर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास शब्दों का भंडार होता तो मैं आज गवर्नमेंट को उन शब्दों में सुनाता कि जीवन भर शायद गवर्नमेंट को सुनने को मिलता। बदकिस्मती से शब्दों का भंडार मेरे पास नहीं है। भंडार भट्ट जी के पास है। विचार हमारे पास। कभी-कभी मिला-जुला लिया करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में मैंने शुरू में यह कहा है, कि इस शासन विभाग के खंभों को जो मोटे-मोटे हैं उन केसाथ इसको बांध दिया जाय। अगर बांध दिया गया तो यह खंभे इन्हें ले जा करके अच्छी जगह न डालेंगे। न्याय विभाग वालों को ले जा कर गड्ढे में डाल देंगे। मैंने शुरू में कहा था, बार-बार क्या दोहराऊं, कि न्याय विभाग का जिसका बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध गांवों के छोटे-छोटे मामलों से है इसका इस तरह से शासन के साथ गठबन्धन कर देना यह अन्याय करना है, कोई न्याय नहीं पायेगा और रही बात माननीय देवदत्त जी की कि सरकार के ऊपर हमारा अविश्वास बढ़ता जा रहा है। मैं यह कहता हूं कि सरकार के प्रति जितना भी अधिक से अधिक अविश्वास फैलाया जा सके यह हमारा काम है। लेकिन हम जानते हैं कि जो लोग कांग्रेस के भीतर रहे हों और कुछ भी गांधी जी की छाप उनके जीवन पर एक आना, एक पाई, २ पाई है तो उनका कर्त्तव्य अपने विरोधी को नीचे गिराना ही नहीं है, बल्कि अन्देशा है कि कम खतरे से आगाह करना भी कर्तव्य समझे, मैंने शुरू में ही यह बात कही थी कि हमारा काम यह जरूर है, इससे इन्कार नहीं करते। अगर वह काम हमारा न होता तो हम भी माननीय गौतम जी के साथ होते। माननीय स्वशासन मंत्री जी जो हैं उनके पीछे रहने का तो अवसर कभी मिला ही था काफी दिनों तक और जिस वक्त यह हमसे जुदा हुए उस वक्त बहुत कष्ट हुआ और उस कष्ट का वर्णन नहीं कर सकता। आज माननीय मंत्री जी जिसमें विश्वास करते हैं उसमें हम नहीं विश्वास करते। फिर भी हमारा यह काम नहीं है कि हम हर मामले में स्वशासन मंत्री जी या इस शासन का जो भार चला रही है, सरकार को उसे प्रत्येक मामले में बदनाम किया करें। हर मामले में जो सही सलाह दी जा सकती है वह न दें। डेमोक्रेसी में अपोजीशन का काम मैं उन माननीय सदस्यों से सीखना चाहता हूं जो हमको यह सिखाते हैं। हम कहते हैं कि अपोजीशन का क्या काम है, विरोधी-दल का क्या काम है। अगर इस मुल्क में डेमोक्रेसी को रखना है और डेमोक्रेसी को जिन्दा रखना है तो भाषण करना जरूरी होगा और जिन माननीय सदस्यों को भाषण पर विश्वास न हो वे बाहर चल करके जरा तलवार पर हाथ रखें क्योंकि सरकार को बदलने का तरीका या तो भाषण है नहीं तो तलवार है। उसके अलावा दूसरा तो कुछ नहीं। और तीसरा तरीका बिनोबा-भावे जी का सेवा करने का है जिसमें माननीय सदस्य जो उलाहना देते हैं हमारे भाषण का उनको विश्वास ही नहीं है। हम कहेंगे कि जरा बिनोवा जी के पीछे तो चलिये तो उसके पीछे जाने को तैयार नहीं तलवार उठाने को तैयार नहीं, भाषण पसन्द नहीं। फिर करते क्या? तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारा विश्वास डेमोक्रेसी में है प्रजातंत्र में है और उस प्रजातंत्र में विश्वास रखते हुए हम यह सोचते हैं कि हर आदमी को उचित मौका रहना चाहिये

[श्री गेंदा सिंह]

कि वह न्याय पा सके। हम जब यह संदेह करते हैं कि सरकार, शासनाधिकारी जो हैं वे न्याय के कामों में दखल देते हैं और न्याय के कामों में दखल दिया करते हैं, सरकार के विरोधियों को कुचलने के लिए, अपनी कुचेष्टा को पूरा करने के लिए, तो मैं क्या गलत कहता हूं ? मैं उदाहरण स्वरूप अगर अपने ही को रखूं तो क्या इससे सरकार इन्कार करेगी कि जिसको सरकार ने नियुक्त किया, जिसका सरकार के साथ बहुत नजदीक का सम्बन्ध था उसने उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो वर्ष की सजा दे दी। ऐसा समझ कर सजा दी कि दो वर्ष की सजा के बाद यह अयोग्य हो जायगा इस असेम्बली का सदस्य बनने के लिए। लेकिन जिस वक्त मैंने उसी हुक्म के खिलाफ अपील की और जिसका शासन से जरा दूर का सम्बन्ध है उस जुडिशियरी ने फैसला दे दिया कि यह बेक़सूर है। अब उस जुडीशियल मैजिस्ट्रेट को मैं क्या कहूं, जिसने दो वर्ष की हमको सजा दी। वह कन्फार्ड नहीं था। उसको जुडीशियल मैजिस्ट्रेटी करनी थी, इसलिए उसने सोचा कि अगर दो वर्ष की सजा गेंदा सिंह और उनके साथी को देते हैं तो बड़ी पक्की नौकरी उसकी हो जायगी और फिर जो यह असेम्बली में जा कर सरकार के सामने दो बातें जनता की कह लेता है वह कहने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन उस जुडीशियरी ने, जिस पर हमें गर्व है, उसने हमें रिहा कर दिया और मैं कहता हूं कि सरकार अपील में क्यों नहीं आयी, जरा हाई कोर्ट में जाती तो मैं देखता कि सरकार की क्या गति वहां बनती। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार न्याय के काम में बिल्कुल गुलाम न बना दे उनको। यह तो बड़े पैमाने पर है। मैं कहता कि छोटे पैमाने पर गांव-गांव में पार्टीबन्दी है, उस पार्टीबंदी को हम एक स्वस्थ रूप देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि गांवों में पार्टीबन्दी होगी, कोई दुनियां की ऐसी ताकत नहीं जो उस पार्टीबन्दी को रोक सके। अगर उस पार्टीबन्दी को रोका नहीं जा सकता तो क्यों न उसे एक स्वस्थ्य रूप दिया जाय, जिससे कि वह गांवों को नर्क न बनाये बल्कि उनको तरक्की की तरफ ले जाये। आज जो कानून सरकार बना रही है उसके मुताबिक गांवों का क्या स्वरूप होगा। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी न्याय पंचायत बनायेगी और न्याय पंचायत बनाने के बाद जिनको जी में आयेगा उनको वह सतायेंगे, जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से सजा दिलायेंगे और जो मैं उदाहरण स्वरूप आपसे कहता हूं कि मैंने ऐसा हुक्म कभी नहीं देखा कि एक मैजिस्ट्रेट एक आदमी को जमानत के लिये ऐसा हुक्म दे और यह कहे कि तुमको कानपुर के किसी इन्कमटैक्स देने वाले को ही लाना पड़ेगा, उसी की जमानत हम मानेंगे, यह माननीय राजनारायण जी को एक मैजिस्ट्रेट साहब ने हुक्म दिया।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—प्रोपेगेंडा करने की बात दूसरी है।

श्री गेंदा सिंह—सभी को प्रोपेगेंडा करने का अधिकार है और हमें भी है। माननीय सदस्य भी करते हैं। मैं तो कहता हूं कि सरकार जो करती है उसका हम सभी चित्रण करना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि यह हमारा अधिकार है। अगर हमारे अधिकार को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोक दें तो मैं समझता हूं कि यह हमारे साथ अन्याय होगा, और किसी माननीय सदस्य को इस तरह से रोकने का अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—इस सम्बन्ध में सदन में चर्चा हो चुकी है, उसके विषय में फैसला भी हो चुका है और तरीका भी बताया गया है कि किस तरह से काम किया जाता है। तो ऐसी सूरत में जो उनके विवाद में संबंधित चीजें हैं उन्हीं पर बातचीत होनी चाहिये।

श्री गेंदा सिंह—मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नवल किशोर जी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने इस पर काफी रोशनी डाली, काफी बदनाम करने की कोशिश की माननीय राजनारायण जी को और इस बहाने से वे बदनाम कर लें और आप हमको अपनी पोजीशन को साफ करने का मौका न दें यह हमारे साथ अन्याय होगा, मैं तो कहता हूं कि माननीय राजनारायण जी के साथ हो क्या रहा है ? मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहा हूं कि इसी तरह के लोगों को आप प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी बनाने जा रहे हैं। अगर सरकार को साहस हो तो कह दे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी में नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि ये डिस्ट्रिक्ट

मैजिस्ट्रेट्स प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी होंगे। इस रिपोर्ट में यह बहुत स्पष्ट लिखी हुई बात है कि १७ जिला मैजिस्ट्रेटों ने नामिनेशन के लिये सिफारिश की कि नामिनेशन किये जायं न्याय पंचायत के लिये।

एक सदस्य--लेकिन वह माइनारिटी में हैं।

श्री गेंदा सिंह--माइनारिटी में होते हुये उन्हीं की चल रही है। कलक्टरों में सभी नालायक थोड़े ही हैं, उनमें भी लायक होंगे और उन्होंने कहा होगा कि न्याय पंचायतें चुनी जायं, लेकिन जो कलक्टर पथ-भ्रष्ट है, जो बुद्धि-भ्रष्ट हैं उनकी चल गयी और सरकार ने उनकी राय को ही पसन्द किया और जो १३ सब से बढ़िया राय देने वाले इस कमेटी में बैठे थे उनकी राय कट गयी। इस तरह से यह पंचायतें भी भ्रष्ट होने जा रही हैं। यह बुद्धि भ्रष्ट १७ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों की राय थी कि पंचायतें नामिनेटड हों और बाकी ३४ कलेक्टरों की यह राय नहीं थी। वह १७ कानपुर के राठौर जैसे थे। लेकिन उन १७ कलेक्टरों की बन गयी जो पथ-भ्रष्ट और बुद्धि भ्रष्ट थे और सरकार भी उनके पीछे चली गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अब भी सरकार चेते और सारे माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वह इस गुस्से में काम न करें। नाराज होने का कारण मुझे तो है उपाध्यक्ष महोदय, जिस घर के बुजुर्ग को जेलखाने में बन्द कर दिया गया हो और इस पर भी हमें चिढ़ाया जाता है, हमसे सवाल होता है कि तुम्हारे नेता कहां हैं तो मुझे गुस्सा नहीं होगा क्या ?

श्री उपाध्यक्ष--मैं फिर माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री गेंदा सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाराज भी हूं और हमें तकलीफ है। हमारे घर का जो बुजुर्ग है जिसे हमने बुजुर्ग का दर्जा दे रखा है और मैं किसी सरकार के लिये समझता हूं उचित नहीं है कि वह इतने बड़े प्रबल मत और इतनी बड़ी शक्ति में होने के बाद एक व्यक्ति से चाहे कि उसको जेलखाने में रखकर हुकूमत करेगी।

श्री अब्दुल मुईज खां--श्रीमन्, मैं यह जानना चाहूंगा कि चेयर से रूलिंग होने के बाद यह बात असंगत है, माननीय सदस्य का परसिस्ट करना क्या मुनासिब है ?

श्री गेंदा सिंह--चेयर से कोई रूलिंग नहीं हुयी है।

श्री उपाध्यक्ष--अगर रूलिंग नहीं हुयी है तो भी मैं माननीय सदस्य को सलाह दे चुका हूं। मेरी सलाह को न मानना कहां तक उचित है यह मैं माननीय सदस्य के ऊपर छोड़ता हूं।

श्री गेंदा सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सलाह की रूलिंग से भी अधिक प्रतिष्ठा करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं थोड़े से में जवाब न दे दूं, तो हमें बदनाम होने का डर है, और हमें बदनाम करने की चेष्टा की जा रही है। मेरे दिल में नाराजी है, लेकिन मैं विधेयक पर नाराज होकर नहीं बोल रहा हूं। जिस दिन से यह पंचायत राज विधेयक आया मैंने अपना सारा काम छोड़ रखा है और उस दिन से मैंने इसको विधिवत् पढ़ने की कोशिश की है। मैं पंचायत राज विभाग के अधिकारियों का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे लिए बड़ी सुविधा दे दी थी, कि हम पंचायतों के बारे में आसानी से बहुत सी बातों की जानकारी हासिल कर सकें। आज भी बहस होने के पहले उन्होंने हमें एक छोटी सी पुस्तिका दी, जिससे हमारी जानकारी और भी बढ़ गयी। हम नाराजगी में इस बात को नहीं कह रहे हैं, बल्कि बहुत सोच समझ कर कह रहे हैं।

[श्री गेंदा सिंह]

हम सरकार के उन विरोधियों में से हैं, जो सरकार को हटाना चाहते हैं, लेकिन सरकार को इसलिए हटाना नहीं चाहते हैं कि गलत या सही हर मामले में हम सरकार की आलोचना किया करें। सरकार गलती करने जा रही है, इससे हम उसको आगाह करना चाहते हैं। अगर सरकार आगाह होना चाहे, तो हो जाय। लेकिन नहीं होना चाहे, तो भी हम तो अपना कर्तव्य-पालन कर रहे हैं, और अपने कर्तव्य के पालन करने में हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। हमारे पास जितने शब्द होंगे और जितनी बुद्धि होगी, उसके अनुसार हम सरकार को समझाने की चेष्टा करेंगे, सरकार समझे न समझे, आगे आने वाले जमाने में सरकार को खुद सबक मिलेगा। ५–६ वर्षों में जो काम इसने किया है, उस पर जो कुछ इसकी राय थी, उस से ही सरकार उल्टी जा रही है। क्योंकि जो कुछ भी ५–६ वर्ष का काम था, कमेटी ने उसका विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद हमारे सामने यह पुस्तकाकार के रूप में एक रिपोर्ट दी है। इसके देखने के बाद मैं समझता हूं कि कमेटी के उन माननीय सदस्यों ने बहुत ही समझ बूझकर वह राय दी थी, लेकिन, सन् १९५४ में दो चार महीनों के भीतर सरकार ने अपनी राय बदली। मुझे नहीं मालूम कि सरकार को राय बदलने के क्या कारण थे। मैं अब भी अपनी मजबूरी जाहिर करता हूं कि अगर वह मेहरबानी करके कारण माननीय स्वशासन मन्त्री जी ने बतलाया होता, या माननीय ब्रजविहारी जी ने बतलाया होता, या किसी माननीय सदस्य ने बतलाया होता, तो मैं सोचने के लिए तैयार था, और मैं शायद सरकार के साथ होता। मुमकिन है कि सरकार या किसी माननीय सदस्य की सलाह से मैं भी कनविंस हो जाता और मान जाता कि न्याय पंचायत को प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के ही द्वारा बनाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि माननीय सदस्यों में से किसी ने इस बात पर स्पष्ट नहीं किया और न इसको माननीय स्वशासन मन्त्री ने इतनी मेहरबानी की कि वह मुझ को या और माननीय सदस्यों को बतायें। तो फिर ज्यों का त्यों हमारा सन्देह बना हुआ है। किसी माननीय सदस्य ने यह भी कहा, विभव जी ने, ऐसे आदमी ने, कहा कि कहीं हम अपनी छाया से ही सन्देह न करने लग जायें। मैं जानता हूं आखिर यहां बैठा रहा हूं, कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं, जो हमको करेक्ट किया करेंगे, शुद्ध किया करेंगे। हम गलती कर सकते हैं, तो माननीय विभव जी जैसे आदमी भी तो यहां मौजूद हैं, जो अपनी छाया से सन्देह नहीं होने देंगे। छाया तो दरकिनार मैं तो माननीय विभव जी से भी सन्देह नहीं करूंगा। उधर के माननीय सदस्यों में से ऐसे लोग भी हैं, जिनको मैं अपने से कम समझने वाला या कम ईमानदार नहीं मानता हूं, कम प्रगतिशील भी नहीं मानता हूं। कुछ मजबूरियां हैं, एक मुल्क की स्थिति है, जिसकी वजह से आज हम और वह दो जगह हैं। आज हमारा यह विश्वास है कि हम सन्देह से डूबने वालों की दुनिया में नहीं हैं हमने सन्देह की दुनिया में डूबने वालों का साथ छोड़ दिया। हम रीअलिस्ट हैं, वस्तुस्थिति को देखते हैं, और उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। सम्भव है, गलती हो जाय। जहां गलती हो, वहां माननीय रामकुमार और श्री सीताराम जी बैठे रहेंगे, और माननीय चतुर्वेदी तो बैठे ही हैं। वह दुरुस्त कर लेंगे। सब लोग बैठे हैं, आखिर यह लोग करेंगे क्या? इसीलिए तो डेमोक्रेसी को हम हिमायत करते हैं कि जब दो विरोधी विचारों का द्वंद होता है तो उस द्वंद के बाद कोई चीज सही निकल सकती है। एक आदमी सही नहीं सोच सकता, यह भी बात हो सकती है, लेकिन दूसरा आदमी अगर सही बात सोचता हो, तो मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। मैं फिर आखीर में इसी बात की दरख्वास्त करता हूं और अब भी आशा करता हूं कि देर आयद दुरुस्त आयद, माननीय स्वशासन मन्त्री अपनी उस कमेटी की रिपोर्ट पर जिसके चेयरमैन थे, स्टिक करें और उधर जायं और उधर जाने के बाद मैं समझता हूं कि इस विधेयक की रूपरेखा दूसरी होगी और उस रूप में जब यह विधेयक पास होगा, तो माननीय स्वशासन मन्त्री जी की नेकनामी होगी, हम भी माननीय स्वशासन मन्त्री जी का गुणगान गायेंगे और सरकार की जयजयकार होगी। अब इसके बाद अगर वह ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या होगा, यह मैं नहीं जानता। वह तो इतिहास भविष्य का बतलायेगा।

*श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी विषय पर कई बार कई रूप में वाद विवाद हो चुका है और इस संशोधन पर जितने भी माननीय सदस्य बोले, उन्होंने जितनी बातें कहीं, उनमें से एक भी बात ऐसी नहीं है, जो पहले नहीं कही गयी हो। माननीय सदस्यों ने आपकी कृपा से और आपकी सलाह से बावजूद जो अधिकार बढ़ा लिये हैं, वह गलत हैं। एक तो यह कि बहुत सी असंगत बातें कही गयीं। उनके उत्तर देकर मैं कम से कम अपने अधिकार नहीं बढ़ाना चाहता जिसको कि मैं गलत समझता हूं। जो जितनी असंगत बातें हैं, उनको कहने के लिए एक ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया है, माननीय सदस्यों ने कि अगर वह न होता, तो यह सदन ज्यादा अच्छी तरह से काम करता। इसलिए मैं उस अधिकार को कम से कम अपने लिए तो नहीं बढ़ाना चाहता और उन असंगत बातों का जवाब नहीं देना चाहता। किस-किस पर आक्षेप, क्या-क्या बहस, क्या-क्या बातें कही गयीं, वह सब इससे कोई सम्बन्ध नहीं रखती हैं। दूसरा अधिकार यह माननीय सदस्यों ने बढ़ा लिया है कि जो बात एक दफे कही जाय, उसे बार-बार कहने का अधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो इस अधिकार को भी मैं गलत समझता हूं और इस सदन का जो मूल्यवान समय है, उसमें बार-बार एक ही दलील को कह देने का अधिकार मैं अपने लिए प्राप्त नहीं करना चाहता। इसके अलावा एक भी प्वाइन्ट ऐसा नहीं है जिसका कोई उत्तर देने की आवश्यकता हो। इसलिए मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा 12—A निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ।)

पक्ष में (१७)

उमा शंकर, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गंगा धर, श्री
गेंदा सिंह, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार,
मोहन सिंह शाक्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
यमुना सिंह, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राजवंशी, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
विष्णुदयाल वर्मा, श्री

विपक्ष में (११०)

अब्दुल मुईज़ खां, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
किन्दर लाल, श्री
कृपा शंकर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चन्द्रहास, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपति सिंह, श्री
जवाहरलाल, श्री
टीका राम, श्री
तुलसी राम, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देवदत्त मिश्र, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिम अली, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदास, श्री
नौरंगलाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पुत्तूलाल, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभूदयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फजलुल हक, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भुवरजी, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहन सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री,
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम भजन श्री,
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामबल मिश्र, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
विद्यावती राठौर, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
वसी नकवी, श्री
वीरसेन, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुगन चन्द, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री

श्री उपाध्यक्ष--यह जो श्री केशभान राय का संशोधन ४९-ग पर है, यह तो आफिस के द्वारा ही कर दिया जायगा ।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बात इसमें ओमिट की जा रही है, वह यह है कि किसी भी गांव का रिप्रेजेन्टेशन न हुआ हो, वह इसमें आ गयी है । कोशिश यह होगी कि हर रेवेन्यू विलेज की गांव सभा हो और जब कांस्टिट्यूशन बन जायगा तो गांव उसमें आ जायगा, लिहाजा इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती ।

राजा वीरेन्द्रशाह--उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित नयी धारा 12-B की उपधारा (2) निकाल दी जाय ।

(इस समय ४ बजकर २७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्रीमान्, इसके मानी हैं कि 12—B जो नयी चीज सरकार इस धारा द्वारा रखना चाहती है, वह यह है कि रक्षा दल के सदस्य पंचायतों की बैठक में भाग लिया करें और पंचायतों पर अपना प्रभाव डालने के लिए भाषण दिया करें और उनके कार्य में अपने को सम्मिलित कर सकें । मैं समझता हूं कि ऐसा करने से पंचायतों का जो स्वतन्त्र रूप से निर्णय करने का ढंग है, उसमें बाधा पड़ेगी और वातावरण बिगड़ेगा और पार्टीबन्दी बढ़ेगी । सरकार समझती है कि रक्षा दल उचित कार्य करेगा, लेकिन मेरी राय में उससे बड़ी गड़बड़ियां मचेंगी । मैं नहीं समझ पाया कि सरकार ने कैसे इसे उचित समझा, कैसे पंचायतों को अपने निर्णय करने में सुविधा होगी ? मैं समझता हूं कि उनके आने से न्याय पंचायतों के निर्णय में बाधा पड़ेगी । देखा यह गया है, श्रीमन् कि किसी को गांव में पंचायत में अपने विचार रखने से मनाही नहीं है । पंचायत के लोग किसी को बुला सकते हैं और वह अपने विचार पंचायत के सामने रख सकता है । मैं समझ नहीं सका कि क्यों इस क्लाज को रखा गया है । मन्त्री जी के भाषण के बाद मैं यह तय करूंगा कि यह किस गरज से उपयोगी समझा गया है और तभी कुछ और कहूंगा ।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काफी दलील नहीं है विरोध करने की कि समझ में नहीं आया । इसके रखने का कारण यह है कि गांव में विकास के कार्य गांव सभायें करती हैं और गांवों में एक बड़ा भारी ट्रेन्ड फोर्स प्रान्तीय रक्षा दल का है । जो प्रान्तीय रक्षा दल वाले गांवों में ही रहते हैं, वे तो उसके सदस्य होकर भाग ले ही सकेंगे, लेकिन जो गांवों में नहीं रहते हैं, उनके लिए यह रखा गया है । हम चाहते हैं कि दो पहिये अलहदा-अलहदा न चलें । राजा साहब ने देखा होगा कि बाहर वालों को वोट का अधिकार नहीं दिया गया है । सिर्फ दोनों मिलकर दोनों साथ-साथ कार्य कर सकें, यही इसका मंशा है । मेरा ख्याल है कि अब राजा साहब समझ गये होंगे और अपना संशोधन वापस ले लेंगे ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--अध्यक्ष महोदय, जिस रूप में यह धारा है उसके कारण मुझे माननीय वीरेन्द्रशाह जी के संशोधन का समर्थन करना पड़ रहा है । मंत्री महोदय ने जो सफाई दी उसमें मैं पूर्णरूप से सहमत हूं कि ऐसी योजनाओं के संबंध में और कंस्ट्रक्टिव वर्क के सम्बन्ध में प्रान्तीय रक्षा दल के लोग, जिसका वर्णन उन्होंने एक ट्रेन्ड फ़ोर्स कह कर किया है, अगर वे चाहें तो काफी सहायता दे सकते हैं । प्रान्तीय रक्षा दल किस प्रकार काम कर रहा है, इसके सम्बन्ध में मैं पहले कह चुका हूं और दोबारा इस बारे में कुछ कहने की गुस्ताखी नहीं करूंगा । इस धारा के अन्दर लिखा है कि गांव सभा की बैठक में उन्हें, प्रान्तीय रक्षा दल वालों को, बोलने का अधिकार होगा । प्रश्न यह पैदा होता है कि इसका क्या महत्व है । प्रान्तीय रक्षा दल वालों को गांव सभाओं में भाग लेने के लिये एनेबिल किया जा रहा है या उनको एक विशेष अधिकार दिया जा रहा है कि जब वे चाहें तो उनकी बैठकों में भाग लें । यदि यह चाहा गया है कि यदि गांव सभा उनको आमंत्रित करे, क्योंकि यह उम्मीद की जाती है कि भविष्य में ये बहुत सुधर जावेंगे,

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

तो मेरा कहना है कि यह प्रान्तीय रक्षा दल के लोग ऐसा कर सकते हैं और मुझे कोई आपत्ति न होगी । किन्तु जिस रूप में धारा ड्राफ्ट की गई है उसका मतलब मैं तो यह नहीं लगाता । मैं उसका यह मतलब लगाता हूं कि प्रान्तीय रक्षा दल के लोगों के पास एक विशेषाधिकार रहेगा कि जब वे चाहें, चाहे गांव सभा के लोग उनको चाहें या न चाहें, गांव सभा के काम में दखल दे सकें । मैं तो यह न समझूंगा कि मंत्री महोदय का यह विचार है कि हमेशा गांव सभा के काम में दखल दें । मंत्री महोदय का ऐसा विचार न होगा । किन्तु यह समस्या आ जाय कि अनइंवाइटेड होने के बावजूद, जनता द्वारा अस्वीकृत होने के बावजूद उनको यह अधिकार दिया जाय कि वहां आकर गांव सभा की बातों में, दखल दें तो उसका मतलब यह हो जाता है कि वे गांव सभा की प र्टी पालिटि स में वे भाग ले सकेंगे । इससे एक तो गांव सभा की बैठकों में अड़चन होगी दूसरे यह कि प्रान्तीय रक्षा दल की जो सूरत है वह और भी बिगड़ने का अंदेशा हो सकता है । मेरे नाम में कोई संशोधन नहीं है किन्तु मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यही प्रार्थना करूंगा कि वे इसमें यह स्पष्ट कर दें कि जब गांव सभा की ओर से यह इच्छा प्रकट की जाय कि प्रान्तीय रक्षा दल के लोग भाग लें तो वे उनकी सभाओं में भाग ले सकें । आप प्रान्तीय रक्षा दल के लोगों के लिये एक ऐसा इनेबिलिंग क्लाज ले आयें कि आमंत्रित होने पर वे गांव सभा की बैठकों में भाग ले सकेंगे ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे सामने रक्खा गया है कि प्रान्तीय रक्षा दल के लोग भी गांव सभाओं की बैठकों में भाग ले सकेंगे, मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही अच्छा सुझाव है । यह एक बहुत ही लाभकारी चीज है । अभी माननीय मंत्री जी ने यह बात बतलायी कि वह गांवों में एक बाडी है जिसने देहातों में संगठन पैदा करने में, प्रान्त में श्रमदान के काम में बहुत ही ज्यादा हिस्सा लिया है । मैं इससे एक कदम आगे चलकर माननीय सदस्यों को यह बतला देना चाहता हूं कि प्रान्तीय रक्षा दल के लोगों ने गांव के संगठन में और गांव की रक्षा के कामों में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है । ऐसे बहुत से जिले हैं जिनमें प्रान्तीय रक्षा दल के लोगों ने रक्षा समितियां बनायीं और उन्होंने गांवों में जो प्रबंध किया उसके कारण से वहां जो वारदातें होती थीं, उनमें बहुत सुधार हो गया । इसलिये अगर ऐसे लोगों को जो गावों के सुधार में अग्रसर हैं, उनको हम हिस्सा लेने देना चाहते हैं तो पंचायतों के लिये यह एक बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके अतिरिक्त एक बात और भी बहुत अच्छी इसमें की गयी कि चूंकि वे लोग इलेक्टेड नहीं होंगे इसलिये उनको वोट करने का अधिकार नहीं होगा । सिर्फ वे अपनी राय ही दे सकेंगे । मैं समझता हूं कि अगर आप इस प्रकार से देखें तो आपको मालूम होगा कि आज गांव चा तों और गांव के लोगों को एडवाइजर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है । उनके संगठन के लिये, उनकी रक्षा के लिये जो कदम उठाये गये हैं वे बहुत ही अच्छे कदम हैं । अभी माननीय बालेन्दुशाह जी ने इस पर कुछ आपत्ति की, लेकिन वह कोई खास आपत्ति नहीं है कि जिसकी वजह से यह प्रावीजन इसमें न रक्खा जाय । मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा अच्छा प्रावीजन इस बिल में रक्खा जिसके कारण गांव पंचायतों की हर प्रकार से भलाई होगी । इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री शिवनारायण (जिला ास्ती)—अध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट उधर से आया है, मैं उसका वि रोध करता हूं । प्रान्तीय रक्षा दल के लोगों को इसमें इसलिये रक्खा गया है क्योंकि उनको कोई पे नहीं मिलती और इस प्रकार से वे कोई आफिस आफ प्राफिट होल्ड नहीं करते । इसलिये उनके लिये कोई ऐसी रुकावट नहीं होनी चाहिये कि वे किसी पंचायत के मेम्बर न हो सकें । भारत के एक नागरिक होने के नाते उन्हें पूरा अधिकार है कि वे गांव सभाओं के मेम्बर हो सकें । मैं आपकी इजाजत से यह बतलाना चाहता हूं कि इसमें जो इनेबिल शब्द आया है तो उनको इनेबिल नहीं किया गया है, बल्कि उनको पूरा पूरा अधिकार दिया गया है कि वे गांव पंचायतों के मेम्बर बन सकें ।

राजा वीरेन्द्रशाह--आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । श्रीमान जी, मेरा कहना यह है कि अभी श्री शिव नारायण जी ने जो यह कहा कि प्रान्तीय रक्षा दल के लोग तनख्वाह नहीं पाते हैं, यह बात गलत है । वे तनख्वाह पाते हैं ।

श्री अध्यक्ष--यह तो प्वायंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री शिवनारायण--जो राजा साहब ने बतलाया मालूम होता है कि प्रान्तीय रक्षा-दल के सिपाही, जो गांवों मे घूमते हैं उनके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है । उनको कोई पे नहीं मिलता है, ज्यादा से ज्यादा एकाध वर्दी उनको मिल जाती है । तो हमारा सजेशन यह है कि जो बड़ा कोष्ट इस क्लाज में है वह हटा दिया जाय और फिर नं० (२) जो यहां आया है उसको हटा दिया जाय तो १२-बी हो जायगा । तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं और विरोधी-दल के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ कर यह रखा है । प्रान्तीय रक्षा दल के लोग गांवों में डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और बहुत से ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे गांवों का उत्थान हो । मैं यहां पर श्रीमन्, जर्मनी का एक कोटेशन देना चाहता हूं । जर्मनी में हिटलर ने भी गांव वालों को हवाई जहाज आदि में ट्रेंड कर दिया था । उनको वह तनख्वाह तो नहीं देता था, लेकिन वे बड़े ही ट्रेंड और डिसिप्लिड थे । उसी तरह से हमारे प्रान्तीय रक्षा-दल के लोग भी ट्रेंड और डिसिप्लिन्ड हैं । वे गांव के भूले भटके लोगों की हर तरह से मदद करते हैं । गांव के रहने वालों को शिक्षित करते हैं वह श्रमदान में भी सहयोग देते हैं । अपने जिले में मैंने देखा है कि प्रान्तीय रक्षा दल के लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे काम किये हैं । इस-लिये गवर्नमेंट का जो यह बिल है वह बहुत ही सुन्दर है और मैं राजा साहब के अमेंडमेंट का विरोध करता हूं । क्योंकि इस बिल द्वारा गांव वालों को गवर्नमेंट पूरा-पूरा अधिकार दे रही है हमारे सोशलिस्ट भाई इससे घबड़ा रहे हैं. . . . . .

श्री अध्यक्ष--यह असंगत सा है ।

श्री शिवनारायण--डेमोक्रेसी के नाते जितने भी लोग गांवों के अन्दर हैं, जितने भी असरकारी व्यक्ति हैं उनको पूरा अधिकार है कि वे पंचायत राज के मेम्बर हो सकते हैं । जो गांव में बसते हैं उनका यह नागरिक अधिकार है और किसी के नागरिक अधिकार को हम छीनना नहीं चाहते हैं । अगर आप उनको तनख्वाह देते होते या वे आफिस आफ प्रोफिट होल्ड करते तब आप कह सकते थे कि उनको मेम्बर न रखा जाय । लेकिन जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड व म्युनिसिपैलिटीज के इम्पलाइज इस असेम्बली की मेम्बरी के लिये खड़े हो सकते हैं, उनके लिये हमारी सरकार ने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है उसी तरह से हमारी सरकार ने पंचायत राज के लिये प्रान्तीय रक्षा दल को अवसर दिया है कि वे वहां के मेम्बर बन सकते हैं । उनके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं राजा साहब के संशोधन का विरोध करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर बोलने की तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रान्तीय रक्षा दल हमारे प्रदेश में हमारे गांव वालों की सुधार के लिये बना और आज वे कार्य उसने किये हैं जो गांव वालों को स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा देते हैं कि हम गांव की तरक्की के लिये किस प्रकार से प्लानिंग करें । उनके जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, जो रास्ते, गलियां और सड़कें हैं उनके लिये किस तरह से लोगों को प्रेरित करें कि वे काम उनके जरिये बहुत अच्छे ढंग से हो सकें । हमारी सरकार ने श्रमदान का मसला समाप्त कर दिया है जो उनके द्वारा बहुत अच्छा हो सकता है । वे लोगों को इकट्ठा करके, अपनी राय देकर ठीक से फंक्शन करें तो हमारे गांव सभाओं का काम बहुत अच्छी तरह चल सकता है । हमारी गांव-सभाओं को फंक्शन करने का तरीका भी मालूम नहीं है क्योंकि अभी तक यह काम सेक्रेटरी और इंसपेक्टर आदि करते थे । चूंकि प्रान्तीय रक्षा दल वाले ट्रेंड हैं और इन्तजाम करना भी वे जानते

[श्री रामदास आर्य]

हैं इसलिये जो भी सुझाव वे देंगे उनसे गांव सभाओं को काफी मदद मिलेगी। तो इस नाते भी हम आशा करते हैं कि उनसे गांव सभाओं को लाभ ही होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और माननीय श्री बालेन्दुशाह जी ने जो सुझाव दिया है मुझे आशा है कि वे उसे वापस ले लेंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के उत्तर को सुना और मुझे दुख है कि मुझे जो भय पहले था वह अब भी है। जहां तक मंत्री जी का कहना है कि डेवलपमेंट के कामों को और रचनात्मक कामों को ठीक कराने के लिए वहां पंचायत राज के लोगों को चाहते हैं कि मदद दें, वह जाकर डेवलपमेंट की स्कीम को समझें इसमें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सरकार जो उनको अधिकार दे रही है उसके अनुसार वह हर एक काम को देखेंगे और चाहे उनकी दिलचस्पी हो या न हो वह सब बातों में दखलअन्दाजी करेंगे। मैं समझता हूं कि जो डेवलपमेंट के कार्य ऐसे हैं कि जिनमें राय लेना जरूरी हो और जैसा कि श्री बालेन्दुशाह ने कहा उससे मैं सहमत हूं लेकिन मैं यह पसन्द नहीं करता जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि पंचायत राज का वर्कर अगर दूसरी जगह का हो तो वह गांव सभा में जाकर राय प्रकट करे। मैं समझता हूं कि यह अधिकार बहुत ज्यादा है और ऐसा नहीं होना चाहिये। अगर मंत्री जी को यह अधिकार देना ही है तो वे इसमें संशोधन कर दें कि विकास के कार्य में या किसी और जरूरी कार्य में राय देने के लिए वह जा सकते हैं। इतने में तो मुझे आपत्ति नहीं है वर्ना मैं समझता हूं कि बुन्देलखंड में जो लोग पी० आर० डी० का कार्य करते हैं उनका काम संतोषजनक नहीं है। जैसा कि कुछ भाइयों ने बताया हमारे यहां पंचायत राज का काम जो है वह ऐसा है कि वहां कोई काम नहीं हुआ है और जो काम उन्होंने किया है उससे हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते और वह लोग वहां पर वह रेस्पेक्ट नहीं रखते हैं और अगर मैं यह कहूं तो ताज्जुब न होगा कि हमारे यहां पी० आर० डी० लोगों को लोग समझते हैं कि वह बीच के दलाल हैं, ऐसी भावना वहां लोगों में हैं। उनको समझा जाता है कि वह थाने वालों और लोगों के बीच के मामलों को तय कराते हैं। मैं नहीं कह सकता कि और जिलों में क्या बात है। मैं यह नहीं चाहूंगा कि वह हर लोग मामले में हर जगह जाकर अपनी राय रखें इसमें यह नहीं रखा गया है कि वह डेवलपमेंट के काम ही में अपनी राय दें। इस तरह से तो वह हर बात में जाकर अपनी राय छांटने लगेंगे। मैं मंत्री जी से इसलिए प्रार्थना करूंगा कि वह या तो जैसा मैंने कहा इसमें संशोधन कर लें, उसे मैं स्वीकार कर लूंगा वर्ना मैं अपने संशोधन को वापस लेने को तैयार नहीं हूं।

*श्री मोहनलाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि हर मुहकमे के हर आदमी को बेइमान कहने का अधिकार सदन के मेम्बरों को है और इस सम्बन्ध में उनकी एक प्रिविलेज्ड पोजीशन है लेकिन हमको यह भी सोचना चाहिये कि कहीं ऐसा न हो कि वह लोग भी कहीं किसी मौके पर हम सबको बेइमान न कहने लगें। इसलिए हमको चाहिए कि हम इस मामले में अपनी भाषा को संयत रखें। जैसे कि अभी पी० आर० डी० वालों को टाउट और दलाल कहा गया यह चीज ठीक नहीं है। मैंने आपके, अध्यक्ष महोदय, नोटिस में यह बता ला दी कि ऐसे शब्द किसी कर्मचारी या अफसर के लिए कहना माननीय सदस्यों के लिए शोभा नहीं देता।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह जी ने कहा कि यह होना चाहिए कि जब पंचायत उनको बुलाये तब तो वह आयें वर्ना न आयें। यह भी एक सोचने की बात है। अगर पंचायतों को यह अधिकार दिया जाय कि वह जब बुलायें तभी आयें तब दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि वह लोग भी जब चाहें उनके बुलाने पर आयें और जब चाहें न आवें। यह नहीं हो सकता कि हुक्म दें तो आयें और जब हुक्म न दें तो न आयें। इसलिए जब आप अधिकार दें ऐसी संस्था को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो वालन्टरी वर्क कर रहीं हैं और आप उनको बुलाकर काम लेना चाहते हैं उनसे काम करने के लिए कहते हैं कि किस तरह सड़कें बनावें, किस तरह नालियां बनवावें और इन कामों को करने के लिये बुलाने का अधिकार पंचायतों को नहीं होना चाहिये, बल्कि उन आदमियों से कह दिया जाय कि वे आकर बैठकर बातें कर सकें। जब वे दोनों एक स्थान पर बैठकर सलाह करेंगे तो कार्य अच्छा होगा। यह बात साफ है कि उनको राय देने का अधिकार न होगा। मुझे आशा है कि माननीय राजा साहब इस बात को समझ अपने संशोधन को वापस कर लेंगे और मेरी बात को मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष--क्या आप इसमें कोई नया संशोधन दे रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी नहीं, जो ड्राफ्ट बिल में है वही मान लेंगे और अपने संशोधन पर जोर नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12-B की उपधारा (2) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि "खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12-C की उपधारा (1) का भाग (b) (i) निकाल दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, यह १२ सी० जो इस विधेयक में है वह पहले विधेयक से कुछ भिन्न है और एक नए विषय में लाई गई है जिसमें पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में पेटीशंस का अधिकार दिया जा रहा है और नियत अधिकारी के सामने पेटीशन प्रेजेन्ट करेंगे तो किन किन कारणों से इन चुनावों के खिलाफ पेटीशंस हो सकती हैं। माननीय स्वशासन मंत्री को यह बतलाना नहीं है कि जब पिछली मरतबा जिला बोर्डों के चुनाव हुये थे तो वहां सरकारी आदेश यही भेजे गये थे कि रिटर्निंग अफसर स्वयं नामिनेशन फार्म भर दिया करें और नामिनेशन पेपर के भरने में कोई गड़बड़ी के होने पर उस पेपर को रिजेक्ट न माना जाय और पिछली मरतबा जो चुनाव हुये थे तमाम रिटर्निंग आफिसरों ने फार्म लेकर और जितनी इत्तला थी उनको लेकर परचे भर दिये। माननीय स्वशासन मंत्री को यह मालूम है कि लोक सभा, विधान सभा और म्युनिसिपल बोर्ड या जितने पिछले चुनाव हुये.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप अपना दूसरा प्राविजो वाला प्रस्ताव भी साथ-साथ ले लीजिये तो ज्यादा अच्छा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं ऐसा निराश नहीं हूं कि माननीय मंत्री मेरे प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। अगर मान लेते हैं तो फिर वह आटोमेटिकली खत्म हो जायगा। अगर इसको मान लेंगेंतो मेरा वह संशोधन नहीं आयेगा। यह तो मैंने इसी आशय से रखा है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि लोक सभा, विधान सभा, म्युनिसिपल बोर्ड आदि के चुनाव में भी सरकार की तरफ से यह हिदायतें एलेक्शन कमीशन की तरफ से यह हिदायतें दी गई थीं कि टेकनिकल मिस्टेक्स पर कोई नामिनेशन पेपर रिजेक्ट न हो और इस विषय पर तमाम चुनाव विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित हुआ है। मैं दूर नहीं जाता हूं। अभी माननीय हुकुम सिंह जी के एलेक्शन की तरफ ध्यान दिलाता हूं। इलेक्शन हो गया और दोनों तरफ से काफी रुपया खर्च हुआ और काफी परेशानी उठाई गई, लेकिन एक पार्टी का गलत तरीके से नामिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया था। इसलिये तमाम इलेक्शन ही वायड हो गया और यह धारणा लोगों की होती चली जा रही है कि कम से कम एलेक्शन पेटीशन की एक ऐसी ग्राउन्ड होनी चाहिये। जहां तक कि नामजदगी के पर्चों.....

श्री अध्यक्ष--मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यह आपको स्वीकार न हुआ तब आप दूसरा पेश करेंगे ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी--जी हां, तब तो मूव करूंगा ।

श्री अध्यक्ष--तो आप एक साथ मूव कर दीजिये । क्योंकि उसका उससे सम्बन्ध है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--तो मैं आपकी आज्ञा से दूसरा संशोधन भी पेश किये देता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12-C की उपधारा (1) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय:--

"Provided that if within three days, of an application against improper acceptance or rejection of a nomination paper, is presented to the prescribed authority, the election concerned, will be stayed, till after the decision of such application."

तो इस प्राविजन में मैंने रक्खा है कि अगर किसी नामजदगी के परचे में कोई गलती होने से वह परचा रद कर दिया जाय तो वैसी हालत में अगर कोई एलेक्शन होने वाला हो तो फौरन रोक दिया जाय और पहले उस प्वाइंट को तय कर लिया जाय और उसके बाद एलेक्शन हो । अभी मैंने हुकुम सिंह के एलेक्शन को ले करके निवेदन किया कि आमतौर पर कुछ लोग महसूस करते हैं कि नामिनेशन पेपर के रेजेक्शन वाला मसला तो अवश्य ही एलेक्शन के पहले तय होना चाहिये और जहां तक मेरी जानकारी है एलेक्शन कमीशन भी इस पर विचार कर रहा है और कई प्रदेशों से एलेक्शन कमीशन के सामने इस किस्म के सुझाव आये हैं । इसलिए मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी अवश्य इस प्रस्ताव को मान लेंगे । क्योंकि जहां तक टाउन एरिया का सवाल है, म्यूनिसिपल बोर्ड का सवाल है उनकी तो संख्या कम है, लेकिन पंचायतों की संख्या करीब ३५ हजार के है । अगर औसतन ३० हजार भी मान लें तो भी काफी इतनी बड़ी संख्या लोगों की हो जाती है । उनके नामजदगी के परचे मंजूर करने में और अनियमित होने पर रिजेक्ट करने में काफी अव्यवस्था और परेशानी पैदा हो जायगी । मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी का ख्याल इस किस्म का नहीं है । अगर सरकार इसको यहां से हटा दे और नियमों में व्यवस्था कर ले तो मैं समझता हूं कि इससे प्रदेश के लोगों को काफी सहूलियतें हो जायंगी । ऐसी दिक्कतें माननीय स्वशासन मंत्री जी पहले पेश भी कर चुके हैं । उनकी धारणा ऐसी है कि जितनी कम अप्लीकेशंस हो सकें उतना ही अच्छा है । लेकिन मुझे डर है कि कहीं एक नया रास्ता न खुल जाय । अब तक जो प्रथा रायज थी कि सरकार या डाइरेक्टर पंचायत के पास....

श्री अब्दुल मुईज़ खां--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर । अध्यक्ष महोदय, त्रिपाठी जी का जो संशोधन है उसकी वर्डिंग अगर देखेंगे तो "Provided that if within three day of an application against improper acceptance or rejection of a nomination paper, is presented to the prescribed authority the election concerned will be stayed, till after the decision of such application." यह "इज" जो है यह किस नाउन को गवर्न करता है ? इससे तो आपका संशोधन बिलकुल गलत हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष--आप ठीक कह रहे हैं । इसमें जो "आफ" है वह बिलकुल गलत है । "आफ" को हटा देने से काम चल जायगा ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जब मैं ड्राफ्टिंग कर रहा था तो 'एन अप्लीकेशन लिखना भूल गया था । अब "आफ" "रिजेक्शन आफ ए नामिनेशन पेपर, कामा ऐन अप्लीकेशन इज....." यह हो जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष—मेरे ख्याल से 'of' आप निकाल दें ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप चाहें तो हटा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—"of" हटा दिया जाय ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—हां, आपकी आज्ञा से हटा देता हूं। अध्यक्ष महोदय मैंने संक्षेप में वे तमाम एप्रीहेंशन जो विचार मेरे थे और पृष्ठभूमि में जो विचार काम कर रहे हैं वह मैंने बता दिये हैं और मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री को कोई एतराज न होगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा इस सम्बन्ध में काफी दिक्कतें हो जायेंगी ।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रखें। माननीय वित्त मंत्री कुछ सूचना देना चाहते हैं कल के कार्य के सम्बन्ध में ।

अगले दिन के कार्यक्रम की सूचना

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—कल तो यह बिल चलेगा। प्रिविलेज मोशन का डिस्कशन होगा और उसके बाद फिर जिक्र चलेगा।

श्री अध्यक्ष—नहीं, आपने मुझसे यह कहा था कि इलेक्ट्रीसिटी बिल चलेगा ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—गौतम जी शायद कल बाहर तशरीफ ले जाना चाहते थे, लेकिन वह नहीं जा रहे हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
५ मई, १९५४ ।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८४ पर)

Copy of letter No. XI-F/147-G/41/13421-13576, dated June 21, 1949-from the Director of Medical and Health Services, U. P., to Assistant Director of Medical and Health Services, of Ranges, all civil surgeons, all district medical officers of health and all Municipal Medical officers of health.

Subject :—Fees chargeable by medical officers-in-charge of branch dispensaries located in rural areas.

I have the honour to refer you to the Press Communique No. U. O. 1077A/V, dated November 10, 1948, a copy of which was sent to you with my circular endorsement No. M—443/G-147-G/41,—dated December 1, 1948, and to say that the rates of fees prescribed therein will apply also to Government medical officers in charge of branch dispensaries, whether male or female, located rural areas. These rates will operate within an area of 2 miles around the place where the dispensary is located.

If a medical officer has to go beyond the limit prescribed above, the fees will be settled by mutual agreement, but they should never exceed double of those laid down in the press communique referred to above. The fees thus settled, will of course be exclusive of conveyance charges which will have to be borne by the patient in any case.

It should please be noted that even for attending on emergent cases a doctor should not leave the dispensary during working hours. All the medical officers under you should please be apprised of the above orders and warned to observe this rule strictly.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पष्ठ १८४ पर)

GOVERNMENT OF THE UTTAR PRADESH
MEDCIAL (A) DEPARTMENT.

No. 5947 of 48-A/V-1353-47, dated Lucknow November 23, 1949

PRESS MEMORANDUM

It is hereby notified for the information of the general Public that Government have fixed the following rates of fees to be charged by different classes of Government medical officers for visits to patients at their residences within the municipal headquarters limits. The fees are exclusive of conveyance charges which have to be brone by patients :—

During Day

(1) Professors of the Sarojini Naidu Medical College, Agra. Who are allowed consultation practice Rs. 16 per visit.
(2) Civil Surgeons and Readers of the Sarojini Naidu Medical College Agra who are allowed private practice, Rs. 8 per visit.
(3) Women Doctors incharge of bigger state Hospital (Such as Agra, Kanpur, Lucknow, Banaras and Allahabad) Rs. 8 per visit.
(4) Medical Officers of P. M. S. (Grade I in the Men's and Women's Branch and Lecturers of the Sarojini Naidu Medical College, Agra), Rs. 4 per visit.
(5) Medical Officees of P. M. S. Grade II and of P. S., M. S. (Men's and Women's Branches), Rs. 2 per visit.

During Night.

The scale of fees during night shall be double of the above.

2. Fees not exceeding the above rates may be charge by the Government Medical Officers from private patients who visit them at their residence for consultation outside Hospital hours. The private patients of the medical officers shall not be entitled to free supply of medicinse dressings, etc., from Hospitals, unless they are admitted as indoor patients. In other cases where medicinse are supplied to such patients from hospitals, the charges according to the prescribed rates shall be paid unless there are special orders of Government applicable in particular case for free supply.

3. If a medical is required to go beyond the Municipal Headquarters limit, the fees will be settled by mutual agreement, but they shall never exceed double the rates laid down above. The fees thus settled will be exclusive of conveyance charges which will have to be borne by the patient in any case.

4. Government Medical Officers at Hospitals or dispensaries shall not leave the Hospitals and dispensaries during working hours except under very exceptional circumstances. This applies to Medical College Hospital also.

5. All Government meidcal officers are warned not to accept fees higher than the prescribed rates even if offered willingly by patients.

(Sd.) S. P. PANDE,
Secretary.

OFFICER OF THE DIRECTOR OF MEDICAL AND HEALTH SERVICES UTTAR PRADESH

No. XI. F-147-G/41/14638-836, dated Lucknow May 24, 1950
Forwarded to :—

(1) Assistant Director of Medical and Health Services, I to IV Ranges.
(2) All District Medical Officers of Health
(3) All Civil Surgeon.
(4) All Municipal Medical Officers of Health.
(5) Dy. Director (W) Maternity Section and Women Section.
(6) Assistant Directors (Epidemiology), Health Publicity and Provincial Hygienic Institute.
(7) Superintendent, Government Vaccine, Department Patwa Dangar, District Nainital.
(8) Public Analyst to Government.
(9) All School Health Officers.
(10) Anti-Malaria Officers Lalitpur (Jhansi and Gokul Nagar Distric Nainital.
(11) Principal, Medical College and Superintendent, Sarojini Naidu Hospital, Agra.
(12) Superintendent, Mental Hospitals, Agra, Bareilly and Banaras,
(13) Superintendent, K. E. Sanatorium, Bhowali.
(14) Superintendent, Balrampur Hopital, Lucknow.
(15) Superintendent, Lala Lajpat Rai Hospital, Kanpur
(16) Chemical Examiner to Government, Agra.
(17) Medical Superintendents, :—
    1. Dufferin Hospital, Lucknow.
    2. Lady Loyall Hospital, Agra.
    3. Alice Horsman Hospital, Kanpur.
    4. Ishwari Memorial Hospital, Banaras.
    5. Dufferin Hospital, Allahabad.
(18) Director, U. P. Blood Bank, Luckhow.
(19) Secretary, State Medical Faculty.

For information and communication to all medical officers working under them in continuation of this office Circular Letter No. XI-918-1170, dated January 9, 1950.

2. The Medical Officers should not leave the hospital and dispensaries during working hours except under very exceptional circumstances as noted below :—

(1) Attendance on Government Servants if any one's condition is acutely serious demanding immediate attention and he cannot be transport immediately to hospitals.

2. When a medical officer has been treating a case at the letter's residence and the condition of the patient gets a sudden deteriora tion and he cannot be brought to the hospital and the Medical officer is called by his relatives during hospital working hours.

3. If any emergent call is made on the Medical Officer as a result of some serious accident (including Railways and Roadways) etc. when the patient or-patients cannot available in the vicinity.

3. The procedure that should be adopted by the medical officers when he leaves the hospital under any of the above circumstances during hospital working hours is that he should inform the other doctor in the hospital, available, or the senior compounder on duty as the case may be, subsequently all such absence should be recorded in register which may be initialled by the Civil Surgeon weekly in the case of District Headquarter Hospital and in case of branch dispensaries the report be submitted to the Civil Surgeon or District Medical Officer of Health as the case may be, in writing.

4. A monthly report showing the particulars of emergent cases which the Medical officers attended during working hours in the last month should poease be obtained and submitted to this officer positively by the the next month. A strict watch should please be kept on the Medicall Officers and see that the number of emergent calls is not allowed to be large.

Yours faithfully,

(A. P. BAJPAYEE),

Capt. P. M. S.

Director of Medical and Health Services, U, P.

उत्तर प्रदेश सरकार

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ १९१ पर)

इलाहाबाद युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

यू०पी ऐक्ट ३, १९२१

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ को संशोधित करना आवश्यक है अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारंभ।

१—(१) यह अधिनियम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

ऐक्ट ३,१९२१ की प्रस्तावना का संशोधन।

१—क—इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की प्रस्तावना (preamble) के तीसरे पैराग्राफ से शब्द "unitary" और शब्द "and residential" निकाल दिये जायं।

यू०पी०ऐक्ट ३,१९२१ की धारा २ का संशोधन।

२—मूल अधिनियम की धारा २ में :—

(१) खंड (a) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*a*) 'College means a unit of residence for students of the University maintained or recognised by the University in accordance with the provisions of this Act in which supplementary instruction is provided under conditions prescribed in the Statues."

(२) खंड (*a*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*aa*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*aa*)'Associated College' means an institution recognised by the University and authorised under the provisions of this Act to impart all the teaching necessary for admission to a degree of the University."

(३) निम्नलिखित को खंड (*d*) और (*e*) के रूप में रख दिया जाय—

"(*d*) 'Management' means the Managing Committee or other body charged with managing the affairs of an institution, recognised by the University."

"(*e*) 'Non-Collegiate Delegacy' means the authority charged under this Act with the care of students of the University not residing in or attached to a College or a hostel."

(४) खंड (*f*) में शब्द "college" के पश्चात् शब्द "or an Associated College" बढ़ा दिये जायं ।

(५) खंड (*g*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*gg*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*gg*) 'Student of the University means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree but does not include a person enrolled in an Associated College."

(६) खंड (*i*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*i*) 'Teacher of the University' means a person appointed by the University to give instruction for degrees or to guide or conduct research, in the University."

(७) खंड (*l*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*m*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*m*) 'State Government' means the Government of Uttar Pradesh."

३—मूल अधिनियम की धारा ५ में :— यू०पी०ऐक्ट ३,१९२१ की धारा ५ का संशोधन।

(१) खंड (I) में शब्द "the University may think fit" के स्थान पर शब्द "may be prescribed by the Ordinances" रख दिये जायं ।

(२) खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(2) To institute degrees and other academic distinctions, and to hold examinations for and grant and confer such degrees and distinctions to and on persons who—

(*a*) shall have pursued a course of study in the University or an Associated College, or carried on research in the University under conditions prescribed in the Statutes or Ordinances, or

(*d*) are teachers in educational institutions satisfying conditions prescribed by the Ordinances in this behalf, or

(*c*) shall have carried on independent research under conditions laid down in the Statues and ordinances, and shall have passed the examinations of the University under conditions prescribed in the Statutes and the Ordinances."

(३) निम्नलिखित खंड (५) के रूप में रख दिया जाय--

to recognise associatcd colleges.

(४) उपधारा (6) में शब्द "hostels" के पश्चात् शब्द "and Associated Colleges", बढ़ा दिये जायं ।

यू०पी०ऐक्ट ३,१९२१ की धारा । ६ का संशोधन

४--मूल अधिनियम की धारा ६ में निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जायः--

"Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study a larger number of students than may be determined by the Ordinances."

यू०पी० ऐक्ट ३ १९२१ की धारा ७ का संशोधन

५--मूल अधिनियम की धारा ७ में उपधाराओं (१) से (4) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः--

"(1) Teaching of the University shall include lecturing, work in laboratories and workshops and other teaching conducted in the University or in an Associated College in accordance with any syllabus prescribed by the Ordinances and Regulations.

The authorities responsible for organising such teaching shall be prescribed by the Statutes.

(2) The courses of study and the curriculum shall be prescribed by the Ordinances and subject thereto by Regulations.

(3) Teaching given by teachers of the University shall be supplemented by tutorial and other supplementary instuuction given in the University or under the authority of the University in colleges and hostels.

Teaching given by the teachers of an Associated College shall be supplemented by tutorial and other supplementary instruction given in the Associated College or in a residential unit attached to it or in the University under an arrangement made between such Associated Colleges or with the University.

(4) Where attendance at a course of instrution is prescribed as a condition of admission to an examination or a degree of the University, such conditions shall include provision for attendance at teachnig referred to in sub-section (1)."

यू०पी ऐक्ट, ३, १९२१ की धारा ८ का संशोधन ।

६--मूल अधिनियम की धारा ८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

(1) The State Government shall have the the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may directe of the University its buildings laboratories, workshops and equipment, and of any college, hostel or other institution maintained or

recognized by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the University or an Associated College.

(2) The State Government shall in every case give notice to the University of its intention to cause an inspection or inquiry to be made, and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(3) The State Government may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(4) The Vice-Chancellor shall then within such time as the the State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council together with the views which the Court may have expressed on the report.

(5) If the University authorities do not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering any explanation which the University authorities may furnish, issue such directions as it may think fit and the University authorities shall be bound to comply with such directions.

७—मूल अधिनियम की धारा १० में— यू०पी० ऐक्ट ३,१९२१ की धारा १० का संशोधन।

(१) उपधारा (1) के प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Governor of Uttar Pradesh shall be the Chancellor."

(२) उपधारा (2) निकाल दी जाय —

८—मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू०पी० ऐक्ट ३,१९२१ की धारा ११ का संशोधन।

"The-vice-Chancellor.

(1) The Vice-Chancellor shall be a whole time officr of the University and shall be appointed by the Chancellor in the manner hereinafter appearing.

(2) The Executive Council shall, so far as may be, at least thirty days before the date on which a vacancy is due to occur in the office, of Vice-Chancellor and also whenever so required by the Chancellor, submit to the Chancellor the name or names of not more than three persons suitable to hold the office of Vice-Chancellor.

Provided that the Chancellor may before making the appointment return the name or names submitted by the Executive Council to it for reconsideration and the Council may then either submit the same name or names or make any additions in them.

(3) Where the name or names proposed in the Executive Council for being submitted to the Chancellor under sub-section(2) do not exceed three, the Council shall submit all such names, but if the number exceeds three the Council shall, out of the names so proposed, elect three names, according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(4) Where one name only has been submitted by the Executive Council and no new name has been added under sub-section (3) the Chancellor shall appoint the person whose name has been so submitted by the Executive Council. In other cases the Chancellor may appoint any one of the persons whose names are submitted by the Executive Council under and in accordance with sub-sections (2) or (3).

(5) The Vice-Chancellor shall be paid a salary of Rs. 2,000 per month and be provided a furnished residence rent free or in lieu thereof be paid an allowace of Rs. 200 per month.

(6) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years, but may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(7) No person who has at any time previously held in a substantive capacity the office of Vice-Chancellor in the University shall be eligible for re-appointment.

(8) Subject as aforesaid, other conditons of service of the Vice-Chancellor may be prescribed by the Statutes.

(9) Where a vacancy occurs or is likely to occur in the office of Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any cause other than resignation in accordance with sub-section (6) or the expiry of the term, the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor. If the vacancy is, or is likely, to last for a period exceeding six months, the Chancellor shall call upon the Executive Council to forward its recommendations and the provisions of sub-sections (1) to (4) shall in so far as may be, apply for the filling of the vacancy. In other cases the Executive Council may subject. to the approval of the Chancellor, either appoint the Vice-Chancellor or make such other arrangements for carrying on the office of the Vice-Chancellor as it may think fit.

(10) Until arrangements have been made under sub-ssction (9), the Registrar shall carry on the current duties of the office of Vice-Chancellor, but he shall not preside at meetings of the University Authorities.

९—मूल अधिनियम की धारा १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू०पी०ऐक्ट ३,१९२१ की धारा १२ का संशोधन।

Powers and duties of the Vice-Chancellor.

12. (1) The Vice-Chancellor shall be the Principal executive and academic officer of the University, and shall, in the absence of the Chancellor, preside at meetings of the Court and at any Convocation of the University He shall be an *ex-officio* member and chairman of the Executive Council and the Academic Council and shall have the right to speak in and to take part in the proceedings of the meeting of any authority or other body of the University but shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote thereat.

(2) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances and he shall, subject to the powers conferred by this Act on the Chancellor, possess all such powers as may be necessary in that behalf.

(3) The Vice-Chancellor shall have power to convene meetings of the Court, the Executive Council and the Academic Council:

Provided that he may delegate this power to any other officer of the University.

(4) (*a*) In any emergency which, in the opinion of the Vice-Chancellor, requires immediate action to be taken, he shall take such action as he deems necessary, and shall at the earliest opportunity, report the action taken to the officer, authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter.

But nothing in this sub-section shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorised and provided for in the budget.

(*b*) Where any action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section affects any person in the service of the Univesrity to his disadvantage, such person may prefer an appeal to the Executive Council within fifteen days from the date on which the action is communicated to him.

(5) The Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Executive Council regadring the appointment, dismissal and suspension of the officers and teachers of the University and shall exercise general control over the affairs of the University. He shall be responsible for the discipline of the University.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances."

यू०पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा १३ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा १३ में उपधाराओं (1) से (5) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

"The Treasurer. 13. (1) The Treasurer shall be appointed by the Chancellor and the provisions of sub-sections (2) to (4) of section 11 shall apply as though for the words "Vice-Chancellor" the word "Treasurer" had been *substituted* therein.

(2) The term of office of the Treasurer shall be six years, but he shall notwithstanding the expiry of the term continue in office until a successor has been appointed. He shall receive such remuneration (if any) from the the funds of the University as may be prescribed by the Statutes.

(3) The provisions relating to resignation, conditions of service, the filling of temporary vacancies and arrangements for the carrying on of current duties contained in sub-sections (6), (8), (9) and (10) of section 11 shall *mutatis mutandis* apply to the office of the Treasurer.

(4) The Treasurer shall be an *ex-officio* member of the Executive Council and shall manage the property and investments of the University and advise in regard to its financial policy. He shall be responsible for the presentation of the annual estimates (in this Act called the budget) and statement of accounts.

(5) The Treasurer shall have the duty—

(i) to ensure that no expenditure not authorised in the budget is incurred by the University (otherwise than by way of investment),

(ii) to disallow any expenditure which may contravene the terms of any Statute or Ordinance, or for which provision required to be made by Statutes or Ordinances but has not been so made."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा १४ संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Registrar. 14. (1) The Registrar shall be a wholetime officer of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee consisting of the following, namely—

(i) the Vice-Chancellor ;

(ii) an educationist nominated by the Chancellor ;

(iii) the Chairman of the Public Service Commission, Uttar Pradesh, or a member thereof nominated in this behalf by the Chairman.

(2) The emoluments and conditions of service of the Registrar shall be prescribed the Ordinances.

(3) The Registrar shall be the custodian of the records and of the Common Seal of the University. He shall be *ex-officio* Secretary of the Court, the Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee and the Committee of Reference and shall be bound to place before these authorities all such information as may be necessary for the transaction of business. He shall perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances or required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor.

(4) He shall make all arrangements for an conduct examinations and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.

(5) The Registrar shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University save such as may be provided for by the Statues and the Ordinances."

१२—मूल अधिनियम की धारा १६ में—

(१) मद V के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"V. The Faculty Boards."

(२) निम्नलिखित मद VI के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"VI. Selection Committees for the appointment of teachers."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा १६ का संशोधन।

१३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

17. (1) The Court shall consist of the following persons, namely :

"The Court

Class I—Ex-officio *members* :

(i) the Chancellor,

(ii) the Vice-Chancellor,

(iii) the Minister for Education in the Government of Uttar Pradesh,

(iv) the Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad,

(v) the Treasurer,

(vi) the members of the Executive Council,

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा १७ का संशोधन।

(vii) all Principals of Colleges and Associated Colleges,

(viii) all Heads of Departments of teaching in the University and all Professors who are not Heads of Departments,

(ix) such other *ex-officio* members as may be prescribed by the Statutes.

Class II—*Life members :*

(x) Such persons as may be appointed by the Chancellor to be life members on the ground that they have rendered eminent services to education provided that their number in the Court shall at no time be more than four.

(xi) All persons who have made donations of not less than Rs. 20,000 to or for the purposes of the University.

Class III---*Other members :*

(xii) Persons nominated by the State Government to represent such academic and non-academic bodies and interests as may be prescribed in this behalf by the Statutes.

(xiii) Persons nominated by associations or individuals making to the University donations or annual contributions of an amount to be prescribed by the Statutes to or for the purposes of the University.

(xiv) Persons elected by the Legislative Council of the State from among their own body.

(xv) Persons elected by the Legislative Assembly of the State from among their own body.

(xvi) Representatives of Registered Graduates of such standing as may be prescribed by the Statutes.

(xvii) Representatives of donors other than those included in items (xi) and (xiii).

(xviii) Representatives of the teachers of the University other than those in cluded in Class I, the Wardens, the non-Collegiate Delegacy and of such Boards established under section 27 as may be prescribed by the Statutes.

(xix) Persons appointed by the Chancellor.

(2) The total number of members including the *ex-officio* but excluding the life members shall not exceed 125.

(3) The number of members who may be in the service of the University, an Associated College, a college or a hostel shall not exceed the number of the other members.

(4) The number of members referred to in items (xii) to (xix) of sub-section (1), the manner of their appointment and their tenure shall, save where otherwise provided for in this section, be prescribed by the Statutes.

(5) The Chancellor may declare vacant the seat of a member other than an *ex-officio* or life member, who has absented himself from three consecutive meetings of the Court without sufficient cause."

१४—मूल अधिनियम की धारा १९ में—

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा १९ का संशोधन।

(१) उपधारा (1) में शब्द "the acts of the Executive and Academic Councils (save when such councils have acted in accordance with the powers conferred upon them under this Act, the Statutes or the Ordinances)". के स्थान पर शब्द "such acts of Executive and Academic Councils as are not in accordance wih this Act, the Statutes, or the Ordinances." रक्खे जायं।

(२) उपधारा (2) में निम्नलिखित खंड (*e*) के रूप में रख दिया जाय—

"(*e*) of considering and passing resolutions on any matter connected with the University."

१५—मूल अधिनियम की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २१ का संशोधन।

"Powers and duties of the Executive Council.

21. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Executive Council shall have the following powers and duties, namely—

(*a*) to hold, control and administer the property and funds of the University ;

(*b*) to accept the transfer of any moveable or immoveable property on behalf of the University ;

(*c*) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes ;

(*d*) to prepare the budget of the University ;

(*e*) to award fellowships, scholarships, bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinances ;

(*f*) to appoint the officers, teachers and other servants of the University, to define their duties and the conditions of their service and to provide for the filling of casual vacancies in their posts ;

(*g*) to appoint examiners and to arrange for the holding of examinations and publication of results ;

(*h*) with the previous sanction of the Chancellor, to recognize institutions as Associated Colleges and likewise to withdraw such recognition ;

(*i*) to arrange for and direct the inspection of associated colleges, colleges, hostels and other places of residence of students ;

(*j*) to direct the form and use of the Common Seal of the University ;

(*k*) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with this Act, the Statutes and the Ordinances, and to exercise such other powers as may be conferred or imposed on it by this Act and the Statutes.

(2) The Executive Council shall appoint a committee (hereinafter called the Finance Committee) consisting of the Treasurer and four other persons from amongst its members out of whom not more than two shall be persons in the service of the University, to advice the Executive Council on matters relating to the administration of the property and funds of the University. The Treasurer shall be the chairman of the Finance Committee.

(3) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year as determined by the Committee of Reference.

(4) The Executive Council shall not take any action in regard to the number, qualifications and emoluments of teachers and the fees payable to examiners except after considering the advice of the Academic Council and the Faculties concerned.

(5) It shall be the duty of the Executive Council to carry out the resolutions passed by the Court, but where in any case it is not able to do so it shall inform the Court of its inability with the reasons therefor."

यू० पी० ऐक्ट ३,१९२१ में एक नई धारा का बढ़ाया जाना।

१६—मूल अधिनियम की धारा २२ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 22-A के रूप में बढ़ा दी जाय—

"The Standing Committee of the Academic Council.

22-A. There shall be a Standing Committee of the Academic Council. The Constitution and functions of the Committee shall be prescribed by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ३,१९२१ की धारा २३ का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Committee of Reference.

23. (1) The Committee of Reference shall consist of—

(i) the Vice-Chancellor ;

(ii) the Treasurer ;

(iii) three members of the Court, none of whom shall be a member of the Executive Council, to be elected by the Court according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote ;

(iv) two persons to be nominated by the State Government.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairman and the Registrar shall be the Secretary of the Committee.

(3) The Committee of Reference shall, having regard to the income and resourcess of the University, fix limits for the total recurring and total non-recurring expenditure for the ensuing year, and shall perform such other functions as may be prescribed by this Act or the Statutes.

(4) The Committee of Reference may, for special unforeseen reasons, revise, during the financial year, the limits of expenditure fixed by it under sub-section (3)."

१८—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २४ का संशोधन।

"The Faculties.

24. (1) The University shall include such Faculties as may be prescribed by the Statutes.

(2) Each Faculty shall comprise such Departments of teaching as may be prescribed by the Statutes. Subjects of study shall be assigned to various Departments by the Ordinances.

(3) There shall be a Board of each Faculty the constitution and powers of which shall be prescribed by the Statutes.

(4) There shall be a Dean of each Faculty who shalll be the Head of a Department of teaching in the Faculty chosen with due regard to seniority in such manner and for such period as may be prescribed by the Statutes.

(5) The Dean shall be the Chairman of the Board of the Faculty and be responsible for the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the Faculty. He shall be further responsible for the organization and conduct of the teaching and research work of the Departments comprised in the Faculty.

(6) There shall be a Head in each Department of teaching who shall be responsible to the Dean for the organization of the teaching in the Department. The senior most Professor of a Department shall be the Head of the Department, and where there is no Professor in a Department the senior most Reader thereof shall be the Head."

१९—मूल अधिनियम की धारा २७ की उपधारा (1) में शब्द "a Residence Health and Discipline Board, a Muslim Advisory Board and such other" के स्थान पर शब्द "such" रख दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २७ का संशोधन।

१९—क—मूल अधिनियम की धारा २७ के पश्चात् निम्नलिखित धारा २८ के रूप में रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट, ३, १९२१ में एक नयी धारा का बढ़ाया जाना।

"Manner of appointment of officers and members of Authorities.

28. (1) Save where expressly provided the contrary, to officers and members of the authorities of the University shall, as far as may be, be chosen by methods other than election.

(2) Where provision is made by this Act or the Statutes for any election, such election shall be conducted according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(3) Where provision is made in this Act or the Statutes for any appointment by rotation according to seniority or other qualification, the manner of determining seniority or such other qualification shall be prescribed by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २९ का संशोधन।

२०—मूल अधिनियम की धारा २९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Teachers. 29. (1) Subject to the provisions of this Act, and except as provided in sub-section (3), the teachers of the University and the Associated Colleges shall be appointed by the Executive Council or the Management of the Associated College, as the case may be, on the recommendation of the Selection Committee in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) Every appointment under sub-section (1) shall, in the first instance, be on probation for such period and on such conditions as may be prescribed by the Statutes, and shall require to be confirmed by the Executive Council or the Management.

(3) Appointment in vacancies or posts likely to last for not more than six months may be made by the Executive Council or the Manangement without the advice of the Selection Committee."

य० पी० ऐक्ट ३,१९२१ में एक नयी धारा का बढ़ाया जाना।

२१—मूल अधिनियम की धारा २९ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें 29-A और 29-B, के रूप में बढ़ा दी जायं—

"The Selection Committee. 29-A. (1) There shall be a Selection Committee for appointment of teachers in each subject of study. It shall consist of—

(i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman ;

(ii) the Dean of the Faculty concerned ;

(iii) three experts in the case of the appointment of a Professor or a Reader and two experts in other cases ;

(iv) the Head of the Department concerned ;

(v) a member of the Executive Council not being a teacher to be chosen by the Council ;

(vi) where the appointment is to be in an Associated College, the Principal of that college.

(2) The experts referred to in sub-clause (iii) of sub-section (1) shall be appointed by the Chancellor out of a panel prepared under sub-section (3).

(3) For the purpose of preparing the panel of experts the Chancellor shall invite any three Universities established by law in India to propose two or such larger

number of experts in the particular subject as the Chancellor may require and all names so proposed shall be included in the panel. The panel shall be revised, unless the Chancellor directs otherwise, after every two years.

Explanation.—For the purpose of this section a branch of a subject in which an independent course of study is prescribed for a post-gradutae degree shall be deemed to be a subject of study.

(4) No recommendation shall be made by a Selection Committee unless it is supported in the case of appointments to the office of Professor or Reader by two experts, and in other cases by one expert.

(5) If the Executive Council or the Management disagrees with the recommendation of the Selection Committee it may return the recommendation to the Selection Committee with its reasons for disagreement. The Selection Committee shall thereupon review its recommendations in the light of the reasons given by the Executive Council or the Management. Where the Selection Committee reiterates its original recommendation, it shall be accepted by the Executive Council or the Management; in case the Selection Committee makes a fresh recommendation, it shall be treated as though it were an original recommendation.

"The Consultative Committee.

29-B. (1) There shall be established a Committee consisting of three persons of such qualifications and to be appointed in such manner as may be prescribed by the Statutes. It shall be called the Consultative Committee.

(2) It shall be the duty of the Consultative Committee whenever so required by the Vice-Chancellor to advise on any disciplinary matter affecting a teacher of the University.

(3) Where the Consultative Committee has recommended disciplinary action in any case and the Executive Council does not agree with the Committee, the matter shall be referred to the Chancellor who may take such action as he deems fit."

२२—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३० का संशोधन।

30. Subject to the provisions of this Act, the Statutes

"Statutes.

may provide for any matter relating to the University and shall, in particular, provided for the following—

(*a*) the constitution, powers and duties of the Authorities and Boards of the University ;

(*b*) the election, appointment and continuance in office of the members of the said Authorities and Boards

of the University and the filling of vacancies and all other matters relative to those Authorities and Boards for which it may be necessary or desirable to provide ;

(*c*) the institution and maintenance of colleges and hostels ;

(*d*) the designation, manner of appointment, powers and duties of the officers of the University ;

(*e*) the classification and mode of appointment of teachers ;

(*f*) the constitution of a provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University ;

(*ff*) the institution of degrees and diplomas ;

(*g*) the conferment of honorary degrees ;

(*h*) the withdrawal of degrees, diplomas, and other academic distinctions ;

(*i*) the conditions on which an institution may be granted recognition as an Associated College and be liable to the withdrawal of such recognition ;

(*j*) the establishment, combination, sub-division and abolition of Faculties ;

(*k*) the establishment of departments of teaching in the Faculties ;

(*l*) the maintenance of a Register of Registered Graduates ;

(*m*) the holding of Convocation ;

(*n*) the institution of fellowships, scholarships, bursaries, medals and prizes ; and

(*o*) all other matters which are required by this Act to be provided for by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ३,१९२१ की धारा ३१ का संशोधन ।

२३—मूल अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (4) में शब्द "Court" और "it" के बीच के शब्द "returned there to" निकाल दिये जांय—

यू० पी० ऐक्ट ३ १९२१ की धारा ३२ का संशोधन ।

२४—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Ordinances.

32. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for any matter permitted by this Act or the Statutes to be provided for by Ordinances and for any other matter, which the Executive Council considers it advisable to provide for by Ordinances.

(2) Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1), the Ordinances shall provide for the following matters, namely—

(*a*) the admission of students to the University and their enrolment as such ;

(*b*) the courses of study to be laid down for all degrees and diplomas of the University ;

(*c*) the conditions under which students shall be admitted to the diploma, degree or other courses and to the examinations of the University, and shall be eligible for the award of degrees and diplomas ;

(*d*) the conditions of residence of the students of the University and the levying of fees for residence in Colleges and Hostels maintained by the University ;

(*e*) the recognition of colleges and hostels not maintained by the University ;

(*f*) the number, qualifications, emoluments and terms and and conditions of service (including the age of retirement) of teachers and salaried officers of the University ;

(*g*) the fees which may be charged by the University for any purpose ;

(*h*) the conditions subject to which persons may be recognised as qualified to give instruction in colleges and hostels ;

(*i*) the conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators ;

(*j*) the conduct of examinations ;

(*k*) the remuneration and allowances, including travelling and daily allowances, to be paid to persons employed on the business of the University;

(*l*) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, bursaries, medals and prizes ;

(*m*) all other matters which by this Act or by the Statutes are required to be or may be provided for by the Ordinances.

२५—मूल अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (4) के रूप में बढ़ा दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३४ का संशोधन।

"(4) The Academic Council may, subject to the provisions of the Ordinances, make Regulations providing for courses of study for the various examinations and degrees of the University after receiving drafts of the same from the Board of the Faculty concerned.

The Academic Council may not alter a draft received from the Faculty Board but may reject the draft received or return it to the Faculty Board for further consideration together with its own suggestions.

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३६ का संशोधन।

२६—मूल अधिनियम की धारा ३६ में—

(१) उपधारा (3) में शब्द "any member of the Residence, Health and Discipline Board, authorised in this behalf by the Board or by any authority or officer of the University authorised in this behalf by the Executive Council" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Such persons as may be authorised in that behalf by the Statutes or the Executive Council."

(२) उपधारा (4) में शब्द "Management" के पहले आये हुए शब्द "Committee of" निकाल दिये जायं—

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ में दो नयी धाराओं का बढ़ाया जाना।

२७—मूल अधिनियम की धारा ३६ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारायें 36-A और 36-B के रूप में बढ़ा दी जायं—

"Associated Colleges.

36-A. (1) Associated Colleges shall be such as may be named by the Statutes.

(2) It shall be lawful for an Associated College to make arrangements with any other Associated College or colleges or with the University for co-operation in the work of teaching.

(3) The conditions of recognition of an Associated College shall be such as may be prescribed by the Statutes or imposed by the Executive Council but no Associated College shall be authorised to impart instruction for post-graduate degrees.

(4) Except as provided by this Act, the management of an Associated College shall be free to manage and control the affairs of the college and be responsible for its maintenance and upkeep. The Principal of every such College shall be responsible for the due maintenance of discipline in it.

(5) An Associated College shall be inspected at intervals of not more than three years in the manner prescribed by the Statutes and a report of the inspection shall be be made to the Executive Council.

(6) The recognition of an Associated College may, with the previous sanction of the Chancellor, be withdrawn if the Executive Council is satisfied, after considering any explanation furnished by the Management, that it has ceased to fulfil the conditions of its recognition or that it persists in making default in the performance of its duties under this Act or in the removal of any defects in its work pointed out by the Executive Council."

36-B. There shall be a Non-Collegiate Delegacy to supervise the arrangements relating to the residence, health and welfare of students of the University not residing in or under the care of any college or hostel The constitution, powers and duties of the Delegacy shall be prescribed by the Statutes."

"Non-Collegiate Delegacy.

२८—मूल अधिनियम की धारा ३७ में उपधारायें (2) और (3) निकाल दी जायं और निम्नलिखित नयी उपधारायें (4) और (5) के रूप में बढ़ा दी जायं—

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३७ का संशोधन।

"(4) Any student whose work is unsatisfactory may be removed from the University or an Associated College in accordance with the provisions of the Ordinances.

(5) The University shall not, save with the previous sanction of the State Government, recognise for the purpose of admission to a course of study for a degree any degree conferred by any other University or as equivalent to the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, any examination conducted by any other authority."

२९—मूल अधिनियम की धारा ३८ में—

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३८ का संशोधन।

(१))उपधारा (I) के अन्त में शब्द "in the manner prescribed by the Statutes" बढ़ा दिये जांय—

(२) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(3) At least one person not employed in the University, an Associated College, or a College shall be appointed examiner for each subject prescribed for a degree."

(३) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Board of each Faculty shall appoint an Examination Committee for every subject assigned to the Faculty. The Committee shall consist of such persons as the Board may, subject to the approval of the Adademic Council, appoint from among its own members or from outside. The Committee shall have power to moderate question papers set for for examinations, review the quality of the work submitted by candidates for examination, report on the standard of attainment and make recommendations in regard to any of these matters. Any review, report or recommendation made by the Committee shall be laid before the Academic Council for its consideration."

(४) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (5) के रूप में रख दिया जाय—

"(5) Every person appointed an examiner shall, as a condition of appointment, agree that he will not undertake examination work in excess of the limits laid down in the Ordinances."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ४० का संशोधन।

३०—मूल अधिनियम की धारा ४० में—

(१) उपधारा (1) के अन्त मे निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"The State Government shall cause an audit of the entire accounts of the University for each year to be carried out by auditors of high standing. The accounts shall include all funds accruing to the University under this Act, the Statutes and the Ordinances.

(२) उपधारा (2) में शब्द "published by the Executive Council in the Gazette" के स्थान पर शब्द "printed" रख दिया जाय और उपधारा के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"It shall be lawful for the State Government to require any person, who, after consideration of his explanation in writing, is found to have spent or authorised the expenditure of funds in excess of the amounts provided in the budget or in violation of any provision of this Act, the Statutes or the Ordinances to reimburse the amount so spent and the Government may take all such steps as may be deemed necessary."

(३) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (7) के रूप में रख दिया जाय—

"(7) Except in so far as such expenditure is incurred out of funds accruing under clause (*c*) of sub-section (1) of 21, it shall not be lawful for the Vice-Chancellor or the Executive Council to incur any expenditure not sanctioned in the Budget."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ४२ का संशोधन।

३१—मूल अधिनियम की धारा ४२ में शब्द "body of the University" और शब्द "the matter" के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"or whether any decision of the University or any Authority thereof is in conformity with this Act, the Statutes and the Ordinances."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ४४ का संशोधन।

३२—मूल अधिनियम की धारा ४४ में निम्नलिखित उपधारा (2) के रूप में बढ़ा दिया जाय और वर्तमान धारा को उपधारा (1) के रूप में पुनः परिगणित कर दिया जाय—

"(2) A person who is a member of an Authority of the University as a representative of another body, whether of the Universiy or outside, shall retain his seat on the University Authority so long as he continues to be member of the body by which he was appointed or elected and thereafter till his successor is duly appointed."

३३—मूल अधिनियम की धारा ४५ में शब्द "members" के पश्चात् फुल स्टाफ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so."

यू० पी० ऐक्ट, ३, १९२१ की धारा ४५ का संशोधन।

३४—मूल अधिनियम की धारा ४७ में शब्द और अंक "Indian Arbitration Act, 1899" के स्थान पर शब्द और अंक "Arbitration Act, 1940 (Act X, 1940)" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ३,१९२१ की धारा ४७ का संशोधन।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

३५—मूल अधिनियम, परिनियमों (Statutes) या अध्यादेशों (Ordinances) में किसी बात के होते हुए भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ (जिसे यहां पर आगे चल कर "संशोधन अधिनियम" कहा गया है) के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पदासीन अथवा संगठित किसी निर्वाचित अधिकारी अथवा प्राधिकारी का कार्यकाल इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तदनुरूप (corresponding) अधिकारी अथवा प्राधिकारी के नियुक्त, निर्वाचित अथवा संगठित किये जाने पर समाप्त हो जायगा।

३६—मूल अधिनियम अथवा संशोधन अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी संशोधन अधिनियम के प्रचलित होने के पश्चात् चांसलर किसी भी समय किसी व्यक्ति को वाइस-चांसलर नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति के लिए धारा ११ में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक नहीं होगा। इस प्रकार नियुक्त वाइस-चांसलर संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन वाइस-चांसलर के सभी अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करेगा और एक वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। परन्तु यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो चांसलर अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकता है।

३७—संशोधन अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार के लिये वैध होगा कि वह इस संबंध में ऐसा कोई भी कार्य करे, जो संशोधित मूल अधिनियम के अनुसार यूनिवर्सिटी के प्राधिकारियों के उचित संगठन के लिए सामान्यतः आवश्यक हो जिसके अंतर्गत परिनियमों (Statutes) का बनाना भी है और ऐसे परिनियमों के प्रचलित होने (coming into force) के दिनांक निश्चित करे।

इस धारा द्वारा प्राप्त अधिकारों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बनाये गये परिनियम (Statutes) उस समय तक प्रचलित रहेंगे, जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन, कोई बात या कोई कार्य करके उन्हें अधिक्रांत (supersede) न कर दिया जाय।

३८—राज्य सरकार मूल अधिनियम के उपबन्धों से संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों के प्रति संक्रमण से सम्बद्ध कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके—

(क) आदेश दे सकती है कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित उक्त मूल अधिनियम उस कालावधि में जिसे आज्ञा में निर्दिष्ट किया जाय, परिष्कार (modification), परिवर्धन अथवा लोप

(omission) के रूप में किये गये ऐसे अनुकलनों के अधीन जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझे, प्रभावशील होगा; या

(ख) आदेश दे सकती है कि संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर उस समय तक जब तक कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम के अधीन और अनुसार यूनिवर्सिटी प्राधिकारी संगठित अथवा नियुक्त न किये जायं, यूनिवर्सिटी के ऐसे प्राधिकारों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकार अथवा सम्पादित किये जाने वाले कर्त्तव्य और कृत्य संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व के दिनांक पर स्थापित तदनुरूप प्राधिकारियों द्वारा प्रयुक्त अथवा सम्पादित किये जायेंगे ; या

(ग) आदेश दे सकती है कि संशोधित अधिनियम के प्रचलित होने के ठीक पूर्व के दिनांक पर प्रचलित कोई परिनियम (Statutes) अध्यादेश या विनियम (Regulation) ऐसे परिवर्तनों, परिष्कारों परिवर्धनों और लोपों (omissions) के अधीन, जैसा कि वह उचित और आवश्यक समझे, उस समय तक प्रचलित रहेंगे जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कोई बात या कार्य करके उसे अधिक्रांत न कर दिया जाय ; या

(घ) ऐसी कोई कठिनाई दूर करने के प्रयोजन से ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है, जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से बारह मास के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा न दी जायगी ।

उद्देश्य और कारण

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट आज से ३२ वर्ष पूर्व सन् १९२१ ई० में बना था। इस राज्य के विश्वविद्यालयों में सुधार का प्रश्न सन् १९३८ से ही शासन के विचाराधीन रहा है। जबकि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की थी तब से इस समस्या पर भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (इंडियन यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन) द्वारा तथा इस राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भी विचार किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य-प्रणाली की त्रुटियों पर विशेषरूप से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त "जांच समिति" ने, जिसके अध्यक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस श्री ओ० एच० मूथम थे, पूरी तौर पर जांच की है। प्रस्तुत विधेयक में विभिन्न समितियों एवं अभिकरणों की सिफारिशों के आधार पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधान और कार्य-प्रणाली को उन्नत करने का प्रयास किया गया है।

अतः यह विधेयक सदन के विचारार्थ उपस्थित किया जा रहा है।

हर गोविन्द सिंह,
शिक्षा मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ४२ एल० ए०—१९५४—८५० ।